इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2012—ज्येष्ठ 4, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मई 2012

क्र. ई-5-858-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विकास नरवाल, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खण्डवा को दिनांक 21 से 29 अक्टूबर 2011 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खण्डवा के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-873-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिषेक सिंह, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़, जिला मुरैना को दिनांक 23 से 26 अप्रैल 2012 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़, जिला मुरैना के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

(3) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 3 मई 2012

क्र. ई-5-607-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को दिनांक 8 से 15 जून 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश की अवधि में श्री अरूण कुमार भट्ट, आयएएस., आयुक्त, गृह निर्माण मण्डल, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरूण कुमार भट्ट, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2012

क्र. ई-1-154-2012-5-एक.—श्री उमाकांत उमराव, भाप्रसे (1996), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सेवाएं अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, सदस्य वित्त, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पद पर नियुक्ति के लिए नर्मदा घाटी विकास विभाग को सौंपी जाती है तथा उन्हें प्रबंध संचालक नर्मदा बैसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री उमाकांत उमराव द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत सदस्य वित्त, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित संभागीय कमिश्नर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

भोपाल, दिनांक 5 मई 2012

क्र. ई-5-524-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजय कुमार सिंह, आयएएस., तत्का. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग वर्तमान में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2012 द्वारा दिनांक 7 मई से 8 जून 2012 तक तैंतीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 6 मई एवं 9, 10 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है.

(2) श्री संजय कुमार सिंह की अवकाश अवधि में उनके पद का प्रभार श्री ए. के. वर्णवाल, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-877-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित तोमर, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, सीहोरा जिला जबलपुर को दिनांक 9 से 22 मार्च 2012 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित तोमर, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, सीहोरा, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अमित तोमर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तोमर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-393-आयएएस-लीव-एक-5.—श्री प्रसन्न कुमार दाश, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2012 द्वारा दिनांक 17 से 26 अप्रैल 2012 तक दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 8 मई 2012

क्र. ई-5-667-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पी. के. पाराशर, आयएएस., कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर को दिनांक 14 से

16 मई 2012 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 मई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री पी. के. पाराशर की अवकाश अवधि में श्री राघवेन्द्र सिंह, आयएएस., कलेक्टर, जिला इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. पाराशर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पी. के. पाराशर द्वारा कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र सिंह, कमिश्नर इन्दौर संभाग इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पी. के. पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. के. पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-702-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री प्रदीप खरे, आयएएस., कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 मार्च 2012 द्वारा दिनांक 16 से 28 अप्रैल 2012 तक तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 29 अप्रैल से 3 मई 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 14 मार्च 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2012

क्र. ई-5-522-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग को दिनांक 23 अप्रैल 2012 एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री मनोज श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-895-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. मसूद अख्तर, आयएएस., कलेक्टर, जिला सीधी को दिनांक 28 मई से 2 जून 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 27 मई एवं 3 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) डॉ. मसूद अख्तर की अवकाश की अवधि में डॉ. जे. सी. जटिया, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीधी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सीधी का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. मसूद अख्तर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सीधी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. मसूद अख्तर द्वारा कलेक्टर जिला सीधी का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. जे. सी. जटिया, कलेक्टर, जिला सीधी के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. मसूद अख्तर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मसूद अख्तर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2012

क्र. ई. 5-560-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2012 द्वारा दिनांक 27 अप्रैल से 5 मई 2012 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 6 मई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब 28 अप्रैल से 5 मई 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 5 मई 2012

क्र. ई-5-747-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. (श्रीमती) वीणा घाणेकर, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित

जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 17 से 20 अप्रैल 2012 तक चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. (श्रीमती) वीणा घाणेकर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. (श्रीमती) वीणा घाणेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. (श्रीमती) वीणा घाणेकर, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 7 मई 2012

क्र. ई-5-525-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आर. के. चतुर्वेदी, आयएएस., विकअ-सह-आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2012 द्वारा दिनांक 7 से 18 मई 2012 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश, अवकाश के साथ दिनांक 6 एवं 19, 20 मई 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है.

(2) श्री आर. के. चतुर्वेदी की अवकाश अवधि में उनके पद का प्रभार श्री प्रमोद कुमार दास, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो. लिमि. (ट्रायफेक) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव ''कार्मिक''.

भोपाल, दिनांक 3 मई 2012

क्र. एफ-3-6-2012-एक-4.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-प.-ब-एक, तारीख 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई पराक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में विधान सभा उप चुनाव 2012 के सिलसिले में नीचे की अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उनके सामने अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिष्टि तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.

(2) क्रमांक एफ 3-6-2012-एक-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा यह भी घोषित करता है कि विधान सभा उप चुनाव 2012 के लिये मतदान के दिन दिनांक 12 जून 2012 मंगलवार को निम्नांकित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य अवकाश का दिन होगा.

अनुसूची

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक एवं नाम (1)	मतदान की तारीख (2)
जिला खरगौन के 183 महेश्वर (अ.जा.)	12 जून 2012 मंगलवार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पंत, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 मई 2012

फा. 3 (बी)3-2012-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, निम्नतर न्यायिक सेवा की सदस्य एवं उच्च न्यायिक सेवा के अस्थायी जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर कार्यरत श्रीमती सरला वाकलवार, द्वादश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को उनके द्वारा दिनांक 1 मई 2012 को प्रस्तुत किए गए सूचना-पत्र के आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 (1) (क) के अधीन उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात करता है तथा उन्हें दिनांक 31 मई 2012 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2012

फा. क्र. 1 (बी)-5-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जीवनलाल बिसेन पुत्र स्व. श्री भागवत बिसेन, अधिवक्ता को उनके

कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सिवनी सत्र खण्ड के सिवनी राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक, सिवनी नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(**टीप.**—श्री जीवनलाल बिसेन की जन्म तिथि 1-7-1959 एक जुलाई उन्नीस सौ उनसठ अनुसार उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 1 जुलाई 2021 एक जुलाई दो हजार इक्कीस को पूर्ण होगी).

फा. क्र. 1 (बी)-10-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गोपालकृष्ण पाटिल पुत्र स्व. श्री राधा कृष्णजी पाटिल, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उनकी आयु 62 वर्ष पूर्ण होने तक की तिथि 1 अगस्त 2012 तक की अवधि हेतु मंदसौर सत्र खण्ड के मंदसौर राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक, मंदसौर नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(**टीप.**—श्री गोपालकृष्ण पाटिल की जन्म तिथि 1-8-1950 एक अगस्त उन्नीस सौ पचास अनुसार उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 1-8-2012 एक अगस्त दो हजार बारह को पूर्ण होगी).

फा. क्र. 1 (बी)-1-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार व्यास, पुत्र श्री देवकृष्ण व्यास, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विदिशा सत्र खण्ड के विदिशा राजस्व जिले के लिये तहसील गंजबासौदा, अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(**टीप.**—श्री नरेन्द्र कुमार व्यास की जन्म तिथि 21-12-1965 इक्कीस दिसम्बर उन्नीस सौ पैंसठ है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 21-12-2027 इक्कीस दिसम्बर दो हजार सत्ताईस को पूर्ण होगी).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल वर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 मई 2012

फा. क्र. 4-1-2002-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 के अधीन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 मई 2011 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3(3) के अन्तर्गत निम्नलिखित उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये परिवार न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने (जो भी पहले हो) तक सारणी में वर्णित स्थान पर नियुक्त करता है:—

उक्त न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3(3) के अन्तर्गत होगा.

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदस्थापना	कुटुम्ब न्यायालय का मुख्यालय नाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष, उपभोक्ता फोरम, जिला धार.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़.
2	श्री प्रताप सिंह कुशवाह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ जनजाति, (अत्याचार निवारण), अधिनियम, जिला भिण्ड.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मई 2012

क्र. एफ-7-55-2001-छ:.—इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 28 मई 2008 द्वारा गठित समिति का कार्यकाल समाप्त होने के कारण मध्यप्रदेश श्री महाकालेश्वर महादेव अधिनियम, 1982 (क्रमांक 21 सन् 1983) धारा 6 के अन्तर्गत श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति में शासन निम्नानुसार नामर्दिष्ट करते हुये, आदेश के दिनांक से तीन वर्ष के लिये, अधिसूचित करता है:—

(1) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन पुजारी नाम निर्देशन:—

1. श्री प्रदीप गुरू, निवासी उज्जैन,

(1) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (च)

के अधीन अशासकीय व्यक्तियों के नाम निर्देशन:—

1. श्री गोविन्द शर्मा, निवासी उज्जैन,

2. श्री सत्यनारायण गुरू, निवासी उज्जैन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मई 2012

क्र. डी-15-9-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-6-77-78-चौदह-3, दिनांक 24 दिसम्बर 1980 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी बरेली, जिला रायसेन के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बनी समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—

स्थान

नगर पंचायत बाड़ी, तहसील बरेली, जिला रायसेन के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 10.00 एकड़ भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक	खसरा क्रमांक	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)
1	1	3.09
2	2/1	1.00
3	2/2	5.91
	योग	10.00

जिसकी सीमाएं

उत्तर में— बड़ोदिया खुर्द एवं गुहारा संग्रामपुर मेड़ा
दक्षिण में— राष्ट्रीय राजमार्ग 12
पूर्व में— हरिनारायण साहू की भूमि
पश्चिम में— बड़ोदिया खुर्द एवं बाड़ी खुर्द की भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 मई 2012

क्र. डी-15-9-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 14 मई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 14th May 2012

No. D-15-9-2012-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, declare the following place including all structures, enclosures, open places or locality in the market area under Krishi Upaj Mandi, Bareli in Bareli Tehsil of Raisen, district has been established *vide* this department's Notification No. D-6-77-78-XIV-3, dated 24th December 1980 shall be sub market yard namely :—

PLACE

An area of 10.00 Acres land of bellow Mentioned Khasra Number at Nagar Panchayat, Badi in Tehsil Bareli of District Raisen :—

S. No.	Khasra No.	Area (in Acres)
(1)	(2)	(3)
1	1	3.09
2	2/1	1.00
3	2/2	5.91
		Total . . 10.00

BOUNDED BY

On the North by—Badodiya Khurd and Guhara Sangrampur Meda.

On the South by—National Highway 12
On the East by—Land of Harinaryan Shahu.
On the West by—Land of Badodiya Khurd and Badi Khurd.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 14 मई 2012

क्र. डी-15-9-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की

उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 मई 2012 के अधीन घोषित उप मंडी प्रांगण के संबंध में जिला रायसेन की तहसील बरेली के मंडी क्षेत्र बरेली में निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

(1) नगर पंचायत बाड़ी, तहसील बरेली, जिला रायसेन की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—

(1) अमरावद, (2) सेमरी, (3) सिरवारा (4) पारतलाई (5) दिगवाड़ (6) बम्होरी बजीरगंज, (7) दिमारिया, (8) बरखेड़ा, (9) पाली, (10) रतनपुर, (11) घोंट.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 मई 2012

क्र. डी-15-9-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 14 मई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 14th May 2012

No. D-15-09-2012-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, declare that in the relation to the sub Market yard as under this department's notification even number dated 14th May, 2012 the following area in the Market area of Bareli in Tehsil Bareli of District Raisen shall be the Market proper:—

AREA

(1) An area within the limit of Nagar Panchayat Badi in Tehsil Bareli of District Raisen.

(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the sub Market yard, namely :—

(1) Amrawad, (2) Semri, (3) Sirwara, (4) Partalai (5) Digwad, (6) Bamhori bajirgang (7) Dimariya, (8) Barkheda, (9) Pali, (10) Ratanpur, (11) Ghont.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 14 मई 2012

क्र. डी-15-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 145/13, दिनांक 9 जून 1953 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति, सोनकच्छ के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है:—

स्थान

ग्राम पंचायत पिपलरांवा तहसील सोनकच्छ, जिला देवास के निम्नलिखित खसरा क्रमांक 2563/3/2 की 2.090 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	2563/3/2	2.090
	योग . .	2.090

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—श्री रामा पिता श्री लक्ष्मण की भूमि.
दक्षिण में—श्री प्रमोद कुमार पिता श्री शिवेशचन्द्र की भूमि.
पूर्व में—हरिजन कल्याण आश्रम की बिल्डिंग.
पश्चिम में—श्री प्रमोद कुमार पिता श्री शिवेशचन्द्र की भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 मई 2012

क्र. डी-15-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 14 मई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 14th May 2012

No. D-15-2012-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Sonkachh has been established by this department's Notification even No. 145/13, dated 9 June, 1953 shall be sub market yard namely:—

PLACE

An area of 2.090 hectare land of bellow Mentioned Khasra number at Nagar Panchayat Pipalrawa in Tehsil Sonkachh of District Dewas.

S. No.	Khasra No.	Area (in Hectare)
(1)	(2)	(3)
1	2563/3/2	2.090
	Total . .	2.090

BOUNDED BY

1. **On the North by**—Land of Shri Rama S/o Shri Laxman.
2. **On the South by**—Land of Shri Pramod Kumar S/o Shri Siveshchan.
3. **On the East by**—Bulding of Shedule cast welfare ashram.
4. **On the West by**—Land of Shri Pramod Kumar S/o Shri Siveshchand.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 14 मई 2012

क्र. डी-15-8-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 मई 2012 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति सोनकच्छ जिला देवास के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

(1) नगर पंचायत पिपलरांवा तहसील सोनकच्छ जिला देवास की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) उप मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—

(1) पिपलरावा, (2) निपानियां हूर-हूर, (3) धिचलाय, (4) लकुमड़ी, (5) समसखेड़ी, (6) जोलाय, (7) मुण्डला दांगी, (8) मलपुरा, (9) बावड़िया, (10) खुटखेड़ा, (11) सुतारपाड़ल्या, (12) घंधेड़ा, (13) मुरम्या, (14) पटारिया नजदीक (15), सुरजना, (16) पीरपाड़ल्या, (17) घट्टियाकला, (18) निपानिया धाकड़, (19) टांड़ा, (20) जाटपुरा, (21) कासमखेड़ी, (22) खाता खेड़ी, (23) बगरावदकला, (24) टांड़ा उमरोद.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 मई 2012

क्र. डी-15-8-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 14 मई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 14th May 2012

No. D-15-8-2012-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, declare that in the relation to the Market yard *vide* this department

notification even number dated 14th May, 2012 the following area of Sonkachh of district Dewas shall be sub-market area:—

AREA

(1) An area within the limit of Nagar Panchayat Pipalrawa in Tehsil Sonkachh of District Dewas.

(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the sub-market yard, namely :—

(1) Pipalrawa, (2) Nipaniya Hur-Hur, (3) Ghichlay, (4) Lakumadi, (5) Samskhedi, (6) Jolay, (7) Mundladangi, (8) Malpura, (9) Bavdiya, (10) Khuntkheda, (11) Sutarpadlya, (12) Dhandheda, (13) Muramya, (14) Patadya Najdik, (15) Surjana, (16) Peerpadliya, (17) Ghatiyakala, (18) Nipaniyadhakad, (19) Tanda, (20) Jatpura, (21) Kasmkhedi, (22) Khatakhedi, (23) Pagrawadkala, (24) Tanda Umarod.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मई 2012

क्र. एफ-19-5-2012-बारह-2.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 26(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि खनि रियायत नियमावली, 1960 के नियम 12 के उपनियम (1) तथा नियम 26 के उपनियम (1) के अधीन उनके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर कलेक्टर द्वारा प्रयोग की जाएगी :—

(1) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा खनन पट्टे के संबंध में अपूर्ण आवेदन नामंजूर करना.

(2) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा खनन पट्टे जिनमें, आवेदित क्षेत्र चार हेक्टेयर से कम है, के आवेदन नामंजूर करना.

No. F-19-5-2012-XII-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 26 of the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government hereby, directs that the powers exercisable by its sub-rule (1) of Rule 12 and sub-rule (1) of Rule 26 of Mineral Concession Rules, 1960 shall be exercised by the Collector within their respective jurisdiction under the following conditions:—

(1) Refusal of incomplete application regarding prospecting licence and mining lease.

(2) Refusal of application of prospecting licence and mining lease in which area applied for is less then four Hectares.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैलेन्द्र सिंह, सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2011

क्र. एफ. 12-24-2011-सात-2ए.—यतः, राज्य शासन की अधिसूचना की द्वारा यह घोषणा की गई थी कि तहसील बागली, जिला देवास के ग्राम नयापुरा की 33.93 हे. धारड़ी, की 100.42 हे. कोथमीर की 114.68 हेतु ग्राम गुवाड़ी की 6.68 हे. एवं ग्राम धारड़ी मजराटोला नरसिंहपुरां की 2.00 हे. तथा ग्राम नरसिंगपुरा की 21.421 हे. निजी भूमि इस प्रकार कुल रकबा 279.131 हेक्टेयर का अविकसित इकाई हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. (भूमि का वर्णन ग्रामवार सूची संलग्न है.)

2. और, यतः, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि उपरोक्त भूमि कुल अर्जित रकबा 279.131 हेक्टेयर भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है.

3. और, यतः, भूमिस्वामी को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है और ना ही उक्त भूमि का कब्जा लिया गया है, और ना ही भूमि स्वामी भू-अर्जन की कार्यवाही के फलस्वरूप किसी भी प्रकार की क्षति अथवा हर्जाने की मांग करेंगे और संबंधित भूमिस्वामी मुआवजा प्राप्त करने के लिये अधिकारी नहीं होंगे.

4. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 48 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उपरिवर्णित ग्रामों का कुल रकबा 279.131 हेक्टेयर (संलग्न सूची अनुसार) के अधिग्रहण करने की कार्यवाही से अपने से प्रत्याहत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. जैन, उपसचिव.

भूमि का वर्णन

ग्राम—नयापुरा
प.ह.नं.—51
तहसील—बागली
जिला—देवास

तालिका—1

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
6 मेसे	2.82	अंजन-1,
7 मेसे	0.79	अंजन-2, सागोन-7
13/1 मेसे	0.04	–
13/2 मेसे	0.03	–
18/1	0.41	–
18/2 मेसें	0.24	–
18/3 मेसे	0.20	सागौन-4
18/4 मेसे	0.23	–
18/5	0.26	सागौन-3, आंवला-1
18/6 मेसे	0.23	–
18/7 मेसे	0.06	–
19/3 मेसे	0.08	–
19/4	0.15	–
19/5	0.25	–
19/6	0.14	–
20/1 मेसे	0.13	सागौन-1
20/2 मेसे	0.30	बेर-1
20/3 मेसे	0.18	–
21/1 मेसे	0.11	–
21/2 मेसे	0.22	बेर-1
21/3 मेसे	0.19	महुआ-1
22/1 मेसे	0.03	–
22/2 मेसे	0.17	–
22/3 मेसे	0.19	–
23	0.02	–
26	0.02	–
27	0.02	–

तालिका—2

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
6 मेसे	2.82	अंजन-1,
7 मेसे	0.79	अंजन-2, सागोन-7
13/1 मेसे	0.04	–
13/2 मेसे	0.03	–
18/1	0.41	–
18/2 मेसे	0.24	–
18/3 मेसे	0.20	सागौन-4
18/4 मेसे	0.23	–
18/5	0.26	सागौन-3, आंवला-1
18/6 मेसे	0.23	–
18/7 मेसे	0.06	–
19/3 मेसे	0.08	–
19/4	0.15	–
19/5	0.25	–
19/6	0.14	–
20/1 मेसे	0.13	सागौन-1
20/2 मेसे	0.30	बेर-1
20/3 मेसे	0.18	–
21/1 मेसे	0.11	–
21/2 मेसे	0.22	बेर-1
21/3 मेसे	0.19	महुआ-1
22/1 मेसे	0.03	–
22/2 मेसे	0.17	–
22/3 मेसे	0.19	–
23	0.02	–
26	0.02	–
27	0.02	–

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
28	0.02	–	28	0.02	–
29	0.02	–	29	0.02	–
30	0.02	–	30	0.02	–
31	0.02	–	31	0.02	–
32	0.02	–	32	0.02	–
33 मेसे	1.01	सागौन–7, अंजन–1, बेर–2, महुआ–1	33 मेसे	1.01	सागौन–7, अंजन–1, बेर–2, महुआ–1
36 मेसे	1.50	–	36 मेसे	1.50	–
42 मेसे	1.12	इमली–1	42 मेसे	1.12	इमली–1
43 मेसे	2.00	पा.ला.–3	43 मेसे	2.00	पा.ला.–3
50 मेसे	3.65	सागौन–12, आम–1	50 मेसे	3.65	सागौन–12, आम–1
51 मेसे	1.20	अंजन–4, बेर–1	51 मेसे	1.20	अंजन–4, बेर–1
53/1 मेसे	0.18	–	53/1 मेसे	0.18	–
53/2 मेसे	0.49	–	53/2 मेसे	0.49	–
55 मेसे	0.30	–	55 मेसे	0.30	–
61 मेसे	3.01	सागौन–32, टेमरू–1	61 मेसे	3.01	सागौन–32, टेमरू–1
74 मेसे	1.20	बेर–5, आम–2	74 मेसे	1.20	बेर–5, आम–2
76 मेसे	0.71	सागौन–5	76 मेसे	0.71	सागौन–5
77 मेसे	0.81	–	77 मेसे	0.81	–
78 मेसे	0.16	–	78 मेसे	0.16	–
80/1 मेसे	0.53	सुरजना–1	80/1 मेसे	0.53	सुरजना–1
80/2 मेसे	0.48	आम–1	80/2 मेसे	0.48	आम–1
80/3 मेसे	0.75	–	80/3 मेंसे	0.75	–
82 मेसे	0.60	सागौन–15, बेर–30	82 मेसे	0.60	सागौन–15, बेर–30
83	0.11	–	83	0.11	–
84 मेसे	0.75	सागौन–17, बेर–8	84 मेसे	0.75	सागौन–17, बेर–8
87/1	0.72	–	87/1	0.72	–
87/2	0.73	आम–1	87/2	0.73	आम–1
87/3	0.72	–	87/3	0.72	–
87/4	0.72	–	87/4	0.72	–
87/5	0.75	–	87/5	0.75	–
91 मेसे	2.10	सागौन–5	91 मेसे	2.10	सागौन–5
25/99	0.02	–	25/99	0.02	–
योग . .	33.93	इमारती वृक्ष 116 फलदार वृक्ष 59 पाईप लाईन 3	योग . .	33.93	इमारती वृक्ष 116 फलदार वृक्ष 59 पाईप लाईन 3

भूमि का वर्णन

ग्राम—धारड़ी
प.ह.नं.—51
तहसील—बागली
जिला—देवास

तालिका—1

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
18	1.900	अंजन-2, सागवन-16
19	2.850	ट्यूबवेल-1, सागवन-30, गोदी-1
20	1.510	-
21	0.580	सागवन-20, अंजन-6
22	0.200	कुआ पक्का-1
23	0.120	सागवन-4
24	0.120	-
27	1.370	-
28/1	1.250	-
28/2	0.370	-
28/3	0.380	-
29/1	0.150	-
29/2	0.750	-
29/3	1.380	-
30	1.030	-
31	3.010	ट्यूबवेल-2
32	0.910	-
33	0.910	सागवन-3
34	2.330	ट्यूबवेल-1, सागवन-22, अंजन-2
35	1.050	कुआ पक्का-1, सागवन-23
37	0.910	-
38	0.910	-
39	0.910	-
72	5.690	ट्यूबवेल-1, कुआ कच्चा-1
73	0.640	-

तालिका—2

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
18	1.900	अंजन-2, सागवन-16
19	2.850	ट्यूबवेल-1, सागवन-30, गोदी-1
20	1.510	-
21	0.580	सागवन-20, अंजन-6
22	0.200	कुआ पक्का-1
23	0.120	सागवन-4
24	0.120	-
27	1.370	-
28/1	1.250	-
28/2	0.370	-
28/3	0.380	-
29/1	0.150	-
29/2	0.750	-
29/3	1.380	-
30	1.030	-
31	3.010	ट्यूबवेल-2
32	0.910	-
33	0.910	सागवन-3
34	2.330	ट्यूबवेल-1, सागवन-22, अंजन-2
35	1.050	कुआ पक्का-1, सागवन-23
37	0.910	-
38	0.910	-
39	0.910	-
72	5.690	ट्यूबवेल-1, कुआ कच्चा-1
73	0.640	-

तालिका—1

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
74	0.130	–
75	1.140	ट्यूबवेल-1, कुआ पक्का 1, आम-1
76	1.910	ट्यूबवेल-2, सागवन-1
78	1.140	–
79	0.760	ट्यूबवेल-1, आम-2
82/1	0.660	ट्यूबवेल-2, कुआ कच्चा-1, पा.ला.-1, जाम-2, आम-8 सीताफल-1
82/2	0.250	–
82/3	0.250	–
82/4 मेसे	0.238	–
82/5	0.250	–
82/6 मेसे	0.211	कुआ कच्चा-1, बैर-1
83	1.270	कुआ पक्का-1, आम-1
84/1	1.640	ट्यूबवेल-1
84/2 मेसे	1.635	कुआ कच्चा-1
86	0.920	–
87	0.380	–
88/1	0.710	ट्यूबवेल-1, जाम-3, बेर-1
88/2	0.350	–
88/3	0.360	कुआ कच्चा 1, नीबू-1, आम-1, बैर-1
88/4	0.350	महुआ-1
90/1	0.240	–
90/2	0.230	–
90/3	0.240	–
91	0.370	कुआ कच्चा-1
92/1	0.530	ट्यूबवेल-1, गोदी-1
92/2	0.520	–
92/3	0.530	महुआ-1, कुआ कच्चा-1
94/1	1.000	–

तालिका—2

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
74	0.130	–
75	1.140	ट्यूबवेल-1, कुआ पक्का 1, आम-1
76	1.910	ट्यूबवेल-2, सागवन-1
78	1.140	–
79	0.760	ट्यूबवेल-1, आम-2
82/1	0.660	ट्यूबवेल-2, कुआ कच्चा-1, पा.ला.-1, जाम-2, आम-8 सीताफल-1
82/2	0.250	–
82/3	0.250	–
82/4 मेसे	0.238	–
82/5	0.250	–
82/6 मेसे	0.211	कुआ कच्चा-1, बैर-1
83	1.270	कुआ पक्का-1, आम-1
84/1	1.640	ट्यूबवेल-1
84/2 मेसे	1.635	कुआ कच्चा-1
86	0.920	–
87	0.380	–
88/1	0.710	ट्यूबवेल-1, जाम-3, बेर-1
88/2	0.350	–
88/3	0.360	कुआ कच्चा 1, नीबू-1, आम-1, बैर-1
88/4	0.350	महुआ-1
90/1	0.240	–
90/2	0.230	–
90/3	0.240	–
91	0.370	कुआ कच्चा-1
92/1	0.530	ट्यूबवेल-1, गोदी-1
92/2	0.520	–
92/3	0.530	महुआ-1, कुआ कच्चा-1
94/1	1.000	–

तालिका—1

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नम्बर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
94/2	0.190	कुआ कच्चा-1, पा.ला.-1, बेर-3, जाम-1, सुरजना-1
94/3	2.010	-
94/4	0.190	-
94/5	0.190	-
94/6	0.180	सागवन-6
102/1	0.650	-
102/2 मेसे	1.545	जाम-1, नीबू-2
104	0.100	-
106 मेसे	0.900	सागवन-1, महुआ-1
108 मेसे	4.300	ट्यूबवेल-1, कुआ कच्चा-1 सागवन-104, अंजन-1, आम-1, बेर-1, महुआ-1
111	0.540	सागवन-30
112	0.010	-
113	0.010	-
114	0.020	-
115	0.050	-
116 मेसे	1.490	सागवन-62
117/1	1.750	सागवन-45
117/2	3.130	सागवन-48, बेर-2
118	5.220	-
120/1 मेसे	3.010	सागवन-4
120/2 मेसे	2.910	सागवन-5
120/3	3.130	सागवन-2
120/4	0.500	सागवन-5, महुआ-1
120/5	2.630	सागवन-45
122	2.730	-
123 मेसे	0.520	-
127 मेसे	1.640	-
128 मेसे	1.710	-
129 मेसे	1.160	-
130 मेसे	1.230	-

तालिका—2

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
94/2	0.190	कुआ कच्चा-1, पा.ला.-1, बेर-3, जाम-1, सुरजना-1
94/3	2.010	-
94/4	0.190	-
94/5	0.190	-
94/6	0.180	सागवन-6
102/1	0.650	-
102/2 मेसे	1.545	जाम-1, नीबू-2
104	0.100	-
106 मेसे	0.900	सागवन-1, महुआ-1
108 मेसे	4.300	ट्यूबवेल-1, कुआ कच्चा-1 सागवन-104, अंजन-1, आम-1, बेर-1, महुआ-1
111	0.540	सागवन-30
112	0.010	-
113	0.010	-
114	0.020	-
115	0.050	-
116 मेसे	1.490	सागवन-62
117/1	1.750	सागवन-45
117/2	3.130	सागवन-48, बेर-2
118	5.220	-
120/1 मेसे	3.010	सागवन-4
120/2 मेसे	2.910	सागवन-5
120/3	3.130	सागवन-2
120/4	0.500	सागवन-5, महुआ-1
120/5	2.630	सागवन-45
122	2.730	-
123 मेसे	0.520	-
127 मेसे	1.640	-
128 मेसे	1.710	-
129 मेसे	1.160	-
130 मेसे	1.230	-

तालिका—1

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नम्बर, रकबा एवं परिसंपत्तियां.

सर्वे नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
132 मेसे	0.240	–
133 मेसे	0.020	–
135 मेसे	0.025	–
140 मेसे	1.045	–
143 मेसे	0.157	–
144 मेसे	0.030	–
145	0.030	–
146	0.030	गोदी–1
148 मेसे	0.008	नीबू–1, बेर–1, आम–1
149 मेसे	0.031	–
150 मेसे	0.036	–
151 मेसे	0.034	–
153	0.010	–
154 मेसे	0.005	–
155	0.100	–
157 मेसे	0.923	–
158 मेसे	0.091	–
162 मेसे	0.090	–
163 मेसे	0.090	–
164 मेसे	0.090	–
165 मेसे	0.080	–
168 मेसे	0.650	–
169 मेसे	1.680	–
170	0.050	–
173 मेसे	1.770	–
60/179	0.010	–
69/180	0.010	–
योग . .	100.42	कुआ कच्चा–9, कुआ पक्का–4, कुल 13, ट्यूबवेल–15 पा.ला.–2, इमारती 487, फलदार–46.

तालिका—2

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं परिसंपत्तियां.

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
132 मेसे	0.240	–
133 मेसे	0.020	–
135 मेसे	0.025	–
140 मेसे	1.045	–
143 मेसे	0.157	–
144 मेसे	0.030	–
145	0.030	–
146	0.030	गोदी–1
148 मेसे	0.008	नीबू–1, बेर–1, आम–1
149 मेसे	0.031	–
150 मेसे	0.036	–
151 मेसे	0.034	–
153	0.010	–
154 मेसे	0.005	–
155	0.100	–
157 मेसे	0.923	–
158 मेसे	0.091	–
162 मेसे	0.090	–
163 मेसे	0.090	–
164 मेसे	0.090	–
165 मेसे	0.080	–
168 मेसे	0.650	–
169 मेसे	1.680	–
170	0.050	–
173 मेसे	1.770	–
60/179	0.010	–
69/180	0.010	–
योग . .	100.42	कुआ कच्चा–9, कुआ पक्का–4, कुल 13, ट्यूबवेल–15, पा.ला.–2, इमारती 487, फलदार–46

भूमि का वर्णन

ग्राम—कोथमीर
प.ह.नं.—51
तहसील—बागली
जिला—देवास

तालिका—1

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
3/1	1.53	महुआ-4, आम-1
3/2	0.71	-
3/3	0.72	महुआ-1
3/4	1.12	महुआ-1, जाम-2
3/5	0.40	महुआ-1
3/6	0.40	-
3/7	1.53	आम-2
10 मेसे	7.28	-
11/1 मेसे	3.79	-
11/2 मेसे	1.17	-
11/3 मेसे	2.14	-
17/1 मेसे	0.22	-
17/2 मेसे	0.24	-
17/3 मेसे	0.22	-
17/4 मेसे	0.28	-
17/5 मेसे	0.44	-
19 मेसे	0.40	-
20/1 मेसे	0.04	-
20/2 मेसे	0.06	-
20/3 मेसे	0.13	-
20/4 मेसे	0.12	-
20/5 मेसे	0.11	-
20/6 मेसे	0.10	-
22	0.11	-
26/1 मेसे	0.49	म.क.-3, आगन मं.-4
26/2 मेसे	0.33	-
26/3 मेसे	0.33	-
26/4 मेसे	0.36	-

तालिका—2

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
3/1	1.53	महुआ-4, आम-1
3/2	0.71	-
3/3	0.72	महुआ-1
3/4	1.12	महुआ-1, जाम-2
3/5	0.40	महुआ-1
3/6	0.40	-
3/7	1.53	आम-2
10 मेसे	7.28	-
11/1 मेसे	3.79	-
11/2 मेसे	1.17	-
11/3 मेसे	2.14	-
17/1 मेसे	0.22	-
17/2 मेसे	0.24	-
17/3 मेसे	0.22	-
17/4 मेसे	0.28	-
17/5 मेसे	0.44	-
19 मेसे	0.40	-
20/1 मेसे	0.04	-
20/2 मेसे	0.06	-
20/3 मेसे	0.13	-
20/4 मेसे	0.12	-
20/5 मेसे	0.11	-
20/6 मेसे	0.10	-
22	0.11	-
26/1 मेसे	0.47	-
26/2 मेसे	0.33	-
26/3 मेसे	0.33	-
26/4 मेसे	0.36	-

तालिका—1

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
26/5 मेसे	0.36	–
30/1 मेसे	0.07	म.क.–10, आंगन मं.–19
30/2 मेसे	0.05	–
31	0.10	–
32/1 मेसे	0.73	–
32/2 मेसे	0.76	–
32/3 मेसे	0.65	–
32/5 मेसे	0.01	–
32/6 मेसे	0.08	–
37 मेसे	0.05	–
38 मेसे	1.75	–
39 मेसे	1.04	–
41	2.84	–
44 मेसे	2.38	–
45/1	0.09	–
45/2	0.08	–
45/3 मेसे	0.08	–
45/4 मेसे	0.05	–
45/5	0.08	–
48	4.40	–
51 मेसे	0.37	–
55	0.05	–
56	0.02	–
57	0.01	–
58	0.01	–
59	0.01	–
60 मेसे	2.79	कुआं–1, ट्यूबवेल–1
62	1.45	–
64/1 मेसे	0.95	–
64/2	4.99	–
66	0.84	–
68	0.01	–
69	0.01	–

तालिका—2

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
26/5 मेसे	0.36	–
30/1 मेसे	0.00	–
30/2 मेसे	0.05	–
31	0.10	–
32/1 मेसे	0.73	–
32/2 मेसे	0.76	–
32/3 मेसे	0.65	–
32/5 मेसे	0.01	–
32/6 मेसे	0.08	–
37 मेसे	0.05	–
38 मेसे	1.75	–
39 मेसे	1.04	–
41	2.84	–
44 मेसे	2.38	–
45/1	0.09	–
45/2	0.08	–
45/3 मेसे	0.08	–
45/4 मेसे	0.05	–
45/5	0.08	–
48	4.40	–
51 मेसे	0.37	–
55	0.05	–
56	0.02	–
57	0.01	–
58	0.01	–
59	0.01	–
60 मेसे	2.79	कुआं–1, ट्यूबवेल–1
62	1.45	–
64/1 मेसे	0.95	–
64/2	4.99	–
66	0.84	–
68	0.01	–
69	0.01	–

तालिका—1

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
70	1.09	–
71	0.32	–
72	0.67	–
74	0.85	–
75	1.85	–
76/1	1.41	–
76/2	1.40	ट्यूबवेल–1
77	1.77	कुआं–1, ट्यूबवेल–1, सागौन–5
78	0.37	–
79	0.40	–
82	1.72	–
83	1.72	–
84 मेसे	4.31	कुआं–1, ट्यूबवेल–1
85 मेसे	2.61	कुआं–1, ट्यूबवेल–2
87 मेसे	0.95	अंजन–2, आम–1
88 मेसे	1.11	–
89 मेसे	1.14	अंजन–2, कुआं–1, बेर–5
90/1 मेसे	0.93	–
90/2 मेसे	0.20	–
91/1	0.40	–
91/2	0.40	–
91/3 मेसे	0.39	–
91/4 मेसे	0.20	–
92 मेसे	1.51	–
95	1.77	–
97/1 मेसे	1.08	बेर–7
97/2 मेसे	1.03	–
97/3 मेसे	0.83	बेर–5
97/4 मेसे	0.89	–
97/5 मेसे	0.99	–
99 मेसे	2.42	–
101 मेसे	1.99	–

तालिका—2

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
70	1.09	–
71	0.32	–
72	0.67	–
74	0.85	–
75	1.85	–
76/1	1.41	–
76/2	1.40	ट्यूबवेल–1
77	1.77	कुआं–1, ट्यूबवेल–1, सागौन–5
78	0.37	–
79	0.40	–
82	1.72	–
83	1.72	–
84 मेसे	4.31	कुआं–1, ट्यूबवेल–1
85 मेसे	2.61	कुआं–1, ट्यूबवेल–2
87 मेसे	0.95	अंजन–2, आम–1
88 मेसे	1.11	–
89 मेसे	1.14	अंजन–2, कुआं–1, बेर–5
90/1 मेसे	0.93	–
90/2 मेसे	0.20	–
91/1	0.40	–
91/2	0.40	–
91/3 मेसे	0.39	–
91/4 मेसे	0.20	–
92 मेसे	1.51	–
95	1.77	–
97/1 मेसे	1.08	बेर–7
97/2 मेसे	1.03	–
97/3 मेसे	0.83	बेर–5
97/4 मेसे	0.89	–
97/5 मेसे	0.99	–
99 मेसे	2.42	–
101 मेसे	1.99	–

तालिका—1

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
102/1 मेसे	0.28	–
102/2 मेसे	0.58	–
102/3 मेसे	0.76	–
102/4 मेसे	0.74	आम–1
103/1 मेसे	0.09	–
103/2 मेसे	0.54	–
103/3 मेसे	0.51	–
103/4	0.58	–
103/5 मेसे	0.55	–
104/1 मेसे	0.10	–
104/2 मेसे	0.38	–
104/3 मेसे	1.86	–
105 मेसे	2.08	–
106	2.24	–
107	2.12	–
109	0.05	–
110	0.02	–
111	0.02	–
112	0.02	–
113 मेसे	2.00	–
114	0.77	–
115/1 मेसे	1.69	–
115/2 मेसे	0.40	–
118	0.02	–
119 मेसे	1.54	–
120 मेसे	0.12	–
121 मेसे	1.18	–
123 मेसे	2.88	–
21 शास.		म.क.–8, आंगन मंडप–8
योग . .	114.77	मकान कच्चे–21, आंगन मंडप–31, फलदार–31, अंजन–4, सागवन–5, कच्चे कुएं–5 ट्यूबवेल 6

तालिका—2

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
102/1 मेसे	0.28	–
102/2 मेसे	0.58	–
102/3 मेसे	0.76	–
102/4 मेसे	0.74	आम–1
103/1 मेसे	0.09	–
103/2 मेसे	0.54	–
103/3 मेसे	0.51	–
103/4	0.58	–
103/5 मेसे	0.55	–
104/1 मेसे	0.10	–
104/2 मेसे	0.38	–
104/3 मेसे	1.86	–
105 मेसे	2.08	–
106	2.24	–
107	2.12	–
109	0.05	–
110	0.02	–
111	0.02	–
112	0.02	–
113 मेसे	2.00	–
114	0.77	–
115/1 मेसे	1.69	–
115/2 मेसे	0.40	–
118	0.02	–
119 मेसे	1.54	–
120 मेसे	0.12	–
121 मेसे	1.18	–
123 मेसे	2.88	–
योग . .	114.68	फलदार–31, अंजन–4, सागवन–5, कच्चे कुएं–5 ट्यूबवेल 6

भूमि का वर्णन

ग्राम—गुवाड़ी
प.ह.नं.—52
तहसील—बागली
जिला—देवास

तालिका—1

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
9 में से	2.59	–
14 में से	2.15	–
21 में से	0.05	–
22 में से	0.05	–
24 में से	1.60	पाईप लाईन 1, जाम 7 आम 2, नीबू 3
29	0.06	
30	0.06	
31	0.06	
32	0.06	
योग . .	6.68	पाईप लाईन 1, जाम 7 आम 2, नीबू 3

तालिका—2

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
9 मे से	2.59	–
14 में से	2.15	–
21 में से	0.05	–
22 में से	0.05	–
24 में से	1.60	पाईप लाईन 1, जाम 7 आम 2, नीबू 3
29	0.06	
30	0.06	
31	0.06	
32	0.06	
योग . .	6.68	पाईप लाईन 1, जाम 7 आम 2, नीबू 3

भूमि का वर्णन

ग्राम—धारड़ी मजरा टोला नरसिंगपुरा
प.ह.नं.—51
तहसील—बागली
जिला—देवास

तालिका—1

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
42	2.00	सागवान 3
43	0.01	कच्चा मकान 2, पानी की टंकी 1, ढाल 1, आंगन मंडप 2

तालिका—2

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
42	2.00	सागवान 3

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
44	0.01	कच्चा मकान 1 आंगन मंडप 1			
45	0.01	कच्चा मकान 1 आंगन मंडप 1			
46	0.01	पक्का 1 ढाल 2 कच्चा टप्पर 1 आंगन मंडप 1			
47	0.01	पक्का 1 मकान कच्चा 1 ढाल 1 पनिहार पक्का 1 आंगन मंडप 1			
48	0.01	कच्चा मकान 1 ढाल 1 आंगन मंडप 1			
49	0.01	कच्चा मकान 1			
50	0.01	पक्का मकान 1 आंगन मंडप 2			
52	0.01	पक्का मकान 1			
53	0.01	कच्चा मकान 1 आंगन मंडप 2			
54	0.01	कच्चा मकान 1 आंगन मंडप 2			
55	0.01	कच्चा टप्पर 2			
56	0.01	कच्चा मकान 2 आंगन मंडप-1			
57	0.01	कच्चा मकान 1			
58	0.01	कच्चा मकान 1			
59	0.01	कच्चा मकान 1			
60	0.02	कच्चा मकान 1			
61	0.01	पक्का मकान 1			
62	0.02	पक्का मकान 1 ढाल 1			
63	0.02	कच्चा मकान 1 ढाल 2 टप्पर 1			
64	0.01	कच्चा मकान 1 ढाल 1			
65	0.01	कच्चा मकान 1 ढाल 1			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
66	0.01	पक्का मकान 1 ढाल मंडप 1			
67	0.01	कच्चा टप्पर 2 ढाल मंडप 1			
68	0.01	पक्का मकान 1 कच्चा मकान 1 ढाल पक्की कम्पाउंडवाल 1 आंगन मंडप 1.			
योग :—	2.28	म. क. 24, प. 8, अन्य-29, बा. वाल 1, सागौन 3 योग-65	योग :—	2.00	सागवान 3

शासकीय भूमि

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
69	0	म.क. 64, पक्के-23 अन्य-103, बाउण्ड्रीवाल प. 2 योग-198

भूमि का वर्णन

ग्राम—नरसिंगपुरा
प.ह.नं.—51
तहसील—बागली
जिला—देवास

तालिका—1

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
1	0.600	
2	1.400	
5/1	0.740	
5/2	2.700	कुआ कच्चा 1, सागवन 3, आम 3
8 में से	1.511	कुआ पक्का 1, सागवन 1, बेर 3

तालिका—2

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
1	0.600	
2	1.400	
5/1	0.740	
5/2	2.700	कुआ कच्चा 1, सागवन 3, आम 3
8 में से	1.511	कुआ पक्का 1, सागवन 1, बेर 3

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
9	1.520	ट्यूबवेल 1	9	1.520	ट्यूबबेल 1,
10	1.520	टप्पर 1, ट्यूबवेल 1	10	1.520	टप्पर 1, ट्यूबवेल 1
11	1.520	टप्पर 1, कुआ पक्का 1, ट्यूब बेल 1	11	1.520	टप्पर 1, कुआ पक्का 1, ट्यूब बेल 1
12	1.990	टपरी 1, ट्यूब बेल 1 जाम 3, बेर 1, पा.ला. 1	12	1.990	टपरी 1, ट्यूब बेल 1, जाम 3, बेर 1, पा.ला. 1
13	1.470	कच्चा मकान 1, ट्यूब बेल 1, कुआ कच्चा 1 सागवन 3, बेर 5	13 में से	1.460	ट्यूब बेल 1, कुआ कच्चा 1, सागवन 3 बेर 5.
14	1.470	ट्यूब बेल 1, नीबू 1 बेर 1 सागवन 2	14	1.470	ट्यूब बेल 1, नीबू 1 बेर 1 सागवन 2
15	0.700		15	0.700	
16	1.400	ट्यूब बेल 1	16	1.400	ट्यूब बेल 1
17	0.700		17	0.700	
18	0.220		18	0.220	
19	0.300	आम 1, कच्चा मकान 1	19 में से	0.290	आम 1
20	0.300	ट्यूब बेल 1, कच्चा मकान 1, पक्का मकान 2, आंगन मंडप 10, ढाल 3 पक्की पनिहारी 1, पानी की टंकी पक्की 1	20 में से	0.250	ट्यूब बेल 1
21	0.110	कुआ 1 पक्का	21	0.110	कुआ 1 पक्का
22	1.400	सागवन 5, बेर 2, इमली 1 पक्का मकान 6, कच्चा मकान 7, पनीहारी 1 पक्की आंगन मंडप 12, ढाल 3, पक्का कुआ 1.	22 में से	1.320	सागवन 5, बेर 2, इमली पक्का कुआ-1.
		कुआ कच्चा 2, कुआ पक्के 4, सागवन 14, आम 4, बैर 12, नीबू 1, ट्यूबवेल 8, टप्पर 3, जाम 3, पा.ला. 1 मकान कच्चे 7, मकान पक्के 8, ढाल 6,			कुआ कच्चा 2, कुआ पक्के 4, सागवन 14, आम 4, बैर 12, नीबू 1 ट्यूब-वेल 8, इमली 1 टप्पर 3 जाम 3, पा.ला. 1.
योग :—	21.571	पनीहारी 2, पक्का आंगन 1, आंगन मंडप 27, पानी की टंकी 1, इमली 1.	योग :—	21.421	

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2012

फा. क्र. 3(ए)-2-2006-इक्कीस-ब (एक).—उपर्युक्त विषयक कृपया रजिस्ट्री के ज्ञापन क्रमांक सी/1563/चार-9-19/49 भाग-9 (जे. औ.) दिनांक 10 फरवरी 2012.

राज्य शासन वर्ष 2013 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका (5) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्ति किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है:—

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी	जन्मतिथि	अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने की अवधि	सेवानिवृत्ति दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री माईकल सेमुअल, अपर जिला न्यायाधीश	7-1-1953	6-1-2013	31-1-2013
2	श्री चन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ, अपर जिला न्या./ विशेष न्यायाधीश.	26-1-1953	25-1-2013	31-1-2013
3	श्री उदय सिंह बेहरावत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश	7-2-1953	6-2-2013	28-2-2013
4	श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश	12-3-1953	11-3-2013	31-3-2013
5	श्री सुरेश कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश	25-3-1953	24-3-2013	31-3-2013
6	श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश	5-4-1953	4-4-2013	30-4-2013
7	श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्याया. कुटुम्ब न्यायालय	30-4-1953	29-4-2013	30-4-2013
8	श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, सदस्य सचिव, (जिला न्यायाधीश).	9-6-1953	8-6-2013	30-6-2013
9	श्रीमती शशि किरण दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश	1-8-1953	31-7-2013	31-7-2013
10	श्री रमेश चन्द्र मालवीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	1-8-1953	31-7-2013	31-7-2013
11	श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश	2-8-1953	1-8-2013	31-8-2013
12	श्री बलवीर सिंह परमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश	31-8-1953	30-8-2013	31-8-2013
13	श्री भगवान दास राठी, प्रिंसीपल रजिस्ट्रार	16-9-1953	15-9-2013	30-9-2013
14	डॉ. अनिल कुमार पारे, निर्देशक लोक अभियोजन	21-9-1953	20-9-2013	30-9-2013
15	श्री दीप कुमार केशरवानी, अपर जिला न्यायाधीश	24-10-1953	23-10-2013	31-10-2013
16	श्री कैलाश चन्द्र गर्ग, जिला न्यायाधीश	25-10-1953	24-10-2013	31-10-2013
17	श्री उल्लास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश	29-12-1953	31-12-2013	31-12-2013
18	श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसीपल रजिस्ट्रार आई.एल.आर.	1-1-1954	31-12-2013	31-12-2013

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2012

फा. क्र. 17 (ई)-43-3835-इक्कीस-ब (एक).—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी की गई पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायाधिकारी, जिनकी पदस्थापना सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट है, उसके कालम (5) में विनिर्दिष्ट ग्राम न्यायालय के लिए प्रत्येक सप्ताह सोमवार एवं शुक्रवार को उसके कालम (4) में विनिर्दिष्ट सिविल जिले के भीतर ग्राम न्यायालय आयोजित किये जाने के लिए नियुक्त करता है, तथा ग्राम न्यायालय का मुख्यालय उसके (सारणी) कालम (6) में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगा:—

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधिकारी अधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थान	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री सुनील मालवी	अलीराजपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर
2	श्री कमलेश कुमार इतवाडिया	जोबट	अलीराजपुर	जोबट	जोबट
3	श्री हिदायत उल्लाह खान	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर
4	श्री संजय पाल सिंह बुंदेला	कोतमा	अनूपपुर	कोतमा	कोतमा
5	श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर
6	श्री दिलीप गुप्ता	चंदेरी	अशोकनगर	चंदेरी	चंदेरी
7	श्री राजदीप सिंह ठाकुर	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट
8	श्री अरूण श्रीवास्तव	सेंधवा	बड़वानी	1. सेंधवा 2. बड़वानी	1. सेंधवा 2. बड़वानी*
9	श्री शशिकांत वर्मा	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बैतूल
10	श्री रामगोपाल प्रजापति	मुलताई	बैतूल	मुलताई	मुलताई
11	श्री रतन कुमार वर्मा	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड
12	श्री गंगा चरण शर्मा	लहार	भिण्ड	लहार	लहार
13	श्री विष्णु कुमार सोनी	भोपाल	भोपाल	भोपाल	भोपाल
14	श्रीमती वंदना जैन	बैरसिया	भोपाल	बैरसिया	बैरसिया
15	श्री राधे श्याम मडिया	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर
16	श्री आनंद प्रिय राहुल	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर
17	श्री मुकेश कुमार डांडी	बिजावर	छतरपुर	बिजावर	बिजावर
18	डॉ. पदमेश शाह	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
19	श्रीमती संषोषी वासनिक	पांढुर्णा	छिन्दवाड़ा	पांढुर्णा	पांढुर्णा
20	श्री ओमप्रकाश रजक	दमोह	दमोह	दमोह	दमोह
21	श्री रघुवीर प्रसाद पटेल	हटा	दमोह	हटा	हटा
22	श्री अनिल कुमार छापरिया	दतिया	दतिया	दतिया	दतिया
23	श्री मुकेश कुमार बाथम	सेवढ़ा	दतिया	सेवढ़ा	सेवढ़ा
24	श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी	देवास	देवास	देवास	देवास
25	श्री साबिर अहमद खान	कन्नौद	देवास	कन्नौद	कन्नौद
26	श्री सुरेश चंद्र पाल	धार	धार	धार	धार
27	श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव	मनावर	धार	मनावर	मनावर
28	श्री सुरेन्द्र मेश्राम	डिन्डौरी	डिन्डौरी	डिन्डौरी	डिन्डौरी
29	श्री मनोज कुमार तिवारी(सीनि.)	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	श्री आलोक कुमार सक्सेना	गुना	गुना	गुना	गुना
31	श्री संजय श्रीवास्तव	चाचौड़ा	गुना	चाचौड़ा	चाचौड़ा
32	श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर
33	श्री प्रदीप सोनी	डबरा	ग्वालियर	डबरा	डबरा
34	श्री पंकज सिंह माहेश्वरी	हरदा	हरदा	हरदा	हरदा
35	श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद
36	श्री शिवबालक साहू	सोहागपुर	होशंगाबाद	सोहागपुर	सोहागपुर
37	श्री संजीव कुमार गुप्ता	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर
38	श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर
39	श्रीमती प्रिति सिंह	पाटन	जबलपुर	पाटन	पाटन
40	श्रीमती गीता सोलंकी	झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ
41	श्री जगदीश चन्द्र राठौर	थांदला	झाबुआ	थांदला	थांदला
42	श्री उमाशंकर अग्रवाल	कटनी	कटनी	कटनी	कटनी
43	श्री तजिन्दर सिंह अजमानी	मण्डला	मण्डला	मण्डला	मण्डला
44	श्री अखिलेश कुमार धाकड़	मन्दसौर	मन्दसौर	मन्दसौर	मन्दसौर
45	श्री राकेश कुमार गोयल	गरोठ	मन्दसौर	गरोठ	गरोठ
46	श्री अरविन्द कुमार (जैन)	मुरैना	मुरैना	मुरैना	मुरैना
47	श्री अरविन्द कुमार गोयल	अम्बाह	मुरैना	अम्बाह	अम्बाह
48	श्री रामसिंह कनौजिया	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
49	श्री नरसिंह बघेल	गाडरवारा	नरसिंहपुर	गाडरवारा	गाडरवारा
50	श्री हेमन्त जोशी	नीमच	नीमच	नीमच	नीमच
51	श्री राजेन्द्र कुमार	मनासा	नीमच	मनासा	मनासा
52	श्री रामप्रताप मिश्रा	पवई	पन्ना	1. पवई	1. पवई
				2. पन्ना	2. पन्ना*
53	श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डे	रायसेन	रायसेन	रायसेन	रायसेन
54	श्री विवेक सिंह रघुवंशी	बरेली	रायसेन	बरेली	बरेली
55	श्री प्रहलाद सिंह केमथिया	ब्यावरा	राजगढ़	1. ब्यावरा	1. ब्यावरा
				2. राजगढ़	2. राजगढ़*
56	श्रीमती प्रिया शर्मा	रतलाम	रतलाम	रतलाम	रतलाम
57	श्री राजेश नन्देश्वर	जावरा	रतलाम	जावरा	जावरा
58	श्री सुधीर सिंह	रीवा	रीवा	रीवा	रीवा
59	श्री उमाशंकर शर्मा	सिरमौर	रीवा	सिरमौर	सिरमौर
60	श्री रामजी गुप्ता	सागर	सागर	सागर	सागर
61	कु. सरिता बाधवानी	खुरई	सागर	खुरई	खुरई
62	श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव	सतना	सतना	सतना	सतना
63	श्री सुजीत कुमार सिंह	नागौद	सतना	नागौद	नागौद
64	श्रीमती नोरिन निगम	सीहोर	सीहोर	सीहोर	सीहोर
65	श्री राजेश कुमार अग्रवाल (जूनि.)	बुदनी	सीहोर	बुदनी	बुदनी
66	श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव	सिवनी	सिवनी	सिवनी	सिवनी
67	श्रीमती कीर्ति कश्यप	लखनादौन	सिवनी	लखनादौन	लखनादौन
68	श्री शरद भामकर	शहडोल	शहडोल	शहडोल	शहडोल
69	श्री खालिद मोहतरम अहमद	जयसिंहनगर	शहडोल	जयसिंहनगर	जयसिंहनगर
70	श्रीमती मनीषा बसेर	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर
71	श्री वैभव मण्डलोई	आगर	शाजापुर	आगर	आगर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
72	श्री अशोक गुप्ता	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर
73	श्री रमेश कुमार मुरालीलाल भगवती	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी
74	श्रीमती नीतू कांता वर्मा	करेरा	शिवपुरी	करेरा	करेरा
75	श्री राकेश कुमार सिंह (जूनि.)	सीधी	सीधी	सीधी	सीधी
76	श्री उमाशंकर कुम्हार	मझौली	सीधी	मझौली	मझौली
77	श्री माखनलाल झोड़	बैढ़न	सिंगरौली	बैढ़न	बैढ़न
78	श्री सतीश कुमार गुप्ता	टीकमगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़
79	श्री प्रदीप कुश्वाह	निवाड़ी	टीकमगढ़	निवाड़ी	निवाड़ी
80	श्री बलराज कुमार पलोदा	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन
81	श्री कमलेश भरकुडिया	महिदपुर	उज्जैन	महिदपुर	महिदपुर
82	श्री माधव राव पटेल	उमरिया	उमरिया	उमरिया	उमरिया
83	श्री विकास भटेले	विदिशा	विदिशा	विदिशा	विदिशा
84	श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर	सिरोंज	विदिशा	सिरोंज	सिरोंज
85	श्री सुर सिंह कन्नोज	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर
86	सूरज सिंह राठौर	भीकनगांव	मण्डलेश्वर	भीकनगांव	भीकनगांव

नोट*—न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सेंधवा, पवई एवं ब्यावरा क्रमशः ग्राम न्यायालय बड़वानी, पन्ना एवं राजगढ़ में स्थित ग्राम न्यायालय में प्रत्येक माह के तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे.

F. No. 17 (E)-43-3835-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints the Nyayadhikari specified in Column (2) whose posting is specified in column (3) of the table below to hold Gram Nyayalaya on Monday and Friday every week for the Gram Nyayalaya specified in Column (5), within the Civil Districts specified in Column (4), and the Headquarter of the Gram Nyayalaya shall be at place specified in Column (6) thereof.

TABLE

S.No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Shri Sunil Malvi	Alirajpur	Alirajpur	Alirajpur	Alirajpur
2	Shri Kamlesh Kumar Itvadia	Jobat	Alirajpur	Jobat	Jobat
3	Shri Hidayatullah Khan	Anuppur	Anuppur	Anuppur	Anuppur
4	Shri Sanjay Pal Singh Bundela	Kotma	Anuppur	Kotma	Kotma
5	Shri Manish Kumar Shrivastava	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar
6	Shri Dilip Gupta	Chanderi	Ashoknagar	Chanderi	Chanderi
7	Shri Rajdeep Singh Thakur	Balaghat	Balaghat	Balaghat	Balaghat
8	Shri Arun Shrivastav	Sendhwa	Barwani	1. Sendhawa 2. Barwani	1. Sendhwa 2. Barwani*
9	Shri Shashikant Verma	Betul	Betul	Betul	Betul
10	Shri Ram Gopal Prajapati	Multai	Betul	Multai	Multai
11	Shri Ratan Kumar Verma	Bhind	Bhind	Bhind	Bhind
12	Smt. Ganga Charan Sharma	Lahar	Bhind	Lahar	Lahar
13	Shri Vishnu Kumar Soni	Bhopal	Bhopal	Bhopal	Bhopal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Smt. Vandana Jain	Berasia	Bhopal	Bcrasia	Berasia
15	Shri Radhe Shyam Madiya	Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur
16	Shri Anand Priya Rahul	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur
17	Shri Mukesh Kumar Dangi	Bijawar	Chhatarpur	Bijawar	Bijawar
18	Shri Padmesh Shah	Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara
19	Smt. Santoshi Vasnik	Pandurna	Chhindwara	Pandurna	Pandurna
20	Shri Om Prakash Rajak	Damoh	Damoh	Damoh	Damoh
21	Shri Raghuvir Prasad Patel	Hatta	Damoh	Hatta	Hatta
22	Shri Anil Kumar Chhapariya	Datia	Datia	Datia	Datia
23	Shri Mukesh Kumar Batham	Seodha	Datia	Seodha	Seodha
24	Shri Suresh Kuamr Suryavanshi	Dewas	Dewas	Dewas	Dewas
25	Shri Sabir Ahmed Khan	Kannod	Dewas	Kannod	Kannod
26	Shri Suresh Chandra Pal	Dhar	Dhar	Dhar	Dhar
27	Smt. Sandhya Manoj Shrivastav	Manawar	Dhar	Manawar	Manawar
28	Shri Surendra Meshram	Dindori	Dindori	Dindori	Dindori
29	Shri Manoj Kumar Tiwari (Sr.)	Khandwa	Khandwa	Khandwa	Khandwa
30	Shri Alok Kumar Saxena	Guna	Guna	Guna	Guna
31	Shri Sanjay Shrivastava	Chachoda	Guna	Chachoda	Chachoda
32	Shri Devendra Pal Singh Gour	Gwalior	Gwalior	Gwalior	Gwalior
33	Shri Pradeep Soni	Dabra	Gwalior	Dabra	Dabra
34	Shri Pankaj Singh Maheshwari	Harda	Harda	Harda	Harda
35	Shri Mahendra Kumar Tripathi	Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad
36	Shri Shiv Balak Sahu	Sohagpur	Hoshangabad	Sohagpur	Sohagpur
37	Shri Sanjeev Kumar Gupta	Indore	Indore	Indore	Indore
38	Shri Sachindera Shrivastava	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur
39	Smt. Preeti Singh	Patan	Jabalpur	Patan	Patan
40	Smt. Geeta Solanki	Jhabua	Jhabua	Jhabua	Jhabua
41	Shri Jagdeesh Chandra Rathore	Thandla	Jhabua	Thandla	Thandla
42	Shri Uma Shankar Agrawal	Katni	Katni	Katni	Katni
43	Shri Tajinder Singh Ajmani	Mandla	Mandla	Mandla	Mandla
44	Shri Akhilesh Kumar Dhakad	Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur
45	Shri Rakesh Kumar Goyal	Garoth	Mandsaur	Garoth	Garoth
46	Shri Arbind Kumar (Jain)	Morena	Morena	Morena	Morena
47	Shri Arvind Kumar Goyal	Ambah	Morena	Ambah	Ambah
48	Shri Ram Singh Kannojiya	Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur
49	Shri Narsingh Baghel	Gadarwara	Narsinghpur	Gadarwara	Gadarwara
50	Shri Hemant Joshi	Neemuch	Neemuch	Neemuch	Neemuch
51	Shri Rajendra Kumar	Manasa	Neemuch	Manasa	Manasa
52	Shri Ram Pratap Mishra	Pawai	Panna	1. Pawai 2. Panna	1. Pawai 2. Panna*
53	Smt. Divyangana Joshi Pandey	Raisen	Raisen	Raisen	Raisen
54	Shri Vivek Singh Raghuvanshi	Bareli	Raisen	Bareli	Bareli
55	Shri Prahlad Singh Kameathiya	Biaora	Rajgarh	1. Biaora 2. Rajgarh	1. Biaora 2. Rajgarh*
56	Smt. Priya Sharma	Ratlam	Ratlam	Ratlam	Ratlam
57	Shri Rajesh Nandeshwar	Jaora	Ratlam	Jaora	Jaora
58	Shri Sudhir Singh	Rewa	Rewa	Rewa	Rrewa
59	Shri Uma Shnakar Sharma	Sirmour	Rewa	Sirmour	Sirmour
60	Shri Ramji Gupta	Sagar	Sagar	Sagar	Sagar
61	Ku. Sarita Wadhwani	Khurai	Sagar	Khurai	Khurai
62	Shri Sandeep Kumar Shrivastava	Satna	Satna	Satna	Satna
63	Shri Sujeet Kumar Singh	Nagod	Satna	Nagod	Nagod
64	Shri Norin Nigam	Sehore	Sehore	Sehore	Sehore

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
65	Shri Rajesh Kumar Agrawal (Jr.)	Budhni	Sehore	Budhni	Budhni
66	Shri Sudeep Kumar Shrivastava	Seoni	Seoni	Seoni	Seoni
67	Smt. Kirti Kashyap	Lakhnadon	Seoni	Lakhnadon	Lakhnadon
68	Shri Sharad Bhamkar	Shahdol	Shahdol	Shahdol	Shahdol
69	Shri Khalid Mohtaram Ahmed	Jaisinghnagar	Shahdol	Jaisinghnagar	Jaisinghnagar
70	Smt. Maneesha Baser	Shajapur	Shajapur	Shajapur	Shajapur
71	Shri Vaibhav Mandloi	Agar	Shajapur	Agar	Agar
72	Shri Ashok Gupta	Sheopur	Sheopur	Sheopur	Sheopur
73	Shri Ramesh Kumar Murarilal Bhagwati.	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri
74	Smt. Neetu Kanta Verma	Karera	Shivpuri	Karera	Karera
75	Shri Rakesh Kumar Singh (Jr.)	Sidhi	Sidhi	Sidhi	Sidhi
76	Shri Uma Shankar Kumhar	Majholi	Sidhi	Majholi	Majholi
77	Shri Makhan Lal Jhod	Waidhan	Singrauli	Waidhan	Waidhan
78	Shri Satish Kumar Gupta	Tikamgarh	Tikamgarh	Tikamgarh	Tikamgarh
79	Shri Pradeep Kushwaha	Niwari	Tikamgarh	Niwari	Niwari
80	Shri Balraj Kumar Paloda	Ujjain	Ujjain	Ujjain	Ujjain
81	Shri Kamlesh Bharkundiya	Mahidpur	Ujjain	Mahidpur	Mahidpur
82	Shri Madhav Rao Patel	Umaria	Umaria	Umaria	Umaria
83	Shri Vikas Bhatele	Vidisha	Vidisha	Vidisha	Vidisha
84	Shri Rajendera Singh Thakur	Sironj	Vidisha	Sironj	Sironj
85	Shri Sur Singh Kannoj	Mandleshwar	Mandleshwar	Mandleshwar	Mandleshwar
86	Shri Suraj Sing Rathore	Bhikangaon	Mandleshwar	Bhikangaon	Bhikangaon

Note.—*Nyayadhikari Gram Nyayalaya Sendhwa, Pawai & Biaora shall hold their sittings on Monday & Friday falling of third & fourth week of every month in Gram Nyayalayas at Barwani, Panna & Rajgarh respectively.

भोपाल, दिनांक 11 मई 2012

फा. क्र. 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक) 1559-12.—मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 मार्च 2012 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)
"7	श्री पंकज गौर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश और विशेष न्यायालय क्रमांक-5 के विशेष न्यायाधीश, विद्युत् अधिनियम, इन्दौर.	विशेष न्यायालय क्रमांक 1, इन्दौर	इन्दौर".

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.

F. No. 17(E)-8-2012-XXI-B(One)-1599-12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalayas Adhiniyam, 2011 (No. 8 of 2012) read with sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in this department's notification F. No.17(E)-8-2012-XXI-B(One), dated 2nd March 2012, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted namely:—

TABLE

S. No.	Name of Judge	Name of Special Court Constituted u/s 3 (1) of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011	Headquarters
(1)	(2)	(3)	(4)
"7.	Shri Pankaj Gaur, Additional Session Judge & Special Judge of Special Court No. 5 Electricity Act, Indore.	Special Court No. 1 Indore	Indore''.

This Notification shall come into force with immediate effect.

फा. क्र. 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक)-1559-12.—मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 मार्च 2012 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	प्राधिकृत अधिकारी का नाम	मुख्यालय का स्थान	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
''7.	श्री पंकज गौर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-5 के विशेष न्यायाधीश, विद्युत् अधिनियम, इन्दौर तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-1, इन्दौर.	इन्दौर	राजस्व जिला देवास, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच और धार का समाविष्ट क्षेत्र.''.

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.

F. No. 17(E)-8-2012-XXI-B(One)-1559-12.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalayas Niyam, 2012, the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in this department's notification F. No. 17(E)-8-2012-

XXI-B(One), dated 2nd March 2012, Namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted namely:—

TABLE

S. No.	Name of Authorised Officer	Place of Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
"7.	Shri Pnakaj Gaur, Additional Session Judge, Special Judge of Special Court No. 5 Electricity Act., Indore and Presiding Judge, Special Court No. 1, Indore.	Indore	Area comprising of revenue districts, Dewas, Ratlam, Shajapur, Ujjain, Mandsaur, Neemuch and Dhar.''.

This Notification shall come into force with immediate effect.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2012

फा. क्र. 17(ई)83-03-3056-इक्कीस-ब(एक)-011-1408-12.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(1), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 6, 10 तथा 21 उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	बालाघाट	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट	सिविल जिला बालाघाट का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 7 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
10.	बैतूल	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल	सिविल जिला बैतूल तथा भैंसदेही का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 11 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
21.	छिन्दवाड़ा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा	सिविल जिला छिन्दवाड़ा का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 22 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).

टिप्पणी.—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

F. No. 17(E)-83-03-3056-XXI-B(One), 011-1408-12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)-83-03-XXI-B(One), dated 16th September, 2010, which was published in Madhya Pradesh Gazette, dated 24th of September, 2010, namely :—

AMENDMENTS

In the said notification, in the Table, for serial numbers 6, 10 and 21 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto, shall be substituted namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	Balaghat	Ist Additional Sessions Judge, Balaghat	All electricity Area of Civil District Balaghat (excluding the jurisdiction of Special Court at serial No. 7).
10.	Betul	Ist Additional Sessions Judge, Betul	All electricity Area of Civil District Betul and Bhaisdhi (excluding the jurisdiction of Special Court at serial No. 11).
21.	Chhindwara	IInd Additional Sessions Judge, Chhindwara	All electricity Area of Civil District Chhindwara (excluding the jurisdiction of Special Court at serial No. 22).".

Note.—The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly Constituted court according to their territorial jurisdiction.

फा. क्र. 17(ई)83-03-3056-इक्कीस-ब(एक)-011-1408-12.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(1), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 6, 10 और 21 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	बालाघाट	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट	श्री आर. पी. गुप्त, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट.
10.	बैतूल	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल	श्री पी. के. मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल.
21.	छिन्दवाड़ा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा	श्री आर. आर. बामनिया, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा.".

F. No. 17(E)-83-03-XXI-B(One)-3056-11-1408-12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)-83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th September, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial number 6, 10 and 21 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto, shall be substituted namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	Balaghat	Ist Additional Sessions Judge, Balaghat	Shri R. P. Gupt, Ist Additional Sessions Judge, Balaghat.
10.	Betul	Ist Additional Sessions Judge, Betul	Shri P. K. Mishra, Ist Additional Sessions Judge, Betul
21.	Chhindwara	IInd Additional Sessions Judge, Chhindwara	Shri R. R. Bamnia, IInd Additional Sessions Judge, Chhindwara.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मई 2012

क्र. 1179-755-12-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिलों के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके (अनुसूची के) क्रमशः (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिलों के नाम	सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शहडोल	शहडोल	1. डॉ. जे.के. तिवारी 2. श्रीमती मेघा पवार
2	जबलपुर	जबलपुर	1. श्री आर.के. पाण्डे 2. श्रीमती सरिता कौरव
3	ग्वालियर	ग्वालियर	1. श्री किशनलाल हिण्डोलिया 2. श्रीमती शैल भटनागर
4	सिवनी	सिवनी	1. श्री दीपक तिवारी 2. श्रीमती रागिनी तिवारी
5	उज्जैन	उज्जैन	1. श्री लोकेन्द्र शर्मा 2. श्रीमती शीतल भागवत.

No. 1179-755-12-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000, the State Government hereby Constitute the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the schedule below, for the Districts as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such boards under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenlile Justice Board & its Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shadhol	Shadhol	1. Dr. J.K. Tiwari 2. Smt. Megha Pawar
2	Jabalpur	Jabalpur	1. Shri R.K. Pandey 2. Smt. Sarita Kaurav
3	Gwalior	Gwalior	1. Shri Kishanlal Hindoliya 2. Smt. Shail Bhatnagar

(1)	(2)	(3)	(4)
4	Seoni	Seoni	1. Shri Deepak Tiwari 2. Smt. Ragini Tiwari
5	Ujjain	Ujjain	1. Shri Lokendra Sharma 2. Smt. Sheetal Bhagwat.

क्र. 1179-755-12-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, (क) नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके (अनुसूची के) कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिये गठन करती है, और (ख) उसके (अनुसूची के) कॉलम (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करती है:—

अनुसूची

अ. क्र.	बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला	अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले (राजस्व जिले)	अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	शहडोल	शहडोल	1. श्री अनिल द्विवेदी	अध्यक्ष
			2. श्री राकेश पाण्डेय	सदस्य
			3. श्रीमती अपर्णा उपाध्याय	सदस्य
			4. श्रीमती सुषमा गुप्ता	सदस्य
			5. श्री नत्थूलाल सोनी	सदस्य
2	जबलपुर	जबलपुर	1. श्री अजय सराफ	अध्यक्ष
			2. श्रीमती नीता गुप्ता	सदस्य
			3. श्री अरूण जैन	सदस्य
			4. श्री के. थीयोफिलस	सदस्य
			5. श्री गोपाल सेठ	सदस्य
3	ग्वालियर	ग्वालियर	1. श्री राजीव कुमार	अध्यक्ष
			2. श्री विजय कुमार पाण्डे	सदस्य
			3. श्री दीपक खरे	सदस्य
			4. श्रीमती शैलजा सिंह	सदस्य
			5. श्रीमती गायत्री दुबे	सदस्य
4	सिवनी	सिवनी	1. श्रीमती अरूणा सिंह	अध्यक्ष
			2. श्री विनोद शुक्ला	सदस्य
			3. डॉ. श्रीमती मौसमी सिंह	सदस्य
			4. श्री अनूप कुमार अवस्थी	सदस्य
			5. श्रीमती ऋतु श्रीवास्तव	सदस्य

No. 1179-755-12-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of the Section 29 of the Juvenile Justic (Care & Protection of Children) Act, 2000 the State Government hereby Constitute the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below for the District as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively, thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committees under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Child Welfare Committees & its District Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Shadhol	Shadhol	1. Shri Anil Dewedi	Chair Person
			2. Shri Rakesh Pandey	Member
			3. Smt. Aparna Upadhayay	Member
			4. Smt. Sushma Gupta	Member
			5. Shri Natthulal Soni	Member
2	Jabalpur	Jabalpur	1. Shri Ajay Saraf	Chair Person
			2. Smt. Neeta Gupta	Member
			3. Shri Arun Jain	Member
			4. Shri K. Thiophilus	Member
			5. Shri Gopal Seth	Member
3	Gwalior	Gwalior	1. Shri Rajiv Kumar	Chair Person
			2. Shri Vijay Kumar Pandey	Member
			3. Shri Deepak Khare	Member
			4. Smt. Shailja Singh	Member
			5. Smt. Gayatri Dubey	Member
4	Seoni	Seoni	1. Smt. Aruna Singh	Chair Person
			2. Shri Vinod Shukla	Member
			3. Dr. Smt. Mausami Singh	Member
			4. Shri Anoop Kumar Awasthi	Member
			5. Smt. Ritu Shrivastava	Member

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनी उइके, अपर सचिव.

नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मई 2012

क्र. एफ-31-17-2010-XXVII-1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23, सन् 1999) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई

सारणी के कालम (5) में यथाविनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कालम (3) तथा (4) में यथाविनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है अर्थात्:—

स. क्र.	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्य का कमाण्ड क्षेत्र		
		ग्रामों की संख्या	विस्तार (हेक्टेयर में)	कृषक संगठनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदा नगर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश के अन्तर्गत पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना का द्वितीय चरण.	30	8506	04

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. रवि, अवर सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मई 2012

क्र. एफ-2-01-2009-ई-चार.—राज्य शासन द्वारा, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 7(1)/ 7(5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश, वित्त निगम, इन्दौर को निम्नलिखित ऋणपत्रों/ऋण पर प्रत्याभूति दी गई थी. मध्यप्रदेश, वित्त निगम द्वारा उक्त, ऋणपत्रों/ऋण की राशि मय ब्याज सहित कुल राशि रुपये 39,26,50,000/- (रुपये उन्नचालीस करोड़ छब्बीस लाख पचास हजार) अदा करने के फलस्वरूप राज्य शासन उक्त ऋणपत्रों/ऋण के लिए प्रदत्त प्रत्याभूति को निरस्त करता है:—

(रुपये लाख में)

क्र.	आदेश क्र. व दिनांक	निहित दर	प्रत्याभूति दी गई	प्रत्याभूति समाप्ति की अवधि	प्रत्याभूति राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	क्रमांक एफ-2-4/2002/ई/चार, दिनांक 21-2-2003.	8.30%	ऋण पत्र	18-2-2012	3761.50
2	557/703/4/एन-3/92, दिनांक 11-2-1992.	12%	ऋण पत्र	12-2-2012	165.00
				कुल . .	3926.50

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय चौबे, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई 2012

क्र. एफ-23-08-11-बत्तीस-1.—मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 2000 (क्रमांक 15 सन् 2001) की धारा 1 उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, सूचित करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर उस सीमा तक जैसा कि उल्लेखित किया गया है सम्यक् रूप से लागू होंगे. साथ ही इन क्षेत्रों में इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु अनुसूची

में इन क्षेत्रों के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी तथा धारा 35 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

क्षेत्र (1)	क्षेत्रों की सीमाएं (2)	सक्षम प्राधिकारी (3)	अपीलीय प्राधिकारी (4)
भोपाल	मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अन्तर्गत अधिसूचित, भोपाल निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भोपाल.	अपर कलेक्टर, भोपाल
इन्दौर	मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अन्तर्गत अधिसूचित, इन्दौर निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इन्दौर.	अपर कलेक्टर, इन्दौर

No. F. 23-08-II-XXXII-1.—In exercise of the power conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Madhya Pradesh Prakoshtha Swamitva Adhiniyam, 2000 (No. I5 of 2001), the State Government hereby inform that the provision of this Act shall come into force in such areas upto the such limits as given in the Schedule below from the date of publication of this Notification in the Official Gazette at once. In addition to it, for implementing the provision of this Act and Rules made there under, appoint the Officers as competent authority under the Section 3(L), 34 and appellate authority under Section 35 as specified for such areas as given in the Schedule:—

SCHEDULE

Area (I)	Limits of Areas (2)	Competent Authority (3)	Appellate Authority (4)
Bhopal	Limits of the Bhopal Planning area, Notified under the Section I3 of M. P. Town & Country Planning Act, 1973.	Sub-Divisional Officer/ Officer's (Revenue) Sub-division, Bhopal.	Additional Collector, Bhopal
Indore	Limits of the Indore Planning area, Notified under the Section I3 of M. P. Town & Country Planning Act, 1973.	Sub-Divisional Officer/ Officer's (Revenue) Sub-division, Indore.	Additional Collector, Indore

भोपाल, दिनांक 21 मई 2012

क्र. एफ-3-173-2011-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23-''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-173-2011-बत्तीस, दिनांक 6 जनवरी 2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित, भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

उपांतरण विवरण

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल एकड़ में	विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भूमि उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पलासी	20/1, 20/2/1	7.18 एकड़ 7.85 एकड़ कुल 15.03 एकड़ में से 10.00 एकड़	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक	आवासीय
		कुल योग . .	10.00 एकड़		

(2) उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन"
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश)

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 मई 2012

क्र. एफ. 67-45-10-तीन-716.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् अशोकनगर, जिला अशोकनगर** के आम निर्वाचन में **श्री विजय कुमार जैन,** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक **श्री विजय कुमार जैन** को निर्वाचन व्ययों का लेखा **जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर** के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री विजय कुमार जैन** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री विजय कुमार जैन** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी कर, **उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर** के माध्यम से दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री विजय कुमार जैन** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्री विजय कुमार जैन** को नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि **"उक्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं** किया गया है. निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा.".

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री विजय कुमार जैन** को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग के कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई गई है, किन्तु अभ्यर्थी **श्री विजय कुमार जैन** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री विजय कुमार जैन** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री विजय कुमार जैन** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 मई 2012

क्र. एफ. 67-45-10-तीन-717.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् अशोकनगर, जिला अशोकनगर** के आम निर्वाचन में **श्री ओम प्रकाश गुप्ता (डब्बू) टायपिस्ट,** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक **श्री ओम प्रकाश गुप्ता (डब्बू) टायपिस्ट** को निर्वाचन व्ययों का लेखा **जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर** के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री ओम प्रकाश गुप्ता (डब्बू) टायपिस्ट** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री ओम प्रकाश गुप्ता (डब्बू) टायपिस्ट** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी कर, **उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर** के माध्यम से दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री ओम प्रकाश गुप्ता (डब्बू) टायपिस्ट** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्री ओम प्रकाश गुप्ता (डब्बू) टायपिस्ट** को नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि ''**उक्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.** निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा.''.

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री ओम प्रकाश गुप्ता (डब्बू) टायपिस्ट** को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई गई है, किन्तु अभ्यर्थी **श्री ओम प्रकाश गुप्ता (डब्बू) टायपिस्ट** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री ओम प्रकाश गुप्ता (डब्बू) टायपिस्ट** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री ओम प्रकाश गुप्ता (डब्बू) टायपिस्ट** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 मई 2012

क्र. एफ. 67-45-10-तीन-718.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् अशोकनगर, जिला अशोकनगर** के आम निर्वाचन में **श्री दिनेशसिंह रघुवंशी,** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक **श्री दिनेशसिंह रघुवंशी** को निर्वाचन व्ययों का लेखा **जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर** के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री दिनेशसिंह रघुवंशी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री दिनेशसिंह रघुवंशी** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी कर, **उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर** के माध्यम से दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री दिनेशसिंह रघुवंशी** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्री दिनेशसिंह रघुवंशी** को नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि ''**उक्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.** निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा.''.

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री दिनेशसिंह रघुवंशी** को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई गई है, किन्तु अभ्यर्थी **श्री दिनेशसिंह रघुवंशी** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री दिनेशसिंह रघुवंशी** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री दिनेशसिंह रघुवंशी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 मई 2012

क्र. एफ. 67-45-10-तीन-719.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् अशोकनगर, जिला अशोकनगर** के आम निर्वाचन में **श्री अनिल शर्मा (अन्नू)**, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक **श्री अनिल शर्मा (अन्नू)** को निर्वाचन व्ययों का लेखा **जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर** के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री अनिल शर्मा (अन्नू)** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री अनिल शर्मा (अन्नू)** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी कर, **उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर** के माध्यम से दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री अनिल शर्मा (अन्नू)** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्री अनिल शर्मा (अन्नू)** को नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि ''**उक्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.** निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा.''.

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री अनिल शर्मा (अन्नू)** को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई गई है, किन्तु अभ्यर्थी **श्री अनिल शर्मा (अन्नू)** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री अनिल शर्मा (अन्नू)** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री अनिल शर्मा (अन्नू)** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 मई 2012

क्र. एफ. 67-45-10-तीन-720.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् अशोकनगर, जिला अशोकनगर** के आम निर्वाचन में **श्री कैलाश त्रिपाठी,** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक **श्री कैलाश त्रिपाठी** को निर्वाचन व्ययों का लेखा **जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर** के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री कैलाश त्रिपाठी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री कैलाश त्रिपाठी** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर के माध्यम से दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री कैलाश त्रिपाठी** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्री कैलाश त्रिपाठी** को नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि **''उक्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.** निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा.''.

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री कैलाश त्रिपाठी** को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई गई है, किन्तु अभ्यर्थी **श्री कैलाश त्रिपाठी** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री कैलाश त्रिपाठी** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री कैलाश त्रिपाठी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 मई 2012

क्र. एफ. 67-45-10-तीन-721.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् अशोकनगर, जिला अशोकनगर** के आम निर्वाचन में **श्री राव वलवंतसिंह यादव,** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक **श्री राव बलवंतसिंह यादव** को निर्वाचन व्ययों का लेखा **जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर** के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री राव वलवंतसिंह यादव** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री राव वलवंतसिंह यादव** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी कर, **उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर** के माध्यम से दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री राव वलवंतसिंह यादव** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्री राव वलवंतसिंह यादव** को नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि ''उक्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा.''.

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री राव वलवंतसिंह यादव** को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई गई है, किन्तु अभ्यर्थी **श्री राव वलवंतसिंह यादव** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री राव वलवंतसिंह यादव** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री राव बलवंतसिंह यादव** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 मई 2012

क्र. एफ. 67-45-10-तीन-722.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् अशोकनगर, जिला अशोकनगर** के आम निर्वाचन में **श्री शहीद मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद** , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक **श्री शहीद मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद** को निर्वाचन व्ययों का लेखा **जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर** के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री शहीद मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री शहीद मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी कर, **उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर** के माध्यम से दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री शहीद मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्री शहीद मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद** को नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि ''उक्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा.''.

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री शहीद मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद** को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई गई है, किन्तु अभ्यर्थी **श्री शहीद मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री शहीद मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री शहीद मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 मई 2012

क्र. एफ. 67-45-10-तीन-723.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् अशोकनगर, जिला अशोकनगर** के आम निर्वाचन में **श्री सलीम खां,** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक **श्री सलीम खां** को निर्वाचन व्ययों का लेखा **जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर** के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री सलीम खां** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री सलीम खां** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी कर, **उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर** के माध्यम से दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री सलीम खां** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्री सलीम खां** को नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि ''उक्त अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा.''.

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री सलीम खां** को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई गई है, किन्तु अभ्यर्थी **श्री सलीम खां** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री सलीम खां** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री सलीम खां** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 मई 2012

क्र. एफ. 67-45-10-तीन-724.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् अशोकनगर, जिला अशोकनगर** के आम निर्वाचन में **श्री जगदीश कुशवाह,** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक **श्री जगदीश कुशवाह** को निर्वाचन व्ययों का लेखा **जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर** के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री जगदीश कुशवाह** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री जगदीश कुशवाह** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी किया गया, **उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर** के प्रतिवेदन दिनांक 3 अक्टूबर 2011 के संलग्न प्राप्त नोटिस की तामीली पर अंकित है कि उक्त अभ्यर्थी ने तामीली लेने से इंकार किया गया है. कारण बताओ नोटिस में **श्री जगदीश कुशवाह** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि **''उक्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.** निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा.''.

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री जगदीश कुशवाह** को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई गई अभ्यर्थी **श्री जगदीश कुशवाह** उक्त दिवस को व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित हुए तथा अभ्यर्थी द्वारा बताया कि उन्होंने व्यय लेखे जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर दिये हैं, किन्तु उनके द्वारा व्यय लेखे जमा करने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री जगदीश कुशवाह** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री जगदीश कुशवाह** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 मई 2012

क्र. एफ. 67-45-10-तीन-725.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के

परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् अशोकनगर, जिला अशोकनगर** के आम निर्वाचन में **श्री जय कुमार साहू (कुनाल)** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक **श्री जय कुमार साहू (कुनाल)** को निर्वाचन व्ययों का लेखा **जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर** के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री जय कुमार साहू (कुनाल)** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री जय कुमार साहू (कुनाल)** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी किया गया **उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर** के प्रतिवेदन दिनांक 3 अक्टूबर 2011 के संलग्न प्राप्त नोटिस की तामीली पर अंकित है कि उक्त अभ्यर्थी ने तामीली लेने से इन्कार किया गया है. कारण बताओ नोटिस में **श्री जय कुमार साहू (कुनाल)** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि ''**उक्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.** निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा.''.

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री जय कुमार साहू (कुनाल)** को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई गई है, किन्तु अभ्यर्थी **श्री जय कुमार साहू (कुनाल)** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री जय कुमार साहू (कुनाल)** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री जय कुमार साहू (कुनाल)** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 मई 2012

क्र. एफ. 67-45-10-तीन-726.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा

विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् अशोकनगर, जिला अशोकनगर** के आम निर्वाचन में **श्री प्रवीण कुमार चौधरी** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक **श्री प्रवीण कुमार चौधरी** को निर्वाचन व्ययों का लेखा **जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर** के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री प्रवीण कुमार चौधरी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री प्रवीण कुमार चौधरी** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी किया गया, **उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर** के प्रतिवेदन दिनांक 3 अक्टूबर 2011 के संलग्न प्राप्त नोटिस की तामीली पर अंकित है कि उक्त अभ्यर्ती ने तामीली लेने से इन्कार किया गया है. कारण बताओ नोटिस में **श्री प्रवीण कुमार चौधरी** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि ''उक्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा.''.

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री प्रवीण कुमार चौधरी** को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई गई है, किन्तु अभ्यर्थी **श्री प्रवीण कुमार चौधरी** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी **श्री प्रवीण कुमार चौधरी** ने आयोग को फैक्स से अपना आवेदन दिनांक 6 मार्च 2012 प्रस्तुत किया है, जिसमें अंकित किया है कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे आने में असमर्थ हैं. इसलिये उन्होंने आयोग से आगे एक मौका देने हेतु निवेदन किया है. अभ्यर्थी **श्री प्रवीण कुमार चौधरी** यदि अस्वस्थ थे तो उन्हें आवेदन के साथ अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना था, लेकिन उन्होंने अस्वस्थ होने संबंधी अपना कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री प्रवीण कुमार चौधरी** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री प्रवीण कुमार चौधरी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 15 मई 2012

क्र. एफ. 67-164-10-तीन-733.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़** के आम निर्वाचन में **डॉ. वीरेन्द्र वंदैया** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. **नगरपालिका परिषद् टीकमगढ़,**

जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा **जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पत्र न.नि./व्यय लेखा/10/406, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **डॉ. वीरेन्द्र वंदैया** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **डॉ. वीरेन्द्र वंदैया** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 फरवरी 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 27 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

डॉ. वीरेन्द्र वंदैया को नोटिस दिनांक 27 मार्च 2010 को तामील हो गया था. अत: उनको दिनांक 11 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 2010 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें अभ्यर्थी ने लेख किया कि "आवेदक चुनाव प्रक्रिया समयावधि में ही बीमार हो गया था जब तक स्वास्थ्य ने सामर्थता रही चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया एवं आंतरिक व्यय लेखा दिनांक 8-12-09 में जिला निर्वाचन कार्यालय टीकमगढ़ पहुंचकर जमा किया है, अंतिम व्यय पत्रक बीमारी अधिक बढ़ जाने पर चुनाव प्रक्रिया में सही तरीके से भाग नहीं ले पाये और इसी कारण व्यय पत्रक भी जमा नहीं कर पाये, मेरे द्वारा चुनाव अभिकर्ता भी नियुक्त नहीं किये गये. अन्तिम व्यय पत्रक इस पत्र के साथ संलग्न है" आयोग ने उक्त अभ्यावेदन के संबंध में कलेक्टर टीकमगढ़ से अभिमत चाहा जिसके पालन में कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 7 मई 2010 में लेख किया कि अभ्यर्थी **डॉ. वीरेन्द्र वंदैया** द्वारा प्रेषित निर्वाचन व्यय लेखा अभिलेख से परिलक्षित होता है कि व्यय लेखा निर्धारित प्रपत्र प्रोफार्मा सहित जमा किया गया परन्तु संबंधित के द्वारा शपथ पत्र सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित नहीं कराया गया. कार्यालयीन अभिलेख अनुसार संबंधित द्वारा निर्धारित अवधि में व्यय लेखा जमा नहीं कराया गया. आयोग के पत्र दिनांक 13 जनवरी 2011 के द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ को अभ्यर्थी के लेखे पूर्ण किये जाने एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र की जांच कर अभ्यावेदन में उल्लिखित तथ्य की स्वीकार्यता/विश्वसनीयता का अभिमत चाहा. कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 13 जनवरी, 2012 में लेख किया कि "श्री वंदैया द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र में संबंधित की Medical inability का कोई उल्लेख नहीं है. अत: विलम्ब क्षम्य प्रतीत नहीं होता है". कलेक्टर टीकमगढ़ से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 19 अप्रैल, 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 24 मई, 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. अभ्यर्थी दिनांक 2 मई 2012 को आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए एवं दिनांक 2 मई 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया. माननीय आयुक्त महोदय द्वारा सुनवाई की गई. सुनवाई में अभ्यर्थी ने विलम्ब से लेखे प्रस्तुत करने के संबंध में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किये गये.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **डॉ. वीरेन्द्र वंदैया** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद्, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 01 (एक वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 15 मई 2012

क्र. एफ. 67-74-10-तीन-736.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् आगर, जिला शाजापुर** के आम निर्वाचन में **श्री अशोक-राधाकिशन मामाजी** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर (अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी 2010 तक), **श्री अशोक-राधाकिशन मामाजी** को निर्वाचन व्ययों का लेखा **जिला निर्वाचन अधिकारी, शाजापुर** के पास दाखिल करना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी शाजापुर के पत्र दिनांक 24-7-2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री अशोक-राधाकिशन मामाजी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री अशोक-राधाकिशन मामाजी** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 18 अगस्त 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शाजापुर के माध्यम से दिनांक 5 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री अशोक-राधाकिशन मामाजी** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्री अशोक-राधाकिशन मामाजी** को नोटिस दिनांक 5 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 सितम्बर 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शाजापुर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 21 अक्टूबर 2010 में लेख किया है कि प्रतिवेदन दिनांक 21 अक्टूबर 2010 तक अभ्यर्थी **श्री अशोक-राधाकिशन मामाजी** द्वारा जिला कार्यालय में कोई निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 7 मार्च 2011 को व्यक्तिगत सुनावई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्री अशोक-राधाकिशन मामाजी** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली **श्री अशोक-राधाकिशन मामाजी** को दिनांक 28 फरवरी 2011 को कराई गई. सूचना पत्र की तामीली उपरान्त अभ्यर्थी **श्री अशोक-राधाकिशन मामाजी** ने अपना अभ्यावेदन आयोग को प्रेषित किया जिसमें भोपाल आने जाने का व्यय, बन्दोबस्त करने व लिखा पढ़ी तैयार करने में समय लगने से अभ्यर्थी द्वारा आयोग से एक और अवसर/आगामी तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया. अतः अभ्यर्थी को पुनः एक और अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 7 जुलाई 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आहूत किया गया. सूचना पत्र की तामीली उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सी.एम.ओ., न.पा.परिषद् आगर के माध्यम से दिनांक 21 जून 2011 को विहित समयावधि में कराई गई. अभ्यर्थी ने पुनः एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया है कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे आयोग में उपस्थित हो सकें. अतः उन्हें व्यय लेखे के संबंध में कुछ नहीं कहना है. अभ्यर्थी **श्री अशोक-राधाकिशन मामाजी से** प्राप्त अभ्यावेदन की जांच कलेक्टर शाजापुर से कराई गई. कलेक्टर ने अभ्यावेदन की जांच कर अपने प्रतिवेदन दिनांक 7 अप्रैल 2012 में अपना अभिमत प्रस्तुत किया कि ''**श्री अशोक पिता राधाकिशन मामाजी** ने अपने अभ्यावेदन के पक्ष में पुनः दिनांक 29 मार्च 2012 को कथन प्रस्तुत किये जिसमें बताया कि नगरपालिका परिषद् आगर के निर्वाचन में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे तथा निर्वाचन में उनके द्वारा रुपये 1500/- प्रतिभूति निक्षेप राशि के रूप में जमा किये थे, जो जप्त हो चुके हैं यही राशि व्यय की है उनके द्वारा प्रचार-प्रसार पर व्यय नहीं किया है. निर्वाचन व्यय लेखा संधारण पंजी प्रदाय की गई थी, किन्तु निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया गया इसलिये पंजी संधारित नहीं की गई. साथ ही पंजी कहीं गुम हो गई है.'' अतः अभ्यर्थी **श्री अशोक-राधाकिशन मामाजी** को निर्वाचन व्यय लेखा समय पर दाखिल नहीं करने के संबंध में म. प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ग अनुसार आगामी कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री अशोक-राधाकिशन मामाजी** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री अशोक-राधाकिशन मामाजी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद्, आगर, जिला शाजापुर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

संशोधित-अधिसूचना

राजगढ़, दिनांक 30 मार्च 2012

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का स. 2 की धारा 2 के खण्ड-एस अन्तर्गत)

क्र. 3429-एस.डब्ल्यू-2012.—कार्यालय अधिसूचना क्रमांक 17770-एस.डब्ल्यू-2011, दिनांक 30-12-2011 में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2(क)-9-08-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 के परिपालन में जिले के भीतर थानों की सीमाओं के निर्धारण करने बाबत् गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 14-3-2012 में सर्वसम्मति से यह तय किया गया है कि वर्तमान में जिला राजगढ़ के विभिन्न थानों/चौकियों की सीमाओं एवं राजस्व सीमाओं में फर्क होने से विभिन्न थानों के कुछ ग्रामों के निवासियों को वर्तमान थाना दूरस्थ स्थित होने से प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, किन्हीं-किन्हीं थाना क्षेत्रों में 2 से अधिक तहसीलों एवं न्यायिक अधिकारिता होने से थानों का कार्य भी प्रभावित होता रहा है एवं आमजन को थाना/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालय/तहसील/न्यायालय हेतु अलग-अलग दिशा में जाना पड़ता है.

अतः, मैं, श्री एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला राजगढ़, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-2 खण्ड-एस के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, प्रदत्त शक्तियों के तहत जिले के संलग्न सूची अनुसार थाना/चौकियों के परिसीमन की संशोधित अधिसूचना जारी करता हूं.

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना कालीपीठ से थाना राजगढ़

क्र.	ग्राम	वर्तमान थाना	वर्तमान थाने से दूरी	वर्तमान तहसील	प्रस्तावित थाना/चौकी	प्रस्तावित थाने से दूरी	प्रस्तावित तहसील	सम्मिलित करने का औचित्य	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	रामपुरिया	कालीपीठ	38	राजगढ़	राजगढ़	28	राजगढ़	थाना राजगढ़ से नजदीक होने से	मान्य
2.	तलावड़ा	कालीपीठ	37	राजगढ़	राजगढ़	27	राजगढ़	—''—	मान्य
3.	पिपलोदी	कालीपीठ	34	राजगढ़	राजगढ़	24	राजगढ़	—''—	मान्य
4.	अलवापुरा	कालीपीठ	32	राजगढ़	राजगढ़	22	राजगढ़	—''—	मान्य
5.	मुंजखेड़ा	कालीपीठ	28	राजगढ़	राजगढ़	18	राजगढ़	—''—	मान्य
6.	बलबहादुरपुरा	कालीपीठ	33	राजगढ़	राजगढ़	26	राजगढ़	—''—	मान्य
7.	छगोड़ा	कालीपीठ	33	राजगढ़	राजगढ़	27	राजगढ़	—''—	मान्य
8.	छान	कालीपीठ	35	राजगढ़	राजगढ़	30	राजगढ़	—''—	मान्य
9.	लक्ष्मीपुरा	कालीपीठ	35	राजगढ़	राजगढ़	21	राजगढ़	—''—	मान्य
10.	पीपलीपुरा	कालीपीठ	35	राजगढ़	राजगढ़	21	राजगढ़	—''—	मान्य
11.	गुराड़खेड़ा	कालीपीठ	35	राजगढ़	राजगढ़	21	राजगढ़	—''—	मान्य
12.	गणेशपुरा	कालीपीठ	34	राजगढ़	राजगढ़	24	राजगढ़	—''—	मान्य
13.	बांकयापुरा	कालीपीठ	34	राजगढ़	राजगढ़	25	राजगढ़	—''—	मान्य
14.	माथनिया	कालीपीठ	35	राजगढ़	राजगढ़	26	राजगढ़	—''—	मान्य
15.	केलघटा	कालीपीठ	36	राजगढ़	राजगढ़	27	राजगढ़	—''—	मान्य
16.	लखदरिया	कालीपीठ	15	राजगढ़	राजगढ़	12	राजगढ़	—''—	मान्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17.	बालापुरा	कालीपीठ	27	राजगढ़	राजगढ़	19	राजगढ़	थाना राजगढ़ से नजदीक होने से एवं वर्षाकाल में नदी पूर होने के कारण ग्रामों में पहुंचना असंभव होने के कारण.	मान्य
18.	दोलतपुरा	कालीपीठ	35	राजगढ़	राजगढ़	25	राजगढ़	—''—	मान्य
19.	पृथ्वीपुरा	कालीपीठ	27	राजगढ़	राजगढ़	20	राजगढ़	—''—	मान्य
20.	भंवरपुरा	कालीपीठ	28	राजगढ़	राजगढ़	21	राजगढ़	—''—	मान्य
21.	तुलसीपुरा (उदपुरिया)	कालीपीठ	26	राजगढ़	राजगढ़	18	राजगढ़	—''—	मान्य
22.	पुरा गुराड़खेड़ा	कालीपीठ	39	राजगढ़	राजगढ़	27	राजगढ़	—''—	मान्य
23.	लालगढ़ बावड़ी	कालीपीठ	20	राजगढ़	राजगढ़	12	राजगढ़	एन.एच. 12 पर स्थित होने से	मान्य
24.	खीमाखेड़ी	कालीपीठ	22	राजगढ़	राजगढ़	14	राजगढ़	एन.एच. 12 पर स्थित होने से	मान्य
25.	खडियापुरा	कालीपीठ	22	राजगढ़	राजगढ़	14	राजगढ़	एन.एच. 12 पर स्थित होने से	मान्य
26.	पीपलबे	कालीपीठ	18	राजगढ़	राजगढ़	10	राजगढ़	एन.एच. 12 पर स्थित होने से	मान्य
27.	हिरनखेड़ी	कालीपीठ	17	राजगढ़	राजगढ़	10	राजगढ़	अजनार नदी होने से	मान्य
28.	मूण्डला	कालीपीठ	16	राजगढ़	राजगढ़	10	राजगढ़	अजनार नदी होने से	मान्य

नोट.—चौकी पिपलोदी के उपरोक्त ग्राम थाना कालीपीठ के अन्तर्गत आते हैं, जिनकी दूरी थाना कालीपीठ से बहुत अधिक है एवं थाना राजगढ़ से अपेक्षाकृत कम है एवं ग्रामीणों को राजगढ़ आने के संसाधन उपलब्ध हैं एवं वर्षाकाल में भी आवागमन का साधन उपलब्ध रहता है. इस प्रकार परिवर्तन से पिपलोदी चौकी क्षेत्र के 28 ग्राम राजगढ़, थाने के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किये जाना प्रस्तावित है.

थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना ब्यावरा से थाना कालीपीठ

क्र.	ग्राम	वर्तमान थाना	वर्तमान थाने से दूरी	वर्तमान तहसील	प्रस्तावित थाना	प्रस्तावित थाने से दूरी	प्रस्तावित तहसील	सम्मिलित करने का औचित्य	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	जलालपुरा	ब्यावरा	15	राजगढ़	कालीपीठ	12	राजगढ़	थाना कालीपीठ के नजदीक	मान्य
2.	केशरपुरा	ब्यावरा	15	राजगढ़	कालीपीठ	12	राजगढ़	थाना कालीपीठ के नजदीक	मान्य
3.	जोगीदाता	ब्यावरा	16	राजगढ़	कालीपीठ	14	राजगढ़	थाना कालीपीठ के नजदीक	मान्य
4.	कस्तूरीपुरा	ब्यावरा	14	राजगढ़	कालीपीठ	12	राजगढ़	थाना कालीपीठ के नजदीक	मान्य
5.	नाईपुरिया	ब्यावरा	12	राजगढ़	कालीपीठ	12	राजगढ़	थाना कालीपीठ के नजदीक	मान्य
6.	सिन्दूरिया	ब्यावरा	10	राजगढ़	कालीपीठ	8	राजगढ़	थाना कालीपीठ के नजदीक	मान्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.	काचरी	ब्यावरा	6	राजगढ़	कालीपीठ	10	राजगढ़	तहसील राजगढ़ होने से	मान्य
8.	बापची	ब्यावरा	5	राजगढ़	कालीपीठ	12	राजगढ़	तहसील राजगढ़ होने से	मान्य
9.	साडाहेडी	ब्यावरा	8	राजगढ़	कालीपीठ	12	राजगढ़	तहसील राजगढ़ होने से	मान्य
10.	कोलूखेड़ा	ब्यावरा	7	राजगढ़	कालीपीठ	12	राजगढ़	तहसील राजगढ़ होने से	मान्य
11.	कीलखेडा	ब्यावरा	7	राजगढ़	कालीपीठ	11	राजगढ़	तहसील राजगढ़ होने से	मान्य
12.	महाबल	ब्यावरा	7	राजगढ़	कालीपीठ	12	राजगढ़	तहसील राजगढ़ होने से	मान्य

नोट.—क्रमांक 1 से लेकर 12 तक ग्राम तहसील राजगढ़ के हैं जो ब्यावरा थाने के अन्तर्गत आते हैं इस कारण थाना ब्यावरा को कार्यपालिक/न्यायायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट के कार्य से राजगढ़ आना पड़ता है, सुविधा की दृष्टि से थाना कालीपीठ के कार्यपालिक/न्यायायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट राजगढ़ ही लगता है इस सुविधा और कार्य सुगमता की दृष्टि से हस्तांतरित किया जा रहा है.

थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना ब्यावरा से थाना राजगढ़

क्र.	ग्राम	वर्तमान थाना	वर्तमान थाने से दूरी	वर्तमान तहसील	प्रस्तावित थाना	प्रस्तावित थाने से दूरी	प्रस्तावित तहसील	सम्मिलित करने का औचित्य	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	लीलबेह	ब्यावरा	11	राजगढ़	राजगढ़	16	राजगढ़	तहसील राजगढ़ होने से	मान्य
2.	खरना	ब्यावरा	12	राजगढ़	राजगढ़	19	राजगढ़	तहसील राजगढ़ होने से	मान्य
3.	गोपालपुरा	ब्यावरा	13	राजगढ़	राजगढ़	20	राजगढ़	तहसील राजगढ़ होने से	मान्य
4.	पडिया	ब्यावरा	12	राजगढ़	राजगढ़	21	राजगढ़	तहसील राजगढ़ होने से	मान्य
5.	सुल्तानपुरा	ब्यावरा	12	राजगढ़	राजगढ़	20	राजगढ़	तहसील राजगढ़ होने से	मान्य

नोट.—उपरोक्त ग्राम तहसील राजगढ़ के हैं जो ब्यावरा थाने के अन्तर्गत आते है इस कारण थाना ब्यावरा को कार्यपालिक/न्यायायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट के कार्य से राजगढ़ आना पड़ता है, सुविधा की दृष्टि से थाना ब्यावरा के कार्यपालिक/न्यायायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट राजगढ़ ही लगता है इस सुविधा और कार्य सुगमता की दृष्टि से हस्तांतरित किया जा रहा है.

थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना भोजपुर से थाना खिलचीपुर

क्र.	ग्राम	वर्तमान थाना	वर्तमान थाने से दूरी	वर्तमान तहसील	प्रस्तावित थाना	प्रस्तावित थाने से दूरी	प्रस्तावित तहसील	सम्मिलित करने का औचित्य	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	नेगडिया	भोजपुर	35	खिलचीपुर	खिलचीपुर	14	खिलचीपुर	नजदीक होने से	मान्य
2.	मायापुरा	भोजपुर	37	खिलचीपुर	खिलचीपुर	13	खिलचीपुर	नजदीक होने से	मान्य
3.	सुखा सेदरा	भोजपुर	34	खिलचीपुर	खिलचीपुर	10	खिलचीपुर	नजदीक होने से	मान्य
4.	पीपलीपुरा	भोजपुर	31	खिलचीपुर	खिलचीपुर	11	खिलचीपुर	नजदीक होने से	मान्य
5.	हरीपुरा नजदीक	भोजपुर	27	खिलचीपुर	खिलचीपुर	07	खिलचीपुर	नजदीक होने से	मान्य
6.	छिपीपुरा	भोजपुर	25	खिलचीपुर	खिलचीपुर	06	खिलचीपुर	नजदीक होने से	मान्य
7.	पुरा छिपीपुरा	भोजपुर	26	खिलचीपुर	खिलचीपुर	06	खिलचीपुर	नजदीक होने से	मान्य
8.	गादिया लोहार	भोजपुर	28	खिलचीपुर	खिलचीपुर	07	खिलचीपुर	नजदीक होने से	मान्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9.	नेस	भोजपुर	12	खिलचीपुर	खिलचीपुर	07	खिलचीपुर	नजदीक होने से	मान्य
10.	दुर्जनपुरा	भोजपुर	11	खिलचीपुर	खिलचीपुर	07	खिलचीपुर	नजदीक होने से	मान्य
11.	मगरा तलावडा	भोजपुर	35	खिलचीपुर	खिलचीपुर	12	खिलचीपुर	नजदीक होने से	मान्य
12.	तलावडा	भोजपुर	36	खिलचीपुर	खिलचीपुर	12	खिलचीपुर	नजदीक होने से	मान्य
13.	बसी तलावडा	भोजपुर	36	खिलचीपुर	खिलचीपुर	12	खिलचीपुर	नजदीक होने से	मान्य
14.	धन्ना तलावडा	भोजपुर	36	खिलचीपुर	खिलचीपुर	12	खिलचीपुर	नजदीक होने से	मान्य
15.	जस्सा तलावडा	भोजपुर	36	खिलचीपुर	खिलचीपुर	12	खिलचीपुर	नजदीक होने से	मान्य
16.	भूतियापुरा	भोजपुर	36	खिलचीपुर	खिलचीपुर	12	खिलचीपुर	नजदीक होने से	मान्य
17.	खण्डारबे	भोजपुर	40	खिलचीपुर	खिलचीपुर	17	खिलचीपुर	नजदीक होने से	मान्य
18.	परसपुरा	भोजपुर	38	खिलचीपुर	खिलचीपुर	16	खिलचीपुर	नजदीक होने से	मान्य
19.	पाटडीखेडा	भोजपुर	42	खिलचीपुर	खिलचीपुर	16	खिलचीपुर	नजदीक होने से	मान्य
20.	मोतीपुरा	भोजपुर	38	खिलचीपुर	खिलचीपुर	14	खिलचीपुर	नजदीक होने से	मान्य
21.	किशनपुरिया	भोजपुर	36	खिलचीपुर	खिलचीपुर	20	खिलचीपुर	नजदीक होने से	मान्य

थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना पचोर से थाना करनवास

क्र.	ग्राम	वर्तमान थाना	वर्तमान थाने से दूरी	वर्तमान तहसील	प्रस्तावित थाना	प्रस्तावित थाने से दूरी	प्रस्तावित तहसील	सम्मिलित करने का औचित्य	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	रलायती	पचोर	25	ब्यावरा	करनवास	07	ब्यावरा	नजदीक होने से	मान्य
2.	कुशलपुरा (बोडा)	पचोर	36	ब्यावरा	करनवास	10	ब्यावरा	नजदीक होने से	मान्य

थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना करनवास से थाना पचोर

क्र.	ग्राम	वर्तमान थाना	वर्तमान थाने से दूरी	वर्तमान तहसील	प्रस्तावित थाना	प्रस्तावित थाने से दूरी	प्रस्तावित तहसील	सम्मिलित करने का औचित्य	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	लालपुरा	करनवास	17	राजगढ़	पचोर	6	पचोर	नजदीक होने से	नवीन पचोर
2.	पदमपुरा	करनवास	10	राजगढ़	पचोर	2	पचोर	नजदीक होने से	तहसील में
3.	हताईखेडा	करनवास	12	राजगढ़	पचोर	3	पचोर	नजदीक होने से	प्रस्तावित.
4.	गंगाहोनी	करनवास	8	राजगढ़	पचोर	3	पचोर	नजदीक होने से	

थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना करनवास से थाना नरसिंहगढ़

क्र.	ग्राम	वर्तमान थाना	वर्तमान थाने से दूरी	वर्तमान तहसील	प्रस्तावित थाना	प्रस्तावित थाने से दूरी	प्रस्तावित तहसील	सम्मिलित करने का औचित्य	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	भैसाना	करनवास	10	नरसिंहगढ़	नरसिंहगढ़	15	नरसिंहगढ़	तहसील नरसिंहगढ़ होने से	मान्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	कराड़ियाखेड़ी	करनवास	11	नरसिंहगढ़	नरसिंहगढ़	14	नरसिंहगढ़	तहसील नरसिंहगढ़ होने से	मान्य
3.	नूनाहेड़ी	करनवास	8	नरसिंहगढ़	नरसिंहगढ़	12	नरसिंहगढ़	तहसील नरसिंहगढ़ होने से	मान्य
4.	हरलाय	करनवास	8	नरसिंहगढ़	नरसिंहगढ़	13	नरसिंहगढ़	तहसील नरसिंहगढ़ होने से	मान्य
5.	किशोरपुर	करनवास	9	नरसिंहगढ़	नरसिंहगढ़	13	नरसिंहगढ़	तहसील नरसिंहगढ़ होने से	मान्य
6.	ताजपुरा	करनवास	11	नरसिंहगढ़	नरसिंहगढ़	15	नरसिंहगढ़	तहसील नरसिंहगढ़ होने से	मान्य
7.	कोलूखेड़ी	करनवास	10	नरसिंहगढ़	नरसिंहगढ़	14	नरसिंहगढ़	तहसील नरसिंहगढ़ होने से	मान्य
8.	जोगीपुरा	करनवास	11	नरसिंहगढ़	नरसिंहगढ़	15	नरसिंहगढ़	तहसील नरसिंहगढ़ होने से	मान्य

नोट.—उपरोक्त ग्राम भैसाना चौकी के अन्तर्गत आते हैं थाना करनवास के अधीन है तथा तहसील नरसिंहगढ़ है. उपरोक्त चौकी भैसाना एवं आने वाले ग्राम को थाना नरसिंहगढ़ दिये जाने से थाना/ एसडीएम कोर्ट एवं न्यायपालिक मजिस्ट्रेट का क्षेत्र नरसिंहगढ़ हो जाने से आमजन को सुविधा होगी.

थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना खुजनेर से थाना करनवास

क्र.	ग्राम	वर्तमान थाना	वर्तमान थाने से दूरी	वर्तमान तहसील	प्रस्तावित थाना	प्रस्तावित थाने से दूरी	प्रस्तावित तहसील	सम्मिलित करने का औचित्य	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	दुपाडिया	खुजनेर	20	राजगढ़	करनवास	6	राजगढ़	नजदीक होने से	मान्य

थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना खुजनेर से थाना पचोर

क्र.	ग्राम	वर्तमान थाना	वर्तमान थाने से दूरी	वर्तमान तहसील	प्रस्तावित थाना	प्रस्तावित थाने से दूरी	प्रस्तावित तहसील	सम्मिलित करने का औचित्य	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	पांदी	खुजनेर	8	पचोर	पचोर	8	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
2.	छायन	खुजनेर	7	पचोर	पचोर	7	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
3.	चिड़लावनिया	खुजनेर	4	पचोर	पचोर	6	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
4.	भीलखेड़ी	खुजनेर	2	पचोर	पचोर	8	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
5.	बाबल्दी	खुजनेर	4	पचोर	पचोर	8	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
6.	भंडावद	खुजनेर	6	पचोर	पचोर	6	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
7.	रायपुरिया	खुजनेर	5	पचोर	पचोर	5	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
8.	सेमलीधाकड़	खुजनेर	8	पचोर	पचोर	4	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
9.	रघुनाथपुरा	खुजनेर	20	राजगढ़	पचोर	6	पचोर	नजदीक होने से	मान्य
10.	गणेशपुरा	खुजनेर	21	राजगढ़	पचोर	7	पचोर	नजदीक होने से	मान्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11.	आमलारोड	खुजनेर	15	पचोर	पचोर	10	पचोर	चौकी उदनखेड़ी (पचोर) से नजदीक होने से.	मान्य
12.	बाबल्दा	खुजनेर	10	पचोर	पचोर	15	पचोर	———"———	मान्य

नोट.—उपरोक्त ग्राम, थाना खुजनेर के अन्तर्गत आते हैं उक्त ग्रामों की तहसील पचोर है यदि उक्त ग्राम थाना पचोर को प्रदाय कर दिये जाते हैं तो थाना/तहसील पचोर हो जायेगी तथा वर्तमान में राजगढ़ न्यायिक क्षेत्र लगता है भविष्य में पचोर में कोर्ट स्थापित होने से उक्त ग्राम का न्यायिक परिक्षेत्र भी पचोर हो जायेगा. सरल क्रमांक 9 एवं 10 के ग्राम वर्तमान में तहसील राजगढ़ तथा प्रस्तावित तहसील पचोर एवं नजदीक होने के कारण थाना पचोर को दिये जाना उचित होगा.

थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना सारंगपुर से थाना पचोर

क्र.	ग्राम	वर्तमान थाना	वर्तमान थाने से दूरी	वर्तमान तहसील	प्रस्तावित थाना	प्रस्तावित थाने से दूरी	प्रस्तावित तहसील	सम्मिलित करने का औचित्य	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	नाराणिया	सारंगपुर	20	पचोर	पचोर	10	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
2.	सुल्तानिया	सारंगपुर	18	पचोर	पचोर	12	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
3.	उदनखेड़ी	सारंगपुर	20	पचोर	पचोर	15	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
4.	छापरा	सारंगपुर	19	पचोर	पचोर	16	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
5.	जोगीपुरा	सारंगपुर	15	पचोर	पचोर	15	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
6.	मकसूदी	सारंगपुर	14	पचोर	पचोर	15	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
7.	ग्वाड़ा	सारंगपुर	14	पचोर	पचोर	16	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
8.	मग्याखेड़ी	सारंगपुर	16	पचोर	पचोर	15	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
9.	सराली	सारंगपुर	18	पचोर	पचोर	20	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
10.	कल्याणपुर	सारंगपुर	20	पचोर	पचोर	15	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
11.	रोस्या	सारंगपुर	20	पचोर	पचोर	10	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
12.	बरूखेड़ी	सारंगपुर	12	पचोर	पचोर	20	पचोर	न्यायायिक अधिकारिता पास होने के कारण.	मान्य

नोट.—उपरोक्त ग्राम उदनखेड़ी चौकी के अन्तर्गत आते हैं थाना सारंगपुर के अधीन है तथा उपरोक्त चौकी उदनखेड़ी एवं आने वाले ग्रामों को थाना पचोर किये जाने से थाना/तहसील पचोर हो जायेंगे तथा वर्तमान में राजगढ़ न्यायिक क्षेत्र लगता है भविष्य में पचोर में कोर्ट स्थापित होने से उक्त ग्राम का न्यायिक परिक्षेत्र भी पचोर हो जायेगा.

थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना सारंगपुर से थाना तलेन

क्र.	ग्राम	वर्तमान थाना	वर्तमान थाने से दूरी	वर्तमान तहसील	प्रस्तावित थाना	प्रस्तावित थाने से दूरी	प्रस्तावित तहसील	सम्मिलित करने का औचित्य	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	आसारेटा पंवार	सारंगपुर	15	पचोर	तलेन	10	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	आसारेटा रावत	सारंगपुर	17	पचोर	तलेन	11	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
3.	नारायणगढ	सारंगपुर	17	पचोर	तलेन	11	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
4.	करोंदी	सारंगपुर	15	पचोर	तलेन	10	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
5.	लाखाखेड़ी	सारंगपुर	15	पचोर	तलेन	9	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
6.	निशाना	सारंगपुर	18	पचोर	तलेन	11	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य
7.	अलूनी	सारंगपुर	19	पचोर	तलेन	12	पचोर	तहसील पचोर होने से	मान्य

नोट.—उपरोक्त ग्राम पढ़ाना चौकी के अन्तर्गत आते हैं थाना सारंगपुर के अधीन हैं तथा चौकी पढ़ाना के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों को थाना तलेन किये जाने से थाना/तहसील थाने तलेन, तहसील पचोर के अन्तर्गत आ जायेंगे तथा वर्तमान में राजगढ़ न्यायिक क्षेत्र लगता है भविष्य में पचोर में कोर्ट स्थापित होने से उक्त ग्राम का न्यायिक परिक्षेत्र भी पचोर हो जायेगा.

थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना तलेन से थाना पचोर (बोड़ा)

क्र.	ग्राम	वर्तमान थाना	वर्तमान थाने से दूरी	वर्तमान तहसील	प्रस्तावित थाना/चौकी	प्रस्तावित थाने से दूरी	प्रस्तावित तहसील	सम्मिलित करने का औचित्य	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	पीपल्या बीरम	तलेन	18	नरसिंहगढ़	बोड़ा चौकी थाना पचोर	7	नरसिंहगढ़	नजदीक होने से	मान्य
2.	कन्डारा कोटरी	तलेन	16	नरसिंहगढ़	बोड़ा चौकी थाना पचोर	9	नरसिंहगढ़	नजदीक होने से	मान्य
3.	चूमली	तलेन	16	नरसिंहगढ़	बोड़ा चौकी थाना पचोर	4	नरसिंहगढ़	नजदीक होने से	मान्य
4.	करवा	तलेन	21	नरसिंहगढ़	बोड़ा चौकी थाना पचोर	3	नरसिंहगढ़	नजदीक होने से	मान्य
5.	तूती	तलेन	20	नरसिंहगढ़	बोड़ा चौकी थाना पचोर	4	नरसिंहगढ़	नजदीक होने से	मान्य
6.	गुराड़िया	तलेन	12	नरसिंहगढ़	बोड़ा चौकी थाना पचोर	8	नरसिंहगढ़	नजदीक होने से	मान्य
7.	ऊमरी	तलेन	15	नरसिंहगढ़	बोड़ा चौकी थाना पचोर	9	नरसिंहगढ़	नजदीक होने से	मान्य
8.	हालयाहेड़ी	तलेन	17	नरसिंहगढ़	बोड़ा चौकी थाना पचोर	10	नरसिंहगढ़	नजदीक होने से	मान्य
9.	हूलखेड़ी	तलेन	20	नरसिंहगढ़	पचोर	13	नरसिंहगढ़	थाना पचोर (बोड़ा) से नजदीक होने से.	मान्य

थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना खुजनेर से थाना राजगढ़

क्र.	ग्राम	वर्तमान थाना	वर्तमान थाने से दूरी	वर्तमान तहसील	प्रस्तावित थाना/चौकी	प्रस्तावित थाने से दूरी	प्रस्तावित तहसील	सम्मिलित करने का औचित्य	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	टोड़री	खुजनेर	25	राजगढ़	राजगढ़	15	राजगढ़	थाना राजगढ़ से नजदीक होने से.	मान्य

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 11 अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन क्र. 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	गरहा	1.092	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12 अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन क्र. 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	निजोर	1.019	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15 अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन क्र. 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई

शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	खंचारी	0.239	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्र. भू-अर्जन-2012-138.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	शुजालपुर	डुंगलाय	0.750	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन शाजापुर.	जेठडा तालाब की नहर हेतु भूमि का अधिग्रहण.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

क्र. भू-अर्जन-2012-139.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	शुजालपुर	मेहरखेडी	0.697	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग शाजापुर.	कालापीपल मेहरखेड़ी मार्ग हेतु ग्राम मेहरखेड़ी की भूमि का अधिग्रहण.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्र. 1707-भू-अ.अ.-2011-12-प्र. क्र. अ-82 वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	वर्धा	कुल भूमि 0.40	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, सागर संभाग सागर.	वर्धा जैतपुर मार्ग के वरैया नाला पर पुल निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
			योग . . 0.40		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा जिला दमोह एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सागर संभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दमोह, दिनांक 7 मई 2012

क्र. क-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	दमोह	चंदौरा	0.91	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह (म. प्र.).	चंदौरा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र में छूटे हुये.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चंदौरा दमोह तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 5 मई 2012

क्र. प्र. भू-अर्जन-3509-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	पिपरिया गोसाई प.ह.नं. 31	33	2.35	कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म. प्र.).	सतधारा जलाशय योजना अंतर्गत संभाग पिपरिया माईनर नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सतधारा जलाशय योजना अंतर्गत पिपरिया माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. प्र. भू-अर्जन-3501-2012-.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	डमरावीर प.ह.नं. 30	9	091	कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म. प्र.).	सतधारा जलाशय योजना अंतर्गत संभाग पिपरिया माईनर नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सतधारा जलाशय योजना अंतर्गत पिपरिया माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 18 मई 2012

क्र. प्र. भू-अर्जन-3788-82-वर्ष-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों

के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा (4) उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/ प. ह. नं.	लगभग क्षेत्रफल कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	रेगाझोली/29	1	2.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर (म. प्र.).	सोनपुर मध्यम परियोजना के सोनपुर फीडर बांध निर्माण हेतु.
सागर	केसली	उमरिया/31	8	6.58	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर (म. प्र.).	सोनपुर मध्यम परियोजना के सोनपुर फीडर बांध निर्माण हेतु.
सागर	केसली	रमगढ़ा/28	1	2.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर (म. प्र.).	सोनपुर मध्यम परियोजना के केसली बांध निर्माण हेतु.
सागर	केसली	भौहारा/27	7	17.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर (म. प्र.).	सोनपुर मध्यम परियोजना के केसली बांध निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना के सोनपुर फीडर बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 25 मई 2012

क्र. क-प्र. भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल कुल ख, नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	कंजेरा प.ह.नं. 22	14	1.84	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म. प्र.).	सतधारा जलाशय योजना के अंतर्गत कंजेरा माईनर नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सतधारा जलाशय योजना अंतर्गत कंजेरा माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 2 मई 2012

क्र. 5877- अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनिय क्षेत्र (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	खैरलांजी	सावरगांव प. ह. नं. 24	0.206 (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर, परियोजना कटंगी, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट.	राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 2 मई 2012

क्र. भू-अर्जन 17 (अ-82)-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्ति को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	मण्डला	मलवाथर प. ह. नं. 53	4.53	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, निवास.	मलवाथर जलाशय अतिरिक्त डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन 18 (अ-82)-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्ति को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	सुरेहली प. ह. नं. 71	0.18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, निवास.	सुरेहली जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वाति मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 7 मई 2012

नस्ती क्र.-59-2012-एलए क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र.-18-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	कोड़ियाखेड़ा	3.14	दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम. पी. एस. ई. बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर.	दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2.800 मे. वा. जल परिवहन एवं मुख्य पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2.800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के जल परिवहन एवं मुख्य पहुंचमार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खंडवा एवं कार्यालय प्रबंध संचालक दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम. पी. एस. ई. बी. काम्पलेक्स रामपुर जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.

नस्ती क्र.-60-2012-एलए क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र.-19-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	कोड़ियाखेड़ा	163.03	दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम. पी. एस. ई. बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर.	दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2.800 मे. वा. में विद्युत् गृह एवं राखड़ बांध के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2.800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के विद्युत् गृह एवं राखड़ बांध के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खंडवा एवं कार्यालय प्रबंध संचालक दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम. पी. एस. ई. बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.

नस्ती क्र.-62-2012-एलए क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र.-20-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सिवरिया	8.15	दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम. पी. एस. ई. बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर.	दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2.800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2.800 मे. वा. विद्युत्गृह के जल परिवहन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खंडवा एवं दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम. पी. एस. ई. बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.

नस्ती क्र.-58-2012-एलए क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र.-21-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	भिलाई	4.97	दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम. पी. एस. ई. बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर.	दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2×800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के जल परिवहन मार्ग एवं मुख्य पहुंचमार्ग निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2×800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के जल परिवहन मार्ग एवं मुख्य पहुँचमार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खंडवा एवं कार्यालय प्रबंध संचालक दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम. पी. एस. ई. बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.

नस्ती क्र.-61-2012-एलए क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र.-22-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सिंधखेड़ा	1.31	दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा शेड शेड नं. 7, एम.पी. एस.ई.बी. काम्प्लेक्स रामपुर, जबलपुर.	दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2×800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2×800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खंडवा एवं कार्यालय प्रबंध संचालक दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम. पी. एस. ई. बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.

नस्ती क्र.-57-2012-एलए क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र.-23-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	बीड़	0.53	दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम. पी. एस. ई. बी. काम्प्लेक्स, रामपुर, जबलपुर.	दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2×800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के मुख्य पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2×800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के मुख्य पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खंडवा एवं कार्यालय प्रबंध संचालक दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम. पी. एस. ई. बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 14 मई 2012

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र.-24-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	गोराड़िया	184.22	दादा धूनी वाले खंडवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम. पी. एस. ई. बी. काम्प्लेक्स, रामपुर, जबलपुर.	दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2×800 मेगावाट ताप विद्युत् परियोजना में विद्युत् गृह एवं राखड़ बांध के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2×800 मेगावाट ताप विद्युत् परियोजना में विद्युत्गृह एवं राखड़ बांध के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खंडवा एवं कार्यालय प्रबंध संचालक दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम. पी. एस. ई. बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 8 मई 2012

प्र. क्र. 10-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	ओरछा	वनगॉय हार	0.009 एवं पक्का कुआ 1	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) निवाड़ी.	दतिया वाहक नहर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—दतिया वाहक नहर हेतु.

(3) ग्राम वनगॉयहार की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के (नक्शा) का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 9 मई 2012

क्र. 481-भू-अर्जन-रीडर-1-2012-प्र. क्र. अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	अलीराजपुर	भुरिया कुआ	6.50	डिप्टी चीफ इन्जीनियर (निर्माण) वेस्टर्न रेलवे (बडौदा).	छोटा उदयपुर-धार हेतु रेलवे लाईन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 9 मई 2012

क्र. 57-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	बझेरा	1.951	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
		योग . .	1.951		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 10 मई 2012

क्र. 3223-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-पिण्डरईसराफ ब. न.-166 प.ह.नं.-01 रा.नि.मं.-चौरई.	रकबा-02.273 एवं उपरोक्त अर्जित की आने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	पिण्डरईसराफ जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3224-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने

के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-गुरैया ब. न.-66, प.ह.नं.-40, रा.नि.मं.-अमावाड़ा-2.	रकबा-08.775 एवं उपरोक्त अर्जित की आने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	मुरैया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 मई 2012

क्र. 1138-भू-अर्जन-कार्य-200.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह

भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	टिकुरी पैपखार	1.017	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत वितरिका नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1140-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	विहरा कोठार	0.538	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1142-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार इसके द्वारा इस

आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	भमरा	4.59	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर, वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1144-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	पिपरा	4.96	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर, वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1146-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	भमरा	11.96	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर, वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर बबईया एवं भमरा माइनर नं. 1 एवं भमरा सब-माइनर नं. 1 एवं 2 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1148-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	सेमरी जागीर	6.32	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर, वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1150-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1)के अनुसार इसके द्वारा इस आशय

की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कुसवार	5.12	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर बबईया एवं भमरा माइनर नं. 1 एवं भमरा सब-माइनर नं. 1 एवं 2 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1152-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बबईया	0.28	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर बबईया एवं भमरा माइनर नं. 1 एवं भमरा सब-माइनर नं. 1 एवं 2 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1156-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	सेमरी जागरी जनानखाना.	0.54	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर बबईया एवं भमरा माइनर नं. 1 एवं सब-माइनर नं. 1 एवं 2 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 11 मई 2012

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-324-ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	गोरखपुर रै. प.ह.नं. 18 रा.नि.मं. शाहपुर.	शीर्ष कार्य निजी भूमि 89 40 60	 0.300 0.170 0.150	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.	गोरखपुर जलाशय योजना शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			61/1	1.910		
			61/2	0.800		
			63/1	0.900		
			63/2	0.240		
			63/3	0.890		
			63/4	0.890		
			65	0.160		
			66	0.160		
			72	0.400		
			73	0.250		
			87	0.860		
			90	0.690		
			91	1.820		
			92	0.770		
			93/1	1.340		
			93/2	0.270		
			93/2	0.270		
			93/4	0.270		
			93/5	0.270		
			93/6	0.270		
			95/1	0.800		
			95/2	0.800		
			97/1	1.230		
			97/2	1.220		
			98	1.850		
			99	0.910		
			100	1.080		
			101	2.870		
			103	4.570		
			105/1	1.620		
			105/2	1.290		
			106/1	1.490		
			106/2	0.400		
			107	0.400		
			108	0.100		
			109	0.100		
			131	1.950		
			132/1	0.530		
			132/2	0.530		
			132/3	0.530		
			132/4	0.210		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			132/5	0.210		
			132/6	0.530		
			133	1.600		
			134	3.220		
			135	1.980		
			136	1.480		
			137	0.710		
			139	1.970		
			141	3.220		
			142	1.730		
			143	1.630		
			144	1.830		
			145/1	1.700		
			145/2	0.180		
			146	0.800		
			154	2.070		
			155	0.700		
			156/1	1.230		
			156/2	1.230		
			157	2.970		
			158	2.560		
				योग . . 72.08		
			नहर कार्य निजी भूमि			
			160/5	0.410		
			162	0.320		
			163/1	0.450		
			165	0.320		
			192/3	0.480		
			194/1	0.420		
				योग . . 2.400		
				कुल योग . . 74.48		
			शासकीय भूमि			
			25, 59, 62, 88, 89, 94, 96, 102, 104, 125, 138, 140, 159	13.260		
				कुल योग . . 87.74		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-325-ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	रनगांव रै. प.ह.नं. 117 रा.नि.मं. समनापुर.	**निजी भूमि**		कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी	रनगांव जलाशय शीर्ष कार्य हेतु.
			300	1.580		
			303/1	1.110		
			303/2	1.080		
			302/1	0.390		
			302/2	0.490		
			302/3	0.290		
			301/1	0.600		
			301/2	0.350		
			301/3	0.350		
			309/1	2.600		
			309/2	0.260		
			309/3	0.260		
			314	2.770		
			315	2.600		
			299/1	0.750		
			299/2	0.750		
			299/3	0.750		
			289	0.150		
			291	0.500		
			297	1.150		
			296	0.600		
			310	1.180		
			311	0.820		
			308	0.450		
			287/1	0.050		
			योग . .	21.880		
			शासकीय भूमि			
			286, 307, 312, 313, 317	1.930		
			कुल योग . .	23.810		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 13 मई 2012

क्र. 251-10-11-प्र. क्र. 1-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की	सार्वजनिक
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किया गया रकबा	उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
रायसेन	रायसेन	मउपथरई	161/3/3	0.129	0.129	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.	नहर निर्माण कार्य
रायसेन	रायसेन	मउपथरई	161/3/1	0.664	0.008	—तदैव—	—तदैव—
			योग . .	0.793	0.137		

भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

रायसेन, दिनांक 14 मई 2012

संशोधन

प्र. क्र. 3-अ-82-10-11-सुल्तानजहांपुर, टेहरी खजूरिया-10-11.—भू-अर्जन अधिकारी, गैरतगंज ने टेहरी जलाशय हेतु दिनांक 29 अगस्त 2011 को भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 की अधिसूचना के प्रकाशन हेतु प्रारूप भेजा था. कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना प्रारूप में निम्न खसरा क्रमांकों एवं रकबों में भिन्नता पायी गई. इस कारण धारा-4 की संशोधित अधिसूचना अनुसूची अनुसार प्रकाशित की जानी है. चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने क्र. (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (9) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को धारा 4(2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	नगर ग्राम	जारी अधिसूचना अनुसार प्रकाशित किये जाने वाले खसरा क्रमांक एवं रकबा			संशोधित जो प्रकाशित होना है (अर्जित की जाने वाली भूमि)		
			खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
रायसेन	गैरतगंज	सुल्तानजहांपुर	–	–	–	155/1	1.491	0.141
						155/2	0.536	0.321
						156/1	1.165	0.121

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
रायसेन	गैरतगंज	सुल्तानजहांपुर				157/1, 159, 160, 161, 162, 170	4.950	0.141
						218/1	1.214	0.065
						224/1/2/1	0.880	0.105
						226	0.894	0.344
						227, 229, 230, 231/2	1.689	0.281
						228	1.619	0.088
						242/1	3.402	0.651
						242/2	3.769	0.560
						248/1	0.893	0.141
			248/3	0.809	0.809	248/3	विलोपित	
			249	0.979	0.979	249	0.979	0.979
						250/1	1.183	0.850
			250/2	1.184	1.184	250/2	1.184	0.445
			251, 253	4.931	4.931	251, 253	4.931	1.244
			252	2.492	2.492	252	2.492	0.969
			254/1/1, 255/1	1.720	1.691	254/1/1, 255/1	विलोपित	
			254/1, 269/2	1.343	1.343	254/1, 269/2	विलोपित	
			254/1/2 255/2	2.513	2.513	254/1/2 255/2	विलोपित	
			254/2	0.405	0.405	254/2	विलोपित	
			260/1	0.404	0.404	260/1	विलोपित	
			260/2	0.450	0.450	260/2	विलोपित	
			256, 257, 258, 259, 261, 262, 263	2.534	2.534	256, 257, 258, 259, 261, 262, 263	0.430	0.430
			264/1/1	1.112	1.112	264/1/1	1.112	0.081
			264/1/2	0.421	0.421	264/1/2	विलोपित	
			264/1/3	1.485	1.485	264/1/3	विलोपित	
			264/1/4	1.586	1.136	264/1/4	विलोपित	
			264/1/5/1	0.522	0.522	264/1/5/1	विलोपित	
			264/1/5/2	1.011	1.011	264/1/5/2	विलोपित	
			264/2	4.504	4.504	264/2	विलोपित	
			264/3	1.619	1.619	264/3	विलोपित	
			264/5, 264/6	4.504	4.504	264/5, 264/6	विलोपित	
			269/1/1/1	0.535	0.535	269/1/1/1	विलोपित	
			269/1/1/2	0.268	0.268	269/1/1/2	विलोपित	
			269/1/1/3	0.267	0.267	269/1/1/3	विलोपित	
			269/1/2	0.526	0.526	269/1/2	विलोपित	
			269/1/3	0.526	0.526	269/1/3	विलोपित	
			योग . .		38.171	योग . .		7.957

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
रायसेन	गैरतगंज	टेहरी	220/1, 224, 225/1	3.159	3.159	220/1, 224, 225/1	विलोपित	
			220/1, 224, 225/2	3.468	3.468	220/1, 224, 225/2	विलोपित	
			220/2	5.348	5.348	220/2	विलोपित	
			221/1, 222/1	1.322	1.322	221/1, 222/1	विलोपित	
			221/2, 222/2	1.834	1.834	221/2, 222/2	विलोपित	
			223/1	0.478	0.478	223/1	विलोपित	
			223/2	0.343	0.343	223/2	विलोपित	
			227	1.157	1.157	227	1.157	0.604
			228, 230, 231, 232, 233	10.103	10.062	228, 230, 231, 232, 233	10.103	8.542
			234	0.219	0.219	234	0.219	0.219
			235	2.564	2.564	235	2.564	2.564
			236	0.849	0.849	236	0.849	0.290
			237, 238/2, 253/2	1.178	1.178	237, 238/2, 253/2	1.178	0.440
			238/1, 253/1, 569/253	4.071	4.071	238/1, 253, 569/253	4.071	3.666
			238/3, 253/2	1.562	1.562	238/3, 253	1.562	1.562
			239	0.729	0.729	239	विलोपित	
			240, 241	0.796	0.796	240, 241	विलोपित	
			241/2	0.171	0.171	241/2	विलोपित	
			242, 243, 244, 245, 247	4.996	4.838	242, 243, 244, 245, 247	4.996	4.693
			249	0.235	0.235	249	0.235	0.235
			251, 252	0.380	0.380	251	0.275	0.275
			–	–	–	252	0.105	0.105
			254, 255, 256	2.328	2.328	254, 255, 256	2.328	2.328
			257	0.364	0.364	257	0.364	0.364
			258, 259/1	1.639	1.639	258/1	0.158	0.158
			–	–	–	259/1	1.481	1.481
			259/2	0.527	0.527	259/2	0.527	0.527
			262, 263, 264, 265	2.603	2.603	262, 263, 264, 265	2.603	2.603
			266	1.275	1.258	266	1.275	1.275
			268	3.253	3.253	268	3.253	3.253
			270, 271, 272, 273, 274	4.156	4.156	270, 271, 272, 273, 274	4.156	4.156
						525, 526	0.716	0.316
						527	0.652	0.652
			529, 530, 531, 532/1	4.525	4.525	529, 530, 531, 532/1	4.525	2.521
						533/1/1, 534, 536, 537, 540, 543, 544, 545/1/1	2.023	0.481

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						533/1/2, 534, 537, 540, 543, 544, 545	2.023	0.281
						533/1/3, 534, 537, 540, 543, 544, 545	2.023	0.722
						533/2, 534, 536, 537, 540, 543, 544, 545.	4.256	1.662
			535	4.039	4.039	535	4.039	3.566
						538/1	1.214	1.086
						538/2/1	1.214	0.963
						538/2/2	1.214	1.214
						539	2.051	0.121
						547, 549/1	1.401	1.140
						547, 549/2	1.401	1.273
						547, 549/3	1.401	1.141
						547, 549/4	1.401	1.034
						547, 549/5	1.404	0.936
						550/1/2, 551, 556/1	2.023	1.100
						551/1/1	2.833	0.160
			योग . .		69.455			59.709
रायसेन	गैरतगंज	खजूरिया	2/2	2.306	1.293	2/2	विलोपित	
			2/3	1.981	1.333	2/3	विलोपित	
			3	0.672	0.672	3	0.672	0.672
			4/1	1.351	1.351	4/1	1.351	1.351
			4/2	0.891	0.891	4/2	0.891	0.891
			5	0.725	0.725	5	0.725	0.725
			6	0.571	0.571	6	0.571	0.571
			7/1	4.859	4.859	7/1	4.859	3.848
			7/2/1	0.441	0.441	7/2/1	0.441	0.441
			7/2/2	2.635	2.635	7/2/2	2.635	1.745
			9	2.910	2.910	9	2.910	2.910
			10	5.412	5.412	10	5.412	1.920
			11/1	1.072	1.072	11/1	1.072	1.072
			11/2	1.072	1.072	11/2	1.072	1.072
			13	3.444	1.216	13	3.444	1.710
						15	1.142	0.648
						25	0.470	0.084
			26	0.733	0.733	26	0.733	0.394
			27	0.271	0.271	27	0.271	0.271
			28/1/1	1.214	1.214	28/1/1	विलोपित	
			28/1/2	1.619	1.619	28/1/2	विलोपित	
			28/2	2.299	1.083	28/2	विलोपित	
						28/2/1	0.963	0.531
						28/2/2	1.336	1.216

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			30	1.971	1.971	30	1.971	1.971
			33	0.539	0.539	33	0.539	0.539
			34	0.393	0.393	34	0.393	0.393
			35	0.380	0.380	35	0.380	0.380
			36/1	1.081	1.081	36/1	1.081	1.081
			36/2	0.497	0.497	36/2	0.497	0.497
			37	0.717	0.717	37	0.717	0.717
			38	2.112	2.112	38	2.112	2.112
			39	0.849	0.849	39	0.849	0.849
			40/1	1.214	1.214	40/1	1.214	1.214
			40/2/1/1	1.214	1.214	40/2/1/1	1.214	0.730
			40/2/1/2/1	5.702	5.702	40/2/1/2/1	5.702	3.498
			40/2/1/2/2	0.405	0.405	40/2/1/2/2	0.405	0.405
			40/2/2	3.667	3.667	40/2/2	3.667	1.344
			46	0.073	0.073	46	विलोपित	
			47	0.032	0.032	47	विलोपित	
			48	0.109	0.109	48	विलोपित	
			49	0.053	0.053	49	विलोपित	
			50	0.077	0.077	50	विलोपित	
			52	0.215	0.215	52	विलोपित	
			54/2	1.214	1.214	54/2	विलोपित	
			54/1/1	1.238	1.238	54/1/1	1.238	0.999
			54/1/2	0.445	0.445	54/1/2	0.445	0.445
			55	2.047	1.778	55	2.047	0.409
			56/1	2.403	2.403	56/1	2.403	1.683
			56/2	0.304	0.304	56/2	0.304	0.304
			57	0.737	0.737	57	0.737	0.737
			58	0.287	0.287	58	0.287	0.287
			59/1	1.037	1.037	59/1	1.037	1.037
			59/2	0.148	0.148	59/2	0.148	0.148
			60	0.855	0.855	60	0.855	0.855
			61	0.340	0.340	61	0.340	0.340
			62	0.049	0.049	62	0.049	0.049
			63	0.587	0.587	63	0.587	0.587
			65	0.138	0.138	65	विलोपित	
			66	0.243	0.243	66	विलोपित	
			67	0.016	0.016	67	विलोपित	
			68	0.012	0.012	68	विलोपित	
			77	0.040	0.040	77	विलोपित	
			81/1	3.036	0.606	81/1	विलोपित	
						83	1.211	0.641
			84	1.343	1.343	84	1.343	1.343
			85	1.011	1.011	85	विलोपित	
			86/1/1/1/1	1.012	1.012	86/1/1/1/1	1.012	1.012

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			86/1/1/1/1/2	0.405	0.405	86/1/1/1/1/2	0.405	0.405
			86/1/1/2/1	0.405	0.405	86/1/1/2/1	0.405	0.405
			86/1/1/2/2	0.607	0.607	86/1/1/2/2	0.607	0.607
			86/1/1/1/3	1.012	1.012	86/1/1/1/2	1.012	1.012
			86/1/2	0.405	0.405	86/1/2	0.405	0.405
			86/2/1	6.005	4.884	86/2/1	6.005	3.235
			86/2/2	0.304	0.304	86/2/2	विलोपित	
			88/1	0.368	0.368	88/1	0.368	0.368
			88/2	0.809	0.809	88/2	0.809	0.809
			89	1.696	1.696	89	1.696	1.696
			90	2.574	2.574	90	2.574	2.453
			91	5.031	5.031	91	5.031	3.590
			92/1	0.809	0.809	92/1	0.809	0.809
			92/2	1.748	1.748	92/2	1.748	1.580
			93/1/1	0.809	0.809	93/1/1	विलोपित	
			93/2/2	1.416	1.416	93/2/2	विलोपित	
			93/2/3	1.416	1.416	93/2/3	विलोपित	
			93/2/4	1.214	1.214	93/2/4	विलोपित	
			93/2/1	1.222	1.222	93/2/1	1.222	0.442
			93/2/5	1.416	1.416	93/2/5	1.416	0.202
			93/2/6	1.416	1.416	93/2/6	1.416	0.121
			94/1	3.313	3.313	94/1	3.313	2.549
			94/2	2.832	2.832	94/2	2.832	1.411
			95/1/1	1.214	1.214	95/1/1	1.214	1.214
			95/1/2	0.83	0.83	95/1/2	0.830	0.830
			95/2	0.405	0.405	95/2	0.405	0.405
			98	2.607	2.607	98	2.607	2.607
			99/1/1	0.162	0.162	99/1/1	0.162	0.162
			99/1/2	1.412	1.412	99/1/2	1.412	1.131
			99/2/1	0.373	0.373	99/2/1	0.373	0.373
			99/2/2	0.032	0.032	99/2/2	0.032	0.032
			100	0.243	-	100	0.243	0.243
			101	3.039	1.660	101	3.039	3.039
			102/1/1/1	1.500	1.500	102/1/1/1	1.500	0.337
			102/1/1/2	1.000	1.000	102/1/1/2	विलोपित	
			102/1/1/3	1.000	1.000	102/1/1/3	1.000	0.181
			102/1/1/4	1.000	1.000	102/1/1/4	1.000	0.128
			102/1/1/5	1.500	1.500	102/1/1/5	1.500	0.196
			102/1/1/6	1.031	1.031	102/1/1/6	विलोपित	
			102/2/1	1.214	1.214	102/2/1	1.214	0.206
			102/2/2	1.214	1.111	102/2/2	1.214	0.456
			102/2/3	1.408	1.172	102/2/3	विलोपित	
			102/2/4	1.416	0.856	102/2/4	विलोपित	
			118/13	1.797	0.177	118/13	विलोपित	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			119/13	1.497	0.889	119/13	1.417	1.417
			120/85	0.344	0.344	120/85	0.344	0.344
			121/90	1.076	1.076	121/90	1.076	1.076
						122/11/1	3.379	1.280
						122/11/2/1	0.283	0.283
						122/11/2/2	0.283	0.283
			123/100/1	0.809	0.809	123/100/1	0.809	0.809
			123/100/2/1	0.809	0.809	123/100/2/1	विलोपित	
			123/100/2/2/1	1.579	1.579	123/100/2/2	1.579	0.736
			123/100/2/2/2	0.660	0.660	123/100/2/2/2	0.660	0.418
				योग . .	131.049			88.154
				महायोग . .	238.675			155.82

नोट—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 14 मई 2012

क्र. 1641-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	नहारपुरा	0.09	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 01, झाबुआ (म. प्र.).	असालिया तालाब नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	0.09		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 17 मई 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-11-12-क्र. 1229-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	सांवेर	चिमली	116.079	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उज्जैन.	सेवरखेड़ी मध्यम जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-11-12-क्र. 2227-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	सांवेर	सिलौदाखुर्द	43.898	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उज्जैन.	सेवरखेड़ी मध्यम जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सांवेर के कार्यालय से किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-11-12-क्र. 1231-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	सांवेर	विलोदानायता	3.080	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उज्जैन.	सेवरखेड़ी मध्यम जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 26 अप्रैल 2012

प्र. क्र.-भू-अर्जन-अ.वि.अ.-01-अ 82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—दतिया

(ख) तहसील—दतिया

(ग) ग्राम—निरावल

(घ) अर्जित क्षेत्रफल—9.42 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
146	0.16
147	0.32
157	1.00
185	0.64
186	0.10
192	0.01
193	0.22
194	0.01
195	0.77
196	0.08
197	0.33
198	0.10
199	0.09
200	0.22
201	0.22
202	0.63
203	0.42
204	0.46
205	0.60
206	0.67
209	0.08
210	0.31
211	0.34
212	0.44
213	0.47
215	0.68
216	0.05
योग . .	9.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—दतिया जिले में हवाई पट्टी के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक देशवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 2 मई 2012

क्र. 10-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—बैहर

(ग) ग्राम—पाण्डुतला, प.ह.नं. 54

(घ) लगभग क्षेत्रफल—87.111 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
निजी भूमि—ग्राम पाण्डुतला	
317	0.143
331/7	0.093
333	0.122
348	0.202

(1)	(2)
331/1क 5	0.211
331/8	0.165
345	0.092
220/2, 3, 342	0.283
332	0.014
344/2 ख	0.405
353/3	0.117
354	3.585
367/2	1.130
375/9 क	1.473
366/4, 3 69	0.283
347/2	0.221
350	0.348
360/1 क	0.019
366/2	0.809
384/3	0.007
352	1.029
364, 365/2, 365/4	1.024
365/1	1.133
365/3	0.540
384/4	0.219
366/1	0.704
366/3	0.445
366/5	0.050
375/2	1.311
374	1.805
375/4	1.052
370/2 च	1.950
367/1	1.489
427/7	0.789
371, 370	2.937
370/1 ख	0.730
370/2 ग	0.243
381	1.193
383	0.308
384/1	2.590
385/2	0.770
372	2.130
375/8	0.513
373	1.829
375/1	4.290
375/3	0.243
386	2.266
375/7	2.217
393, 387/3	0.433
375/5	3.261
375/6	0.190
375/9 ग	0.405
384/2	0.680
375/9 ख	2.023
375/9 घ	0.405
387/1, 2	0.809
387/4	0.247
387/5	0.247
387/6	0.247
387/3	0.930
391/1 क, ख, घ	0.219
394/1	1.008
394/5	0.009
399/5	0.070
409/1	0.987
403	0.380
391/1 क, ख, ग 394/6, 426	1.674
399/4	0.526
402/1	0.781
402/3	0.400
399/6	0.098
402/2	0.251
402/4, 40, 8/2	0.149
400	0.293
402/5	0.308
426/6	0.488
योग :	63.039

शासकीय भूमि—ग्राम पाण्डुतला

334/1	0.222
349	1.757
351	0.105
355	0.299
358	0.050
360/2	0.019
361	0.018
368	0.393
370/2क	1.270
382	0.166
376	4.488
377	3.076
380	0.996

(1)	(2)
388	2.493
389	0.219
390	1.392
399/1	0.894
401	0.756
410/1	0.343
427/1	0.065
429	1.582
440	0.239
439, 443, 453	3.230
योग . .	24.072
निजी भूमि योग	63.039
शासकीय भूमि योग . .	24.072
कुल योग . .	87.111

(2) सार्वजनिक प्रयोजन कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया, जिला मण्डला द्वारा हालोन सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि एवं परियोजना के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 11-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—बैहर

(ग) ग्राम—सेरपार, नेवरगांव, जत्ता रै. प.ह.न. 19 एवं 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल—28.952 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—नेवरगांव-डुबान क्षेत्र	
73/10	योग
73/9	1.020
73/7	1.336
73/11	0.060
73/2	2.125
73/3	1.647
73/4	3.894
73/5	2.631
76/6	1.765
73/8	0.688
योग :	15.388
ग्राम जत्ता रै.—डुबान क्षेत्र	
14/1	3.692
14/2	2.757
योग :	6.449
ग्राम नेवरगांव—बांध क्षेत्र	
73/10	0.163
66/2	0.036
66/2, 3	0.405
73/8	0.121
73/9	0.222
योग :	0.947
ग्राम जत्ता रैं.—बांध क्षेत्र	
14/1	0.562
14/2	0.481
15/2	0.388
15/1	0.736
योग :	2.167
मुख्य नहर के अंतर्गत	
1. ग्राम नेवरगांव	
66/2	0.226
66/1	0.125
53/1	0.032
53/2	0.028
52	0.153
51/2	0.089
51/1	0.080
37/1	0.040
37/2, 54	0.157
40/2	0.121
40/2, 41/4	0.080
40/14	0.161
40/1	0.072
41/3, 41/5 41/2, 3	0.121

(1)	(2)
42	0.137
43	0.141
37/7	0.048
31/1	0.052
31/6	0.060
30/1	0.097
0.040	0.133
27, 26/1	0.133
25/2	0.105
66/3	0.097
67/6	0.089
69/7	0.072
69/3	0.028
55	0.048
योग :	2.814

2. ग्राम शेरपार

68/4	0.069
47/1	0.400
46/3	0.056
योग . .	0.525

3. ग्राम जत्ता रै.

15/2	0.194
12/2	0.083
12/6	0.016
11/5	0.083
11/3	0.069
11/1	0.069
11/2	0.083
11/4	0.065
योग :	0.662
कुल योग . .	28.952

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर द्वारा पद्दीनाला जलाशय के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 3 मई 2012

क्र. 5964-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—होशंगाबाद
(ख) तहसील—डोलरिया
(ग) ग्राम—सोनखेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.144 हैक्टर/0.36 एकड़.

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
169	0.040
170	0.032
172	0.072
योग :	0.144

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सोनखेडी से मिसरोद मार्ग में आने वाली भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 5966-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—होशंगाबाद
(ख) तहसील—डोलरिया

(ग) ग्राम—खरार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.096 हैक्टर/0.24 एकड़.

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
76/1	0.048
76/2	0.048
	योग : 0.096

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सोनखेडी से मिसरोद मार्ग में आने वाली भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 5968-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—होशंगाबाद

(ख) तहसील—डोलरिया

(ग) ग्राम—चंदबाड

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.228 हैक्टर/0.56 एकड़.

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
44	0.172
45	0.056
	योग : 0.228

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सोनखेडी से मिसरोद मार्ग में आने वाली भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 4 मई 2012

प्र. क्र. 50-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—गैरिहार

(ग) ग्राम—चकरसूला नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल —निजी भूमि—1.848 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
9/4	0.012
9/5	0.252
9/7 ख	0.065
9/12/3/1	0.176
9/14/1	0.149
9/14/3	0.077
10/1	0.037
10/2	0.032
10/3	0.035
11/1	0.154
11/2	0.062
12	0.090
34/4	0.110
34/5	0.098
34/9	0.166
49/2	0.205
50	0.128
कुल योग..	1.848

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.—बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की सिंगापुर वितरक नहर की एल 1 माइनर के भू-अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 4 मई 2012

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 549-प्र. क्र. 3-अ-82-2010-11-2113.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—सोहागपुर

(ग) नगर/ग्राम—सेमरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.469 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
106/11	0.050
195/2क	0.016
195/3	0.062
260/2	0.090
283/1	0.029
285/2	0.200
192	0.120
195/2 ख	0.016
259/2	0.096
281/1	0.041
283/2	0.029
195/1	0.067
(1)	(2)
195/2 ग	0.016
260/1	0.090
281/2	0.041
285/1	0.506
कुल योग..	1.469

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हडही जलाशय योजना के नहर कार्य में ग्राम सेमरा की 1.469 हे. निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर जिला शहडोल में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 530-प्र. क्र. 1-अ-82-2011-12-2111.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—जैतपुर

(ग) नगर/ग्राम—जमुडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.730 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
1109/3	0.062
1274/3	0.120
1113/2	0.012
1215	0.086
1242/2	0.018
1110/5	0.019
1113/3	0.012
1214/2	0.086
1216	0.048
1114	0.077
1115	0.024

(1)	(2)
1117	0.072
1241	0.094
कुल योग..	0.730

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—करही जलाशय योजना नहर निर्माण हेतु ग्राम जमुडी की 0.730 हे. निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

क्र.-दस-भू-अर्जन-फा. 529-प्र. क्र. 12-अ-82-2010-11-2112.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—जैतपुर

(ग) नगर/ग्राम—बधवाटोला, भठिया, कोल्हुआ, करचुल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.619 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—बंधवाटोला	
12	0.101
82	0.161
32	0.012
34/2	0.065
73	0.041
13	0.020
27	0.032
34/1	0.065
35	0.028
76	0.048
14	0.081
28/1	0.045

(1)	(2)
28/2	0.045
79/2	0.032
83/2	0.081
योग . .	0.857
ग्राम—भठिया	
96	0.024
100	0.036
109	0.081
126	0.062
131	0.145
144	0.080
145/1ख	0.180
148	0.120
179	0.038
202/1	0.060
239/1	0.072
230/1	0.038
234	0.072
265	0.043
378/2	0.170
98	0.091
101	0.040
112/1	0.144
127/1क	0.105
133/2	0.062
159/1	0.084
145/2	0.180
159/2	0.084
180	0.040
188/1	0.040
202/2	0.060
231/2	0.048
235	0.062

(1)	(2)
266	0.012
129/1क	0.062
99	0.024
103	0.096
125/2	0.048
130/2क	0.040
135/2	0.096
176/1	0.021
147	0.384
176/2	0.022
186	0.040
237/1	0.060
216	0.155
236/2	0.096
264	0.096
237/2 ख	0.060
378/3 क	0.048
425	0.062
1	0.040
2	0.060
योग . .	3.783

ग्राम—कोल्हुआ

761	0.096
764	0.129
योग . .	0.225

ग्राम—करचुल

186/10	0.077
400/1	0.021
189/2	0.073
419/4	0.121
397	0.041
404	0.021
409/2	0.032
412/4	0.041
189/1	0.069
401/2	0.045
193	0.061
422/2	0.202
399	0.061
406/1	0.056
412/2क	0.090
413/1	0.061
367	0.041
421/5	0.202
402/1	0.028
358/3	0.121
423/4ख	0.061
408/2क	0.041
412/3	0.091
413/3क	0.097
योग . .	1.754
कुल योग .	.6.619

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बधवाटोला जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम बधवाटोला की 0.857 हे., ग्राम भठिया की 3.783 हे., ग्राम कोल्हुआ की 0.225 हे., एवं ग्राम करचुल की 1.754 हे. निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 5 मई 2012

क्र. भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—देवरी

(ग) ग्राम—रीछई, प. ह. नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.98 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
199	0.16
200	0.41
201/1	0.55
202	0.32
203	0.07
204/1	0.08
206	0.14
207	0.10
208	0.09
209	0.36
210/3	0.05
231	0.23
232/2	0.18
232/3	0.18
233	0.30
234/1	0.18
356	0.06
358/2	0.06
359/1	0.16
359/2	0.20
361	0.12
386	0.30
387/2	0.23
387/3	0.07
381/1	0.56
415/3	0.30
416/3	0.03
472	0.23
473	0.22
478/3	0.02
385/1	0.02
योग :	5.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—समनापुर जलाशय योजना के नहर निर्माण क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—देवरी

(ग) ग्राम—विलगुवाँ, प. ह. नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.79 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
50/1	0.01
59/2	0.02
53/1	0.77
54/4	0.38
54/5	0.06
60	0.55
योग :	1.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—समनापुर जलाशय योजना के नहर निर्माण क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—देवरी

(ग) ग्राम—रानीताल, प. ह. नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.39 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
13	0.04
74/1	0.02
74/2	0.01

(1)	(2)
74/3	0.15
82	0.37
81/1	0.01
87/2	0.10
88/3	0.16
88/2	0.11
93/2	0.02
90	0.46
91/1	0.07
91/2	0.07
91/3	0.10
81/4	0.33
84/5	0.19
89	0.06
87/1	0.12
कुल योग :	2.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सतधारा जलाशय योजना के रानीताल मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—
(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—देवरी
(ग) ग्राम—डमरावीर, प. ह. नं. 30
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.04 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
135/1	0.02
138/2	0.52
138/4	0.01
138/8	0.26
138/10	0.11
138/11	0.27
137	0.06
146	0.20
149	0.15
148	0.17
150	0.09
152	0.34
153	0.29
155	0.33
कुल योग :	3.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सतधारा जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 15 मई 2012

प्र. क्र. क-34- अ-82-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—
(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—केसली
(ग) ग्राम—भौहारा, प. ह. नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल—78.83 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
20/1	0.04
24/1	0.12
26/1	0.20
152	0.55
20/2	0.04
24/2	0.12
26/2	0.20
29	0.76
30	0.80
74	0.44
31	1.35
32	0.12

(1)	(2)	(1)	(2)
34	0.76	158/1	1.00
39/6	0.02	90/2	0.55
75	0.40	91	0.40
94	0.40	92	0.75
33	0.18	95	1.58
35	0.63	96	0.55
36	1.02	97	0.55
37/2	0.18	98/1	1.08
38/1	0.10	98/2	0.30
38/2	0.10	98/175	1.00
39/1	0.05	98/3	1.08
62	0.20	99	1.82
159	0.23	100	0.21
39/2	0.06	123	0.08
64/2	0.05	137/2	0.56
39/3	0.05	146/2	0.18
71	0.25	147/2	0.71
93	0.79	106/2	0.03
39/4	0.05	108	0.94
65	0.19	114	0.50
153	0.92	109/2	0.20
40/1	1.17	115	0.35
39/5	0.02	118	0.43
40/2	1.17	116/1	2.95
41	0.04	117/1	2.33
42	0.92	139	0.25
102	2.20	141	1.24
163	1.43	117/2	1.09
167	0.12	117/3	1.09
168	0.47	121/2	0.44
44/1	0.01	121/5	0.45
44/2	0.01	128	1.06
44/3	0.01	126	0.08
68/1	0.17	129	1.47
44/4	0.01	130	0.20
49	0.03	132	0.12
66	0.12	137/1	0.56
67	0.57	138	0.93
72	0.35	143/1	1.51
76	0.10	145/2	0.28
105	1.00	146/1	0.19

(1)	(2)
147/1	0.70
147/3	0.40
148	1.35
149	1.56
150	1.32
151	0.47
154/1	3.73
154/2	2.00
154/3	0.80
155	1.91
156	0.12
157	1.97
161/1	1.03
161/2	1.03
161/3	1.03
161/4	1.03
161/5	1.03
162	0.96
164/1	2.00
164/2	2.01
योग :	78.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना में केसली बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 36-अ-82-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—जमुनिया, प. ह. नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.30 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
145/2	0.16
258	0.50
264/2	0.25
261	0.20
262	0.45
265	0.16
266	0.15
267	0.98
268	0.68
270	1.04
271/1	1.50
271/2	0.45
272	1.78
योग :	8.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना में केसली बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 37-अ-82-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—बेढ़ार, प. ह. नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल—44.84 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
52/2	0.04
71	1.00
72	2.77
73	0.05
76	0.40

(1)	(2)
127/1	0.40
129/1	4.57
127/2	1.07
127/3	1.60
128/2	0.95
128/3	0.95
128/4	0.95
130/1	0.69
130/2	0.51
130/3	1.48
130/4	0.51
130/5	0.51
130/6	0.54
130/7	1.01
134/2	0.45
159/2	0.30
134/3	0.45
159/3	0.30
145	0.42
146/1	0.62
146/2	0.60
148	1.27
149/1	1.70
151	1.21
149/2	1.00
150	2.25
154	2.15
152	2.06
153/1	1.45
153/2	1.45
155	1.10
166	1.08
156/1	0.30
167	0.62
156/2	0.30
157/1	0.60
159/1	0.30
161	1.34
164	0.55
165	0.28
168	0.41
169	0.28
योग :	44.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना में केसली बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 38-अ-82-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—घाना, प. ह. नं. 37

(घ) लगभग क्षेत्रफल—75.86 हेक्टयर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
5	0.26
6	0.36
7	0.60
20	0.05
32	0.45
9	1.28
12	0.50
13/2	0.90
13/1	1.10
13/3	0.90
45/1	0.35

(1)	(2)
13/4	0.90
13/5	0.90
13/6	0.86
13/7	0.78
13/8	0.79
13/9	0.34
11/1	0.49
11/2	0.03
15/1	0.48
15/2	1.55
21/1	0.23
22	1.00
16/1	0.83
36	0.55
34/876	0.45
4/872	0.69
31/874	0.34
3/871	0.22
21/2	1.21
24	0.10
26	0.28
27	0.56
28/1	0.20
28/2	0.13
29	0.47
30	0.10
31/1	0.09
31/2	0.10
2	0.22
2/870	0.49
34	0.40
35	0.61
37/1	0.15
39/1	0.18
46/1	0.04
219/1	0.68
37/2	0.18
39/2	0.10
46/2	0.05
219/2	0.68
40	0.15
37/3	0.15
39/3	0.19
46/3	0.04
219/3	0.68
37/4	0.15
39/4	0.19
46/4	0.05
219/4	0.68
37/5	0.15
39/5	0.15
46/5	0.05
219/5	0.68
38	1.17
43	0.19
41	0.80
42/1	0.64
42/2	0.60
44	0.94
45/2	0.03
45/3	0.74
45/4	0.35
47	0.17
52/5	1.00
49	0.22
242/1	0.20
51	0.85
52/1	0.74
60	0.65
98/1	0.46
52/2	0.74
52/4	0.74
98/2	0.81
102	0.64
52/3	0.18
53	1.18
54/1	1.15

(1)	(2)
66/1	0.40
54/2	0.87
55	1.22
56	0.24
59	0.10
74/2	0.54
57/1	0.20
241/1	0.45
57/2	0.19
241/2	0.50
58	0.38
66/2	0.15
70/1	1.00
67/2	0.30
67/3	0.07
68	1.28
52/6	0.74
98/3	0.46
52/7	0.08
70/2	1.54
70/3	1.53
70/4	1.62
70/5	1.83
70/6	0.40
74/1	0.65
71	1.05
72	0.99
73	2.25
74/3	0.65
74/4	0.45
97/1	1.15
97/2	0.33
100	1.32
101	0.04
103	0.10
110	0.64
116/1	0.45
116/2	0.50
118	0.22
119	0.35
218	0.33
240	1.15
406	0.13
111/854	0.47
99/853	0.13
36/852	0.03
238	0.64
239	0.95
242/2	0.30
99	0.14
52/849/1	0.14
52/849/2	0.14
52/849/3	0.14
115/1	0.03
115/2	0.03
115/3	0.04
115/4	0.03
115/5	0.04
115/6	0.03
115/7	0.04
योग :	75.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना में केसली बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 39-अ-82-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—बाकोरी प.ह.नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल—70.40 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
14	0.32
32	0.94
15	0.48
16	0.72
18	0.23
22	1.21
17	0.60
19	0.32
22/605	0.99
20/2	0.86
20/3	0.77
21	1.5
23	0.55
24/1	0.35
26/1	0.65
26/2	0.50
28	0.22
84	0.32
31	0.45
37	0.43
38	0.15
39	2.86
40	0.11
42	0.85
41	0.30
44	0.27
46	0.38
43	1.20
48	0.16
(1)	(2)
60	0.09
45	1.89
47	0.16
55	0.20
59	1.6
246	0.24
49	0.23
53/2	0.10
50	0.43
194	0.77
51	0.49
52/1	0.14
52/2	0.15
53/1	0.33
54	0.44
56	0.20
57	0.42
61	0.60
90	0.10
91	0.07
94	0.11
95	0.22
187	0.47
188	0.47
193/1	1.13
189/1	0.92
189/2	0.91
190/1	0.09
191	1.59
190/2	0.38
193/2	0.22
196	0.91
197/1	0.34
204/1	0.72
195	2.62
198/2	0.40
197/2	0.33
204/2	0.48
198/1	1.42
209/1	1.00
202/2	0.20

(1)	(2)
203	0.46
205	0.43
206/1	0.80
206/2	0.54
207	0.72
206/3	1.20
208	0.35
209/2	0.42
210	1.96
191	1.59
211/1	1.23
211/2	1.23
212/1	0.45
219/2	0.9
220/2	0.86
220/1	0.91
221	0.66
222	0.40
223	0.52
223/599	0.65
224	1.19
244/602	0.07
225	0.35
226	0.64
241	0.42
240/3	0.6
242	0.42
243	0.42
247	0.08
244	1.58
245	1.64
245/603	0.19
249/1	0.35
249/2	0.30
249/3	0.30
249/4	0.84
250/1	0.08
58	2.38
योग :	70.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना में केसली बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 40-अ-82-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—केसली
(ग) ग्राम—रमगढ़ा, प. ह. नं. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.13 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
183	0.03
196/1	0.12
196/2	0.16
196/3	0.11
200/1/2/1	0.03
200/2	0.38
200/3	0.40
200/1/1	0.15
200/5	0.03
221	0.14
222	0.35
225	0.33
223/1	0.16
223/2	0.32
224	0.32
244/2	0.10
248	0.05
249/1	0.28

(1)	(2)
249/2	0.28
257	0.21
258	0.24
259	0.77
260	0.87
263/1	0.11
263/2	0.16
264/1	0.29
264/2	0.30
265	0.44
योग :	7.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना में केसली बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 41-अ-82-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—उमरिया, प.ह.नं. 31

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.33 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
135	0.21
137/1	0.10
137/2	0.22
137/3	0.31
137/4	0.37
137/5	0.12
योग :	1.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना में सोनपुर फीडर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 42-अ-82-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—टडा, प.ह.नं. 34

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.42 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
172	0.16
177/2	0.04
177/1	0.04
177/3	0.04
180/1	0.04
180/2	0.03
180/3	0.03
180/4	0.04
योग :	0.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना में सोनपुर फीडर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 43-अ-82-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—
(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—केसली
(ग) ग्राम—अर्जुनी, प.ह.नं. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.10 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
357/1	0.08
357/2	0.08
358/1	1.19
358/2	1.19
359/1	0.24
359/2	0.25
359/3	0.24
359/4	0.24
353	0.31
333/2	0.10
333/3	0.14
376/2	0.07
376/3	0.07
376/4	0.07
378/1	1.65
378/2	2.14
378/3	0.91
378/4	0.98
378/6	1.40
378/7	0.75
योग :	12.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना में सोनपुर फीडर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 44-अ-82-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—
(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—केसली
(ग) ग्राम—उँटकटा, प.ह.नं. 35
(घ) लगभग क्षेत्रफल—93.94 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1	0.25
93	0.10
169	0.23
62	0.12
63	0.60
70/1	0.98
88/1	0.35
88/2	1.75
89/1	0.45
89/2	0.95
90	1.50
94	0.20
168	0.10
95	0.55
174	0.37
187	0.20
96	0.52
115/2	0.81
97	0.30
99	0.22
101	1.20
117	0.52
118	0.15
164	0.40
336	0.65
337	0.40
103	0.10
182/1	0.33
107	0.10
108	0.12
109	2.60
112	0.77
114	0.92
115/1	0.46
119	0.24
115/3	1.12
116	0.43

(1)	(2)
120	4.44
331	0.67
159	0.10
165	0.75
170	1.80
171	0.14
173	0.50
172/1	0.84
172/2	1.54
175	0.12
334	0.25
176	0.54
195	0.10
177	1.22
178	0.10
180	0.10
181	1.42
182/2	0.33
183	0.31
184	0.07
196/1	0.08
196/2	0.08
196/3	0.15
306	3.20
312	1.75
307	3.10
308	1.38
310	1.38
313/1	0.53
313/2	1.17
318	1.42
314	1.03
321	6.00
324	0.08
315	3.30
316	1.45
328	1.70
317	1.85
329	7.53
319	2.30
320	6.50
338	0.20
326	1.80
327	0.40
332	1.47
333	0.54
335/2	1.85
335/3	1.40
317, 372	2.80
335/4	1.10
योग :	93.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना में सोनपुर फीडर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 45-अ-82-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—ईदलपुर, प.ह.नं. 30

(घ) लगभग क्षेत्रफल—152.52 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
69/2	1.00
194/2	0.77
63/3	0.80
72/1	0.20
72/2	0.20
72/3	0.20
72/4	0.20
73	0.51
71	0.82

(1)	(2)
311/4	0.70
311/6	0.60
311/5	0.40
312	9.00
315	3.81
316	7.49
365	0.54
318	0.32
319	0.32
321	0.66
327	0.34
322	1.26
323/1	0.28
323/2	0.27
323/3	0.28
324/4	0.28
323/5	0.28
323/6	0.28
325	1.09
351/1	0.40
326/1	1.76
351/2	0.40
326/2	1.77
326/3	1.76
328	0.45
330/2	0.06
334/2	7.00
404/2	0.20
320/2	0.21
331	0.99
332	0.13
359	0.20
363/2	0.65
334/3	2.01
335	0.55
336	1.96
363/1	1.25
396	7.09
405	0.14
338	1.14
340	1.59
341	0.06
343	0.48
344	0.67
348	1.73
349	0.60
350	1.90
352/1	0.33
352/2	0.35
352/3	0.34
352/4	0.34
352/5	0.34
352/6	0.35
354	0.60
355	0.32
356	0.85
360	0.49
362	0.38
397	0.10
361	1.61
385	7.44
387	23.00
393	0.21
398	0.21
399	0.50
409	0.59
411	0.38
413	11.06
414	0.66
415	0.60
417	2.51
320/1	0.60
330/1	0.06
334/1	7.29
404/1	0.20
401	0.27
48/424	2.00
406	0.13
407	0.35
410	0.88
49/425	2.01
योग :	152.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना में सोनपुर फीडर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 46-अ-82-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—थावरी, प.ह.नं. 35

(घ) लगभग क्षेत्रफल—37.71 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
217/3	0.05
220	0.24
221/1	0.07
223	0.13
224	0.09
372/399	0.05
222/1	0.05
221/2	0.07
226	0.04
225	0.03
227	0.07
301	0.05
316	0.30
317/1	1.50
321/1	3.37
317/2	0.60
319	5.40
322	2.60
326	1.96
321/2	0.95
321/3	0.95
323	0.80
337	0.55
324	0.08
382	0.85
325	0.60
328/1	2.40
328/2	1.70
330	0.20
329	0.20
339/1	0.15
360/1	1.04
379/1	0.10
372/1	0.32
339/2	0.06
360/2	0.35
373	0.48
379/2	0.10
339/3	0.06
360/3	0.35
372/2	0.20
339/4	0.06
345	0.15
362	0.05
353	0.40
357	0.65
358	0.40
359	0.97
360/4	0.34
361	1.60
363/1	0.29
363/2	0.30
374	0.15
375	0.06
381	0.60
376	0.15
384	0.35
358/403	0.53
337/423	1.50
योग :	37.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना में सोनपुर फीडर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. -47-अ-82-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—रेगाझोली, प. ह. नं. 29

(घ) लगभग क्षेत्रफल—36.48 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
105	0.70
17	1.00
110/2	0.31
165	0.10
115	1.20
156/2	0.50
156/3	0.11
157	0.41
158/2	0.60
161	0.34
160	0.30
163/1	0.88
163/2	0.88
163/3	0.89
163/4	0.88
164	2.15
166	1.35
169	0.24
167	1.70
203	0.85
204	3.04
170/247	0.09
236	1.50
237	1.54
238	1.53
239	1.54
240/1	4.14
243/1	0.20
242/1	0.25
240/2	4.14
243/2	0.11
242/2	0.10
241	0.90
78/253	2.01
योग :	36.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना में सोनपुर फीडर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 8 मई 2012

प्र. क्र. 01-अ-82 वर्ष 2011-12 पत्र क्रमांक 209-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—नरसिंहपुर

(ग) ग्राम—रातोमाटी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—41.068 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
12/2	0.807
12/3	0.628
60	1.437
12/4	1.800
13	1.457
14/2	1.469
14/1	1.469
33	0.510
37	0.364
82/83	0.219
34	0.781
32	0.277
36	1.485
45	1.770
48/1,49/1	1.040
48/2, 49/2	1.040
48/3, 49/3	2.428
51/2	2.394
51/3	2.395
58/59	1.025
65	0.534
73	0.210
61	3.517
62/63	0.639
64/67	0.235
66	0.154
68	1.615
85	1.926
69/1	1.862
69/2	1.214
141	0.448
127/1	1.900
127/2	1.150
132/2	0.270
75	0.741
136	0.210
51/4	0.150
140	0.100
139	0.139
कुल योग :	41.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—आलौद जलाशय एवं वेस्ट वियर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर में किया जा सकता है.

नरसिंहपुर, दिनांक 16 मई 2012

प्र. क्र. 323-प्र. अ.वि.अ.-भू-अर्जन-तेन्दूखेड़ा-2012-दिनांक-02-मई 2012-रा.मा. क्रमांक 01 अ-82 वर्ष 11-12 मौजा बरकुण्डा प. ह. नं. 28.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—तेन्दूखेड़ा

(ग) ग्राम—बरकुण्डा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.165 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
516/2	0.080
515/1	0.020
515/2क	0.040
515/2क में से	0.050
515/2ग	0.050
515/2ख	0.060
544/2	0.056
546/3क	0.105
497/3	0.020
497/2, 545/1	0.024
497/4, 545/3	0.004
546/4	0.024
546/7	0.081
462	0.024
464/3	0.012

(1)	(2)
464/1	0.016
464/2	0.040
465/1	0.004
465/2	0.006
522/7	0.024
522/1	0.022
521/1, 521/3	0.020
288, 289	0.024
285, 286	0.049
621/1, 621/2	0.044
623/1, 625/8, 626/19	0.048
248/2, 249/2, 250/2	0.020
248/1, 249/1, 250/1	0.020
252	0.032
282	0.028
253	0.014
207/2	0.036
210/2	0.048
281, 283	0.024
254, 257	0.020
237, 240/2	0.036
200/2, 201/2	0.020
202/1, 202/2	0.076
203	0.032
229	0.008
228	0.024
213	0.012
212	0.016
207/1	0.016
495/2, 495/4, 496/2	0.045
546/2	0.065
62/5, 63/7	0.012
71	0.080
175/1, 176/2क, 177/2क	0.014
521/4	0.032
56, 57	0.060
62/2, 63/2	0.036
75	0.072
175/3, 175/4, 176/2ग, 176/2 घ, 177/2ग, 177/2 घ	0.020
211/1	0.040
62/2, 63/5	0.032
62/4, 63/6	0.012
174	0.060
175/6, 176/2छ, 177/2छ	0.012
287/1	0.012
181, 182, 177/1, 178/3	0.018
62/3	0.030
70/1	0.008
178/2	0.020
200/1, 201/1	0.024
176/1	0.032
योग :	2.165

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—डोभी, बरकुण्डा, गुटोरी मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 8 मई 2012

क्र. 1 भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—पृथ्वीपुर

(ग) नगर/ग्राम—कुंवरपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर)—71.372 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
376/1	0.203
386	0.103
388	0.219
372/1	0.304
109	0.158
114	0.244
110	0.081
483	0.105
223/1/4	0.235
225/4/2	0.101
217	0.324
218	1.821
254	0.028
255	0.051
259	0.821
178	0.251
179	0.057
180	0.178
181	0.142
182	0.024
183	0.081
184	0.275
185	0.457
186	0.057
187	0.049
188	0.081
359/1	1.012
534/635	0.154
538/2	0.080
209	0.267
113	0.024
208	0.029
212	0.053
213	2.262
210/2	0.751
194	1.353
195	0.322
196	0.002
197	0.138
198	0.162
199	0.142
200	0.271
201	0.081
202	0.466
204/1	1.619
279	0.008
338	0.287
339	0.227
340	0.061
341	0.178
433	0.012
438	0.089
359/2	0.316
287/2	0.034
372/2	0.025
224	0.356
223/2	1.255
265/1	0.203
532	0.107
330	0.002
331	0.019
335	0.057
336	0.061
376/2	0.276
228/1	0.781
258	0.717
275	0.142
22	0.146
35	1.045
287/1	0.050
398	0.008
399	0.049
400	0.008
415	0.129
236/2	1.003
240/2	0.742
235	0.749
618	0.938
223/1/1	0.601
225/2	0.446
236/3	0.586

(1)	(2)	(1)	(2)
240/1	0.261	534/633	0.134
241	0.045	538/1	0.050
242	0.474	539	0.534
243	0.837	160	1.019
244	0.174	161	0.028
382	0.065	162	0.479
383	0.227	261	1.275
389	0.077	262	0.397
420	0.177	263/1	0.809
414	0.146	276	0.308
419	0.016	274	0.156
397	0.032	777	0.259
396	0.077	437	0.101
395	0.012	214/1	0.299
394	0.032	207/2	0.992
469	0.081	207/3	0.034
470	0.138	177/2	1.619
468	0.081	176/1	0.405
471	0.032	248	0.995
474	0.045	251	0.271
475	0.129	252	0.308
476	0.093	253	0.401
462	0.101	256	0.809
464	0.121	257	0.401
465	0.002	146	0.019
456	0.036	147	0.077
457	0.036	148	0.004
484	0.166	149	0.009
460	0.069	150	0.016
466	0.002	151	0.174
467	0.089	152	0.097
453	0.008	153	0.024
454	0.024	154	0.028
455	0.194	155	0.036
459	0.012	156	0.073
447	0.073	157	0.223
448	0.024	402	0.012
449	0.008	403	0.053
430	0.061	406	0.008
431	0.049	412	0.016
427	0.031	413	0.158
409	0.024	265/2/1	0.050
422	0.028	270	0.333

(1)	(2)	(1)	(2)
271	0.077	263/2/1	0.405
272	0.287	434	0.016
278	0.016	401	0.008
280	0.016	404	0.036
281	0.227	405	0.008
282	0.053	407	0.028
283	0.069	418	0.002
372/3	0.215	421	0.154
232/1	0.813	408	0.146
231/1	0.600	228/2	0.486
230/1	0.041	225/5	0.514
229/1	0.101	145/2	0.445
215/1	0.769	265/2/2	0.050
234	0.745	326	0.044
108	0.105	327	0.227
112	0.061	332	0.065
135/2	0.088	333	0.004
163	0.024	334	0.045
164	0.004	533	0.138
165	0.394	525	0.110
166	0.097	526	0.085
167	0.012	530	0.025
168	0.162	223/1/2	0.303
169	0.129	225/3	0.123
170	0.231	225/1	0.361
171	0.368	189	1.023
172	0.227	133	0.585
173	1.069	40	0.057
159/2/1	0.253	44	0.114
264	0.569	45	0.138
461	0.097	46	0.045
450	0.134	47	0.002
458	0.016	48	0.004
159/1	0.405	49	0.043
143/1	0.405	50	0.105
158	0.514	51	0.235
143/2	0.054	52	0.219

(1)	(2)
53	1.129
54	0.214
55	0.148
56	1.338
349	0.879
380	0.219
381	0.032
384	0.002
385	0.182
387	0.024
428	0.008
435	0.032
436	0.429
439	0.154
432	0.097
391	0.073
392	0.028
410	0.017
411	0.024
416	0.151
417	0.008
423	0.002
211	0.751
111	0.101
472	0.097
473	0.012
477/632	0.045
463/631	0.057
451	0.101
452	0.024
214/2	0.975
216	0.089
176/2	1.032
175/2	1.800
योग :	71.372

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—कवाघाट तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2 भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—पृथ्वीपुर

(ग) नगर/ग्राम—बारहों खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.861 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
237/1/1	0.800
237/1/2	0.061
योग :	0.861

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—तिकोनाघाट योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 3-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—पृथ्वीपुर

(ग) नगर/ग्राम—गोराभाटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—24.006 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
13/2/1	0.250
23/1/2	1.000
23/2	1.185
23/3/1	0.300
23/5	2.063
24/1/1	0.800
24/1/2	1.183
24/2	1.862
24/10	0.154
24/3	1.793
24/11	0.210
24/4	0.600
24/12	0.300
24/811	0.150
25/1	0.700
25/2/1	0.500
25/2/2/2	2.000
25/4	1.500
25/6	1.801
25/7	1.255
26/2	1.800
26/3	1.500
29/1/1	0.400
29/1/2	0.500
12/2/1	0.200
योग :	24.006

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—तिकोनाघाट तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 4-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—पृथ्वीपुर

(ग) नगर/ग्राम—पहाड़ी बख्शी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.307 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/1	1.300
2/2	1.300
2/3	0.400
3/1	0.172
4/2	0.350
6/1	0.450
3/2	0.172
4/3	0.350
6/2	0.452
3/3	0.300
4/4/1	0.102
4/4/2	0.303
529/2	1.000
529/1	0.500
531	0.400
533/1	1.136
533/2	1.136
533/3	0.700
534	0.600
540/1	0.050
540/2	0.600
539/2	0.500
542	0.713
543	0.628
544	0.693
545	0.400
546/1	1.000

(1)	(2)
568/1	0.600
568/2	0.800
568/3	0.800
528	0.400
योग :	18.307

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—तिकोनाघाट तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 9-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—पृथ्वीपुर

(ग) ग्राम—खिस्टौन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.213 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1014	0.091
1015	0.051
1016	0.012
1023	0.036
1024ब/1	0.101
1025/1	0.180
1032अ/1	0.040
1032अ/2	0.040
1030	0.016
1031	0.008
1081/1	0.091
1081/2584	0.051
1081/2585	0.025
1521	0.031
1520	0.081
1081/3	0.012
1518	0.016
1506	0.061
1507	0.011
1508	0.101
1497	0.041
1184/2	0.040
1495/अ/2	0.030
1184/4	0.031
1183	0.041
1184/3	0.025
1184/5	0.041
1186	0.061
1484	0.081
1482	0.051
1488/1	0.040
1479/अ	0.021
1474	0.008
1475	0.016
1478	0.016
1473	0.025
1470	0.016
1471	0.016
1815	0.081
1816	0.051
1504/अ	0.011
1505	0.031
1500/6/2	0.012
1503	0.071
1500/6/1	0.041
1496	0.021
1833	0.025
1823	0.008
1831	0.021
1828	0.025
1832/अ	0.025
1032/ब	0.151
योग :	2.213

(2) सतीघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खंडवा, दिनांक 9 मई 2012

क्र. 148-2011-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-08-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 उदघोषणा के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—कोहदड़
(घ) कुल अर्जित रकबा —3.442 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
1360	0.319
1362/2	0.096
1363/1	0.40
1363/2	0.40
1364/2	0.064
1365	0.076
1405/3	0.044
1480	0.080
1474	0.130
688	0.07
1471/1	0.19
1471/2	0.016
1428/1	0.206
1426/2	0.026
1407/2	0.08
1407/4	0.08
1407/5	0.08
1408	0.10
1316	0.07
1314	0.256
1310	0.064
1309	0.08
1308/1	0.20
705	0.02
704/1	0.030
704/2	0.055
703	0.160
699/2	0.050
योग :	3.442

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—छनेरा सिंचाई तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

खंडवा, दिनांक 14 मई 2012

क्र. 12-2012-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-09-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 उदघोषणा के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—सिर्रा
(घ) कुल अर्जित रकबा —6.308 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
597	0.232
598/1	0.079
598/2	0.101
583/2	0.223
579	0.162
641	0.382
567	0.101
566	0.156
564	0.14

(1)	(2)
565	0.262
519	0.14
521	0.197
523	0.188
175/1	0.062
175/2	0.062
175/3	0.062
173	0.131
168	0.175
164	0.066
114	0.044
107	0.066
110/1	0.109
110/2	0.101
110/3	0.066
116	0.109
118	0.079
119	0.166
33	0.026
32	0.030
26	0.164
25/1	0.059
25/2	0.059
25/3	0.059
601	0.330
617	1.000
640	0.120
634	0.320
638	0.160
636	0.320
योग :	6.308

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—नावली तालाब सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10-2012-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-10-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 उदघोषणा के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—नावली
(घ) कुल अर्जित रकबा —3.312 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
168	0.039
164	0.087
174	0.061
176	0.052
177	0.035
181	0.026
182	0.048
184	0.14
186	0.136
188	0.048
189	0.219
528	0.324
530/2	0.030
530/3	0.030
524	0.149
520	0.131
521	0.114
517	0.074
497	0.066
498	0.066
435	0.127
434	0.048
449	0.057
448	0.033
437	0.061
445	0.046
469/2	0.072
469/3	0.028
474	0.001
387	0.009
380/1	0.07
308	0.057

(1)	(2)
316/3	0.046
317	0.136
81/3	0.225
80	0.149
326	0.061
325	0.057
324	0.083
157	0.006
158	0.006
160	0.010
165	0.005
166	0.006
174	0.020
552	0.008
553/1	0.010
योग :	3.312

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—नावली तालाब सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 109-2011-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 11-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 उदघोषणा के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—सहेजला
(घ) कुल अर्जित रकबा —2.64 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
5/2	0.309
8/1	0.001
7/1	0.120
7/2	0.150
84/2	2.00
22	0.06
योग :	2.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—नावली तालाब सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 मई 2012

क्र. 1118-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—गोंदरी नं. 1
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.488 हे.

खसरा नं	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
122/1/2	0.160
122/1/3	0.108

(1)	(2)
26	0.040
53/11	0.120
54	0.050
24	0.010
योग :	0.488

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की गोंदरी माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1120-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) नगर/ग्राम—धवैया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.066 हेक्टेयर.

खसरा नं	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
114/1	0.066
योग :	0.066

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की धवैया वितरक नहर की धवैया माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1122-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजुर
(ग) नगर/ग्राम—भानपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.144 हेक्टेयर.

खसरा नं	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
301/1	0.144
योग :	0.144

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1124-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—शुकुलगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.490 हेक्टेयर.

खसरा नं (1)	रकबा (हे. में) (2)
18/2	0.132
487/1	0.085
488	0.112
489/2	0.024
490	0.030
495(451)	0.014
120/3	0.093
कुल रकबा :	0.490

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना धवैया वितरक नहर की सूरा, धवैया एवं शुकुलगवां माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1126-भू-अर्जन-2011-12.--चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—गोंदरी नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.070 हेक्टेयर.

खसरा नं (1)	रकबा (हे. में) (2)
9	0.010
10	0.025
15	0.035
योग. .	0.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना, क्योंटी नहर की पिपरवार वितरक नहर के अर्न्तगत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1128-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—गोदंहाई कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.236 हेक्टेयर.

खसरा नं (1)	रकबा (हे. में) (2)
31/2/4	0.064
64/1	0.172
योग :	0.236

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की मनगंवा माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1130-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगंवा

(ग) नगर/ग्राम—तिवनी पैपखार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.910 हेक्टेयर.

खसरा नं (1)	रकबा (हे. में) (2)
1166	0.084
1168	0.016
1169	0.020
1170	0.020
1171	0.014
1172	0.006
1173	0.024
1174	0.026
1179	0.044
1180	0.008
1181	0.036
1182	0.032
1194	0.011
1199	0.049
1200	0.005
1205	0.020
1206	0.042
1207	0.013
1806	0.034
1807	0.034
3062/1	0.018
3062/4	0.154
4128/2	0.101
3757	0.099
महायोग :	0.910

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर के अन्तर्गत आलमगंज वितरक नहर एवं पिपवार वितरक नहर की तिवनी माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियां के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1132-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—कोटर

(ग) नगर/ग्राम—पिपराछा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.304 हेक्टेयर.

खसरा नं (1)	अशासकीय भूमि (हे. में) (2)	शासकीय भूमि (हे.में.) (3)
72	0.304	
कुल . .	0.304	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के वितरण मुख्य माइनर एवं सर्वे माइनरों के अन्तर्गत आने वाली निजी/शास. भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1134-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—कोटर

(ग) नगर/ग्राम—लौलाछ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.714 हेक्टेयर.

खसरा नं	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे.में.)
(1)	(2)	(3)
243	0.234	
234	0.056	
225	0.275	
186	0.089	
119	0.170	
117	0.089	
26	0.170	
112	0.163	
111	0.068	
110	0.053	
109	0.113	
665	0.234	
कुल . .	1.714	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के वितरण मुख्य माइनर एवं सर्वे माइनरों के अन्तर्गत आने वाली निजी/शास. भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1136-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—कोटर

(ग) नगर/ग्राम—थोथौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.264 हेक्टेयर.

खसरा नं	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे.में.)
(1)	(2)	(3)
124	0.120	
81	0.144	
कुल . .	0.264	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के वितरण मुख्य माइनर एवं सर्वे माइनरों के अन्तर्गत आने वाली निजी/शास. भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया सकता है.

रीवा, दिनांक 11 मई 2012

पत्र क्र. 1170-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामनगर

(ग) ग्राम—देवरा मोल्हाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—एफ. आर. एल.-एम. डब्ल्यू. एल. के मध्य सम्पत्ति का अर्जन.

खसरा नं	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
601 661	सम्पत्ति के अर्जन हेतु

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1172-भू-अर्जन-रीवा-2012-क्र. भू-अर्जन-85.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—ब्यौहारी

(ग) नगर/ग्राम—जगमल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.4047 हेक्टेयर

खसरा नं	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
99/2 (क)	0.4047
योग . .	0.4047

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—दांयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 10 मई 2012

क्र. 5228-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (मूण्डला तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि) के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—राजगढ़ के ग्राम मूण्डला, खडीयापुरा, लीलबे जागीर, खरना, पडिया, गोपालपुरा, सुल्तानपुरा, मगरियादेह एवं नरसिंहपुरा.

(ग) लगभग क्षेत्रफल—413.599 हेक्टेयर

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम—मूण्डला, क्षेत्रफल 23.891 हेक्टेयर	
295	0.554
296/1	0.910
296/2	0.885
297	1.833
298/1/1	0.401
299/1/1	0.029
300/1/1	0.124
301/1/1	0.278
302/1/1	0.047
298/1/2	0.401
299/1/2	0.029
300/1/2	0.124
301/1/2	0.278
302/1/2	0.047
298/1/3	0.401
299/1/3	0.028
300/1/3	0.123
302/1/3	0.047
298/1/4	0.402
299/1/4	0.028
300/1/4	0.123
301/1/4	0.278
302/1/4	0.048
298/2	0.797

(1)	(2)	(1)	(2)
299/2	0.063	47/1	0.042
300/2	0.240	58/3	0.240
301/2	0.557	58/2	0.240
302/2	0.101	13/5	0.024
303	1.286	58/1	0.241
304	0.043	48/1	0.205
291/3/3	0.104	193	0.076
305	0.510	205	0.038
306	0.220	48/2	0.467
309/7	0.300	53	0.683
309/2	0.995	56	0.176
309/3	2.000	184	0.029
309/4/1	0.900	185	0.144
309/4/2	1.000	192	0.025
309/5	0.500	204	0.025
309/6	0.700	54	0.569
291/3/1	0.108	55	0.228
291/3/2	0.104	207	0.067
291/3/4	0.100	59	0.392
291/4/5	0.402	59/254	0.139
291/4/6	0.530	62/2	0.418
291/4/2	0.368	69/2	0.063
291/18	0.357	186	0.027
291/20	1.620	200	0.481
309/13	0.400	201	0.202
309/14	0.305	202	0.304
309/15	0.305	72	0.168
301/1/3	0.278	194/6	0.180
309/1	1.000	196/3	0.044
309/16	0.280	196/6	0.032
		196/9	0.113
ग्राम—खंडीयापुरा, क्षेत्रफल 15.850 हेक्टेयर		197	0.797
11	0.325	194/1	0.328
12	0.215	194/4	0.180
49	0.343	196/1	0.044
50	0.961	196/4	0.032
57	1.567	196/7	0.114
60	1.290	199/2	0.260
70	0.038	194/2	0.220
71	0.612	194/5	0.180
10/1	0.203	196/2	0.044
203/1	0.012	196/5	0.032
10/2	0.494	196/8	0.117
203/2	0.013	199/1	0.259

(1)	(2)
51	0.848
194/3	0.240

ग्राम—लीलबे जागीर, क्षेत्रफल 37.734 हेक्टेयर

1	1.759
2	3.718
3	1.126
5	0.607
8	0.658
10	0.405
18/10	0.076
33	0.038
7	1.151
9	0.316
11	0.493
12	0.139
13	2.034
18/11	0.025
28/1	1.636
28/2	1.680
28/3	0.560
29	2.820
30	0.772
42/3	0.087
31	0.987
32	0.202
34	0.051
35	0.316
31/55/3	0.649
36	0.139
42/2	0.490
45	0.114
46/1/3	0.202
41	0.772
42/1	1.277
43/2	0.095
44/2	0.095
46/1/1	0.139
46/1/2	0.139
47/3/1	0.316
46/2/2	0.632
46/2/3	0.126
46/2/4	0.127
11/56	0.025

(1)	(2)
17	0.443
18/7/1	0.821
18/6/1	0.506
18/6/2	0.974
18/7/2	1.328
18/8/2	0.506
37	1.391
39/1	0.423
43/1	0.095
44/1	0.095
46/2/1	0.632
47/3/3	0.051
39/2	0.525
51/12	0.161
31/55/2	0.649
31/55/1	0.649
18/9	0.038
40	0.885
18/8/1	0.253
47/3/2	0.316

ग्राम—खरना, क्षेत्रफल 94.339 हेक्टेयर

3/1	0.291
4/2	0.728
9/1	0.247
29	0.284
96/2	0.250
97/2	0.518
98/2	0.160
99	0.038
133	0.063
140/1	0.019
141/2	0.130
170/2	0.164
266/2	0.190
267/2	0.260
3/2	0.291
4/1	0.727
9/2	0.257
27/1	0.266
28/1	0.312
96/1	0.250
97/1	0.514
98/1	0.232

(1)	(2)
140/2	0.019
141/1	0.110
143	0.063
170/1	0.165
171/1	0.100
172	0.292
34/1/1	0.228
35/1/1	0.215
36/1/1	0.131
151/1	0.084
152/1	0.034
14	1.973
30	1.543
31	0.582
157	0.013
158	0.342
159	0.051
160	0.329
165	0.342
244	0.544
15/1	0.473
15/2/2	0.126
16/1	0.144
17/1	0.712
18/1	0.632
19/1	0.126
16/2	0.144
18/2	0.506
19/2	0.127
18/3	0.126
19/3	0.126
25/1	0.151
207/1	0.664
25/2	0.607
145	0.063
146	0.253
57/1	0.183
206/1/1	0.418
57/2	0.184
61	0.183
176/1/1	0.032
230/1	0.210
231/1	0.594
247/1	0.346

(1)	(2)
147/1	0.076
150/1	0.067
152/3	0.034
101/1	0.095
101/2	0.297
103/1	0.101
103/2	0.164
105/1	0.050
105/2	0.050
106	0.051
107	0.050
126	0.050
128	0.101
171/3	0.126
220/1	0.607
223	0.177
224	0.772
130	0.025
173	0.025
266/1	0.189
267/1	0.259
5/1	0.260
8/1	0.530
15/3	0.472
5/2	0.260
8/2	0.278
15/2/1	0.110
5/3	0.265
8/3	0.532
6/1	0.380
7/1	0.729
6/2/1	0.126
32/2/4	0.700
148/276/2/1	0.145
175/1/1	0.069
177/2/1	0.028
242/2	0.518
243/2/1	0.066
269/2/1	0.193
270/2/1	0.192
6/2/2	0.253
41/2	0.278
42/2	0.778
166/2/2	0.074

(1)	(2)
175/1/2	0.070
148/276/2/2	0.146
243/2/2	0.739
269/2/2	0.194
270/2/2	0.192
6/3/1	0.190
7/3/1	0.364
32/3/1	0.350
41/3/1	0.045
42/3/1	0.296
166/8/1	0.217
207/2	0.100
26	1.292
49	0.278
50	0.772
51	0.236
52	0.266
238	0.658
129	0.038
155	0.519
179	0.038
180	0.013
32/1	0.700
41/1	0.278
42/1	0.059
156	0.025
166/1	0.314
242/1	0.519
243/1	0.805
148/276/1	0.135
269/1	0.386
270/1	0.383
271/1	0.812
272	0.620
33/1/1	0.198
47/1/1	0.022
48/1/1	0.162
55/1	0.076
56/1/1	0.060
59/1/1	0.044
60/1/1	0.134
33/1/2	0.198
47/1/2	0.021
48/1/2	0.162
55/2	0.076
56/1/2	0.069
59/1/2	0.045
60/1/2	0.134
131	0.051
132	0.038
135/1	0.100
142/2	0.095
168/1	0.089
178/1	0.095
225/2	0.475
226/2	1.549
227/2	0.980
228/2	0.418
229/2	0.152
234/2	0.139
235/2	0.746
237	1.151
250/2	0.089
142/1	0.095
168/2	0.088
169/2	0.133
178/2	0.095
225/1	0.474
226/1	1.549
227/1	1.233
228/1	0.417
135/2	0.100
229/1	0.152
234/1	0.139
235/1	0.747
236	0.632
250/1	0.088
134	0.025
139/1	0.025
139/2	0.013
148/1	0.093
149/1	0.093
163/1	0.127
230/3	0.211
232/1	0.278

(1)	(2)
175/2/1	0.020
242/3/1	0.260
243/3/1	0.403
269/3/1	0.192
270/3/1	0.575
271/2/1	0.157
166/3/2	0.218
175/2/2	0.035
242/3/2	0.259
243/3/2	0.259
270/3/2	0.576
271/2/2	0.157
6/3/2	0.189
7/3/2	0.365
35/3/2	0.349
41/3/2	0.070
42/3/2	0.296
8/4	0.253
9/3	1.265
10/1	0.852
11/1	0.498
13/1	0.303
176/3	0.063
10/2	0.426
11/2	0.248
12/2	0.764
13/2	0.152
34/2	0.228
35/2	0.215
36/2	0.131
147/2	0.038
148/2	0.046
149/2	0.056
150/2	0.034
151/2	0.042
152/2	0.034
176/2	0.064
33/2	0.396
47/2	0.042
48/2	0.325
56/2	0.139
59/2	0.089
60/2	0.410
33/3	0.397
47/3	0.042
48/3	0.325
56/3	0.139
59/3	0.089
60/3	0.246
34/1/2	0.227
35/1/2	0.215
36/1/2	0.130
161/1	0.076
162/1	0.052
164/1	0.118
176/1/2	0.031
37/1	0.417
38/1	0.208
43/2	0.506
44/1	0.300
44/4	0.300
174/1	0.088
37/2	0.279
38/2	0.209
44/2	0.300
44/5	0.300
45	0.063
46	0.076
174/2	0.089
39/1	0.023
260	0.121
261	0.253
39/2	0.053
40	0.316
233/1	0.059
268/1	0.160
153	0.025
154	0.051
161/2	0.038
162/2	0.030
163/2	0.063
164/2	0.059
167	0.164
169/1	0.133

(1)	(2)
206/2	0.191
263	0.139
211	0.556
212	0.212
213/1	0.011
215/1	0.177
216/1/1	0.030
219/1	0.120
213/2	0.075
215/2	0.354
216/1/2	0.122
219/2	0.411
262	0.266
214	0.557
216/2	0.152
217	0.218
218	0.190
220/2	0.759
221/1	0.373
221/2	0.373
227/3	0.253
239	1.063
240	1.037
241	1.025
245	0.177
252/1	1.492
252/2	0.344
230/2	0.211
231/2	0.304
232/2	0.139
233/2	0.030
247/2	0.173
268/2	0.080
12/1	0.329
43/1/1	0.443
43/1/2	0.303
144	0.025
43/2/2	0.253
44/3	0.614
53	1.227
54	0.202
253	0.200
256/1	0.800
252/3	0.200
256/2	0.893
257	0.100
248	0.696
251	0.670

ग्राम—पडिया, क्षेत्रफल 7.028 हेक्टेयर

13/1/1	0.137
15/1	0.063
17/1	0.285
18/1	0.095
24/1	0.009
24/2	0.004
13/1/2	0.045
15/2	0.021
17/2	0.094
18/2	0.032
13/1/3	0.046
15/3	0.021
15/4	0.021
17/3	0.095
18/3	0.032
13/1/4	0.046
17/4	0.095
18/4	0.031
13/2	0.548
19	0.433
20	0.342
21/1	0.171
23/1/1	0.050
21/2	0.171
23/1/2	0.050
22/1	0.139
23/3	0.032
22/2	0.139
23/2	0.032
26/1/1	0.843
34/1/1	0.048
26/1/2	0.841
34/1/2	0.048

(1)	(2)
26/1/3	0.843
34/1/3	0.048
26/2/1	0.210
26/2/2	0.211
26/2/3	0.211
34/2/3	0.010
26/3	0.329
28	0.064
98	0.043

ग्राम—गोपालपुरा, क्षेत्रफल 23.158 हेक्टेयर

2	0.481
24	0.101
25	0.038
26/1	0.184
27/2	1.000
3	0.038
5/1	0.165
6/1	0.090
7/1	0.127
35/1	0.082
43/1	0.444
4/1	0.335
50/1/1	0.500
9/3/2	0.015
16/2/2	0.036
23/2/2	0.005
8/3	0.114
9/2	0.023
16/3	0.054
23/3	0.007
31/2	0.053
8/4	0.114
9/1	0.023
16/4	0.055
23/4	0.006
31/4	0.052
32/1/2	0.038
46/1/2	0.389
47/1/2	0.012
48/1/2	0.158
63/1/2	0.015
65/1/2	0.053
32/1/2	0.008
32/1/3	0.038
46/1/3	0.390
47/1/3	0.013
48/1/3	0.159
63/1/3	0.014
65/1/3	0.052
62/3	0.126
4/2	0.335
50/1/2	0.500
62/2	0.126
5/2/1	0.041
6/2/1	0.022
29/1/1	0.075
35/2	0.082
5/2/2	0.041
6/2/2	0.021
7/2/1	0.042
21/2	0.210
21/2/1	0.074
21/2/2	0.146
29/1/2	0.150
29/2/1	0.310
29/2/3	0.150
5/2/3	0.040
6/2/3	0.022
29/1/3	0.150
5/2/4	0.041
6/2/4	0.022
7/2/2	0.084
29/1/4	0.225
29/2/2	0.311
29/2/4	0.150
8/1/1	0.114
9/4/1	0.023
16/1/1	0.055
13/1/1	0.006
31/1/1	0.053
8/1/2	0.113
8/2/1	0.151

(1)	(2)
9/3/1	0.031
16/2/1	0.037
23/2/1	0.004
31/3	0.105
8/2/2	0.076
9/4/2	0.023
16/1/2	0.055
23/1/2	0.006
31/1/2	0.053
10	0.013
11/1	0.019
12/1	0.063
11/2	0.019
12/2	0.063
33	0.101
13/1	0.088
14/1	0.120
50/2	0.934
62/1/1	0.064
69/2	0.019
75/1	0.026
13/2	0.089
50/3/2	0.258
14/2	0.120
16/2/3	0.037
23/2/3	0.004
17	0.519
19	1.101
51	0.607
18	0.025
20	0.063
22	0.190
26/2	0.183
27/1/1	0.655
27/1/2	0.644
29/1/5	0.020
32/1/1	0.038
46/1/1	0.389
47/1/1	0.013
48/1/1	0.158
63/1/1	0.015
65/1/1	0.053
68/1/1	0.008
32/1/3	0.009
32/2/1	0.057
46/2/1	0.573
47/2/1	0.019
48/2/1	0.245
63/2/1	0.023
65/2/1	0.079
32/2/2	0.057
46/2/2	0.573
47/2/2	0.019
48/2/2	0.244
63/2/2	0.022
65/2/2	0.079
68/2/1	0.013
34	0.721
50/3/1	0.258
62/1/2	0.063
69/2	0.019
50/3/3	0.257
74	0.013
75/2	0.027
76	0.139
52	0.013
55	0.595
57	0.430
60	0.051
61	0.089
73	0.190
53	0.531
54	0.126
58/1	0.112
58/2	0.052
59/1	0.152
59/2	0.152
66	0.455
67	0.076
64	0.025

ग्राम—सुल्तानपुरा, क्षेत्रफल 87.784 हेक्टेयर

352/2	0.293
355/2	0.573
165/4/3	0.215

(1)	(2)
167/3	0.025
168/3	0.024
165/4/4	0.229
167/4	0.025
168/4	0.023
165/4/2	0.224
167/2	0.025
168/2	0.023
165/4/5	0.261
167/5	0.026
168/5	0.021
163/1	0.071
165/1	0.260
163/2	0.072
165/2	0.259
163/3	0.072
165/3	0.243
165/4/1/2	0.051
123/3	0.062
125/2	0.158
149/2	0.196
150/2	0.280
151/2	0.160
169/1	0.145
170/1	0.405
325/2	0.044
56	1.000
294	0.910
58	1.647
59/1	0.689
60/1	0.499
64/1	0.418
352/3	0.177
290/2	0.038
85	0.993
86	0.448
88	1.376
99	0.746
136	0.240
150/1	0.280
151/1	0.160
91/2	0.548

(1)	(2)
92/1	0.413
93/1	1.653
98	0.759
100	0.519
118/2	0.355
119	0.164
126/1	0.059
390	0.215
137/4	0.048
139	0.177
149	0.038
290/1	0.038
349	0.027
391	0.139
96	0.670
101	0.506
121	0.164
82	0.148
83	0.342
95	0.658
102	0.607
122	0.126
389	0.190
89/1	0.229
89/2	0.600
160/1	0.013
160/2	0.013
157/3	0.066
160/3	0.013
157/4	0.067
160/4	0.012
158	0.025
197/1	0.025
159	0.051
161	0.038
162	0.152
164	0.013
165/4/1/1	0.310
167/1	0.025
168/1	0.023
166	0.013
169/2/1	0.073
170/2/1	0.202

(1)	(2)	(1)	(2)
169/2/2	0.073	358/1	0.948
170/2/2	0.203	363/1	0.171
172	0.600	61/2	0.316
173/1	0.242	63/2	0.329
173/2	0.024	141/2	0.012
181/1/1	0.200	358/2	0.948
293/1	0.019	363/2	0.171
319/4	0.047	142/2	0.108
181/1/2	0.100	356/2	0.611
181/2	0.200	357/2	0.791
319/2	0.036	62	0.708
181/3	0.100	109	0.620
181/4/2	0.281	89/3/1	0.350
293/2/2	0.009	89/3/2	0.261
319/3/2	0.024	90	9.357
210/5/1	0.271	91/1	0.548
293/2/1	0.010	92/3	0.414
327/1	0.166	93/3	1.652
387/1	0.028	116	0.089
59/2/1	0.089	110/3	0.355
60/2/1	0.166	126/2	0.059
64/2/1	0.139	127/2	0.033
84	0.341	137/1	0.049
387/2/1	0.027	91/3	0.548
399/1	0.120	92/2	0.413
59/2/2	0.398	93/2	1.653
64/2/2	0.139	117	0.278
387/2/2	0.027	118/1	0.100
59/2/3	0.073	137/3	0.048
60/2/2	0.167	278	0.038
64/2/3	0.139	94	2.554
59/2/4	0.326	143	0.215
60/2/3	0.167	97	0.885
106/2	0.127	148	0.126
107/2	0.302	103	0.367
387/2/3	0.028	120	0.177
61/1	0.316	104/1	0.514
63/1	0.329	104/2	0.513
141/1	0.013	104/3	0.515
142/1	0.107	106/1	0.126
356/1	0.918	107/1	0.723
357/1	0.790	113/2	0.442
		113/3	0.290

(1)	(2)	(1)	(2)
114	0.367	368/1	0.031
123/2	0.241	137/2	0.146
129	0.253	65	0.164
134	0.152	110/1	0.401
135	0.139	113/1	0.731
123/1	0.304	125/1	0.158
319/3/1	0.023	132/1	0.057
320/3/1	0.063	149/1	0.196
321/3/1	0.082	325/1	0.045
322/2/1	0.032	384/1	0.421
320/1	0.126	108/2	0.215
184	0.013	110/3	0.412
185	0.013	352/1	0.420
186	0.013	353	0.076
187	0.304	355/3	0.573
188	0.228	384/3	0.423
189	0.215	108/1	0.215
190	0.240	110/2	0.401
191	0.165	130	0.051
192	0.051	132/2	0.057
193	0.051	138	0.152
198	0.063	126/3	0.059
199	0.051	127/1	0.034
197/2	0.266	127/3	0.034
362/1	0.076	128	0.342
364/1	0.019	131	0.152
369/1	0.025	133	0.240
362/2	0.076	144	0.771
364/2	0.019	145	0.304
279/1	0.045	146	0.013
359	0.234	147	0.772
360	0.139	182	0.367
280	0.013	183	0.354
282/1	0.126	383	0.405
282/2	0.051	385	0.063
283	0.051	394	0.544
284/1/2	0.120	395	1.265
284/1/1	0.041	153	2.339
284/2	0.041	156/1	0.164
315	0.063	156/2	0.165
366/1	0025	366/2	0.026
367/1	0.405	367/2	0.405

(1)	(2)
370	0.628
381/2	0.220
381/1	0.210
382	1.909
388	0.190
392	0.443
393	0.936
399/2	0.120
396	0.633
397	0.162
398	0.936
318/1	0.051
320/5/1	0.064
318/2	0.050
317	0.013
319/1	0.047
157/1	0.066

ग्राम—मगरियादेह क्षेत्रफल 117.071 हेक्टेयर

2/1	0.316
6/139/3	0.858
6/144	0.354
73/145	0.582
2/2	0.759
6/139/2	0.253
6/143	0.430
3	0.772
4	1.454
12	0.291
13	0.089
85	0.544
88	0.190
89	0.013
90	0.455
73/3/3	0.976
114	0.633
117	0.215
118/2	0.228
119/2	0.171
6/6	0.948
109	0.658
6/12	1.897
127/6/2	0.531
6/142	3.819
6/148/1	1.075
125	0.700
126	0.600
98/133	1.063
9	0.063
46	0.126
48	0.278
50	0.063
51	0.025
52	0.025
53	0.430
56	0.025
59	0.013
60/1	0.500
63/1	0.006
74/1	0.196
76	0.076
77	0.063
79	0.177
80/1	0.139
104	0.531
105	0.784
106	1.227
3/135	0.670
3/136	0.152
3/137	0607
3/138	0.607
5	3.760
5/146	0.430
8	0.051
30	0.898
31	1.391
32	0.405
33	0.632
34	0.139
38	0.126
39	0.190
44	0.506
65	0.025

(1)	(2)
68	0.417
70	0.051
71	0.519
72	0.354
75	0.013
99	1.290
112/1	1.327
113	0.215
71/134	0.291
6/1/2	0.120
6/141	0.822
10	0.177
15	0.354
23	0.076
10/130	0.114
24	1.626
6/148/2	1.455
14/149	1.581
6/18	0.325
11	0.089
21	0.190
22	0.177
25/2	1.011
40/2	0.828
41	0.442
57/2	0.025
60/2	0.499
63/2	0.007
64	0.076
73/2	3.890
74/2	0.196
80/2	0.139
84/2	0.120
107/2	1.644
110/2	0.980
16	0.025
17	0.025
27	0.519
28	1.176
35	0.013
37	1.467
98	0.443

(1)	(2)
107/1	1.644
110/1	0.980
29	0.316
112/2	0.506
43	0.228
54	0.013
57/1	0.026
84/1	0.120
127/1/1	0.260
61	0.013
62	0.581
67	0.810
102	0.569
103	2.618
103/131	0.367
73/1	1.265
73/3/1	1.957
73/4	3.908
82	0.013
92	1.631
93/1	0.367
93/2	0.366
93/3	0.367
93/4	0.367
111	0.544
118/1	0.227
119/1	0.475
127/2	0.035
115/1	1.290
6/147/1	3.035
6/2	0.405
14/2/1	0.253
14/2/2/1	0.632
58/1	0.026
69	0.467
73/3/2	0.975
87	0.215
94/1	0.657
40/132/1	0.298
14/2/2/2	0.632
45	0.038
58/2	0.025

(1)	(2)
94/2	0.658
40/132/2	0.297
66	0.240
73/5	3.907
83	0.228
86	0.493
19	0.393
42	0.379
49	0.202
115/3	0.506
116/2	0.300
20	0.670
95	1.480
100	0.340
108	1.265
25/1	0.911
116/1	0.497
115/2	0.506
121	1.998
122	1.403
123/1	0.506
123/2	0.923
124	0.848
127/3/1	3.035
127/3/2	0.076
127/7/2	0.275
127/7/3	2.010
6/139/1	0.557
6/147/2	0.500
40/1	0.829

ग्राम—नरसिंहपुरा क्षेत्रफल 6.744 हेक्टेयर

27/1/1	0.946
27//1/2/2	0.656
30/2	0.278
27/2	1.239
28	0.168
27/3	0.759
30/1	1.012
31	0.379
32/3	0.770
32/1	0.035
32/2/1	0.260
32/2/2	0.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. मूडला तालाब, डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 5232-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (मूण्डला तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—ब्यावरा के ग्राम पीपलबे जागीर एवं बीन्याखेड़ी.

(ग) क्षेत्रफल—4.724 हेक्टेयर

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम—पीपलबे जागीर, क्षेत्रफल 3.297 हेक्टेयर	
70	0.013
76	0.052
77	0.038
78	0.110
79	0.288
84/1	0.316
58/1	0.080
69/1	0.038
80/1	0.150

(1)	(2)
69/2	0.038
65	0.164
73	0.347
74	0.044
75	0.019
81	0.089
82	0.291
83/2	0.063
85/2	0.156
83/1/1	0.085
140/1	0.034
83/1/2	0.084
85/3	0.211
140/3	0.033
83/1/3	0.084
152	0.025
140/2	0.034
141/2	0.150
141/3	0.223
149/3	0.038

ग्राम—बीन्याखेड़ी, क्षेत्रफल 1.427 हेक्टेयर

2	0.200
4	0.044
6	0.043
7	0.080
8	1.060
कुल योग . .	4.724

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.—मूडला तालाब, डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 मई 2012

क्र. 3225-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—इमलिया बोहता, प.ह.नं. 34, ब. नं. 07, रा. नि. मंडल छिन्दवाड़ा-1.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —1.557 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
9/1	0.501
148	0.220
147	0.056
185	0.004
182	0.124
189	0.008
187/1	0.340
187/2	0.296
190/1	0.008
योग . .	1.557

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—छिन्दवाड़ा चॉद मार्ग के कि. मी. 2/2 से सिवनी राजमार्ग क्रमंक 26 के कि. मी. 156/2 तक बायपास मार्ग निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ/स) उप संभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 3226-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—मोआर, प.ह.नं. 8/12, ब. नं. 238 रा. नि. मंडल चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —5.252 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
365/1	0.259
365/2	0.255
367	0.206
368/2	0.089
366	0.506
568/1	0.138
277	3.730
276	0.069
योग . .	5.252

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के पुनर्वास हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना विस्थापन एवं पुनर्वास उप संभाग, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 3227-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—केवलारीसंभा, प.ह.नं. 2/4, ब. नं. 32, रा. नि. मंडल चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —5.192 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
57/3	0.225
57/4	0.335
57/7	0.380
106/1, 107/2	0.647
106/2, 107/3	0.648
107/1	0.405
55/1	0.906
56	0.502
57/1	0.204
57/2	0.225
57/5	0.335
57/6	0.380
योग . .	05.192

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के पुनर्वास हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना विस्थापन एवं पुनर्वास उप संभाग, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 3228-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—अमरवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—खिरेटी, प.ह.नं. 58/61, ब. नं. 48, रा. नि. मंडल-अमरवाड़ा-1.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —04.404 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
171/2, 172/3	0.068
172/2	0.069
173, 174/1, 175/1	0.338
174/3	0.270
175/3	0.486
174/4, 175/4	0.450
174/2, 175/2	1.215
178/2, 179, 180/1, 181/1, 181/4	0.563
178/1	0.945
योग . .	04.404

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—तुण्डवाडा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 3229-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—बिल्हेरा, प.ह.नं. 60, ब. नं. 211, रा. नि. मंडल-अमरवाड़ा-1.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —09.526 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1/6	0.458
1/1	0.291
4	0.478
1/2	0.202
2/2	0.091
1/5	0.494
1/3	0.490
1/4	0.478
1/7	0.229
23	0.275
15	0.809
16	1.133
17/2	0.010
21	0.202
17/1	0.352
20/2	0.551
17/3, 18	0.283
19/2	0.124
20/1	0.454
19/1	0.405
39/1	1.215
38/1	0.250
38/2	0.025
25	0.166
24/2	0.061
योग . .	09.526 हेक्टयर

एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—तुण्डवाडा जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 3230-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—अमरवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—रजोला प.ह.नं. 39, ब. नं. 245, रा. नि. मंडल-अमरवाड़ा-2.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —03.580 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
345/4-5, 345/6-7	0.105
329	0.020
322, 323, 324, 325, 326, 330,/2-5	0.090
312/2, 312/3, 320	0.010
318/1	0.030
318/2	0.035
296, 297, 298, 314/1, 315/2, 316	0.065
295, 299, 300, 301	0.220
209, 210, 211, 236/5	0.015
212, 213, 214, 215	0.135
294/1, 317/2	0.060
242/1, 243/2, 244/1, 245/1, 246/1, 247/1, 248/1, 249/1, 250/1,	0.240
290/3, 293/3	0.210
241, 242/2	0.045
230/3, 231/3, 232/3, 335/3	0.020
236/3, 238/3, 239, 240/3	0.030
280/4, 282/5, 283/3, 288/1	0.045
230/4, 231/4, 232/4, 235/4	0.030
230/1, 231/1, 232/1, 233/1, 234/1, 235/1	0.038
230/5, 231/5, 232/5, 233/2, 234/2, 235/5	0.040
44/1	0.300
44/2	0.035
282/3, 285/1, 287/3-4-5, 302/3-4	0.035
45/2-3, 46/2, 47/3-5-6, 48/5	0.350
177/8	0.032
170/2, 171/2, 178/2	0.055
170/3, 171/1, 177/6, 178/1	0.055
163/1ङ, 168, 169/4	0.075
169/3	0.089
166, 167	0.088
154/1	0.090
154/2	0.090
155/3	0.090
155/4	0.060
158/2, 159, 161/9	0.105
158/1	0.108
158/3	0.045
177/1	0.030
177/3	0.060
290/1ग, 294/4, 293/1ग	0.120
290/1क, 293/1क	0.065
290/5, 293/1क	0.075
280/2, 282/2, 205/2, 285/2	0.045
योग . .	03.580

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रीछननाला जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 15 मई 2012

क्र. 3322-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—तून्डवाडा, प.ह.नं. 03, ब. नं. 120, रा. नि. मंडल-चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —52.154 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
232, 233	0.900
234	0.069
235	1.100
251/1, 243/1, 244/1	2.841
262/1	0.121
263/1	1.214
263/3	0.275
230, 231, 237, 238/1, 238/2, 239, 242	0.800
236	1.007
240/1, 241/1	0.142
240/2, 241/2	0.142
240/3, 241/3	0.141
220/5	0.036
243/2	2.144
244/2	0.162
251/2	0.725
252/2	0.089
255/3	0.041
245/2	0.081
263/2	2.059

(1)	(2)
286/3	0.040
287	1.388
288	0.105
289	0.255
274	5.366
291/1	0.652
311/1, 312/1	0.800
291/2	0.837
292/1	0.405
292/2	0.304
292/3	0.360
293, 295/2	0.405
282/1-2, 283/1-2	1.000
285	0.611
284/1, 286/2, 286/4	1.350
257/1	0.040
258/1	1.890
259/1	1.505
260	0.267
284/2	1.619
253	0.146
254	1.173
255	0.688
257/2	0.089
258/3	0.502
261	0.781
258/2	0.914
259/2	0.733
265/1	2.184
272/1	0.485
265/2	2.065
272/2	0.607
271	1.376
273/1	0.061
331/1	1.405
267, 268	0.607
269, 270	0.020
275	1.732
276	0.040
332/1, 333/1, 334/1	0.202
277/2, 280	0.608
277/5	0.605

(1)	(2)
277/6	0.080
308, 309, 310	0.800
286/1	0.963
योग . .	52.154

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—तेून्डवाडा जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 3323-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन--

(क) जिला—छिंदवाड़ा
(ख) तहसील—मोहखेड
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—भाजीपानी खुर्द, प.ह.नं. 38/48 ब.नं.—428, रा. नि. मंडल—सांवरी.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—26.040 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11/1	0.336
145/1	0.202
11/2	0.405
12	0.016
143	0.093
14/1	0.140
14/2	0.040
108/1	0.968
111/1	0.303
108/2	0.809
108/3	0.588
111/2	0.223
112	0.380
120/1	0.089
120/4	0.081
120/8	0.040
191/4	0.025
120/2	0.073
120/5	0.129
120/7	0.040
120/3	0.065
120/6	0.127
122/2	0.015
145/2	0.800
122/3	0.132
145/3	0.115
141/3	0.081
141/4	0.056
146/1	0.100
189/1	0.072
189/4	0.030
146/2	0.664
189/3	1.713
195	0.097
196	0.069
199	1.903
260/1	0.240
260/5	0.003
274/3	0.202
275/2	0.117

(1)	(2)
281/7	0.085
323/2	0.405
261/4	0.140
271/1	0.223
261/5	0.006
271/2	0.020
272/3	0.195
261/6	0.160
262	0.089
263	0.178
266	0.023
267	0.068
270	0.178
272/1	0.223
272/2	0.215
274/1	0.202
275/4	0.081
274/2	0.405
274/4	0.101
274/8	0.024
275/3	0.049
283/3	0.053
274/5	0.125
274/6	0.129
281/5	0.101
274/7	0.126
275/1	0.198
276	1.327
278	0.162
279	0.113
281/1	3.002
281/2	0.405
323/3	0.150
281/4	0.202
281/6	0.713
284	1.214
309/2	0.144
309/3	0.108
320	0.450
321/1	0.405
321/3	0.279
321/2	0.405
321/4	0.270
343/1	0.005
344	0.020
343/2	0.290
345	0.551
346	0.031
403	0.045
408/3	0.048
408/4	0.096
416	0.030
417	0.100
418/1	0.092
योग . .	26.040

एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—बुचनई जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता हैं.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य अनुविभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 10 मई 2012

क्र. भूमि संपादन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के

लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन

(ख) तहसील—उज्जैन

(ग) ग्राम—कड़छा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.55 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
444/2	0.10
454	0.45
कुल रकबा :	0.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके आवश्यकता—डी.एम.आय.सी. योजना अंतर्गत नॉलेज सिटी की स्थापना हेतु निजी भूमि अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र. भूमि संपादन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन

(ख) तहसील—उज्जैन

(ग) ग्राम—नरवर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.86 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
529/2	0.44
533/1	0.53
529/1	0.13
530	0.14
531/2	0.08
533/3	0.12
533/4	0.12
531/1	0.04
532	0.14
533/2	0.12
कुल रकबा :	1.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता— डी. एम. आय.सी. योजना अंतर्गत नॉलेज सिटी की स्थापना हेतु निजी भूमि अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 10 मई 2012

क्र. 8052-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—सरदारपुर

(ग) ग्राम—बोदली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.704 हेक्टर

सर्वे क्रमांक (1)	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
783	0.027
784	0.052
792	0.405
793	0.027
789	0.095

(1)	(2)
1073	0.095
1074	0.003
	योग : 0.704

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—बदनावर-सरदारपुर राजमार्ग क्रमांक 35 पर ग्राम बोदली में वर्तमान सड़क को चौड़ीकरण निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदारपुर, जिला धार तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 8057-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—सरदारपुर
(ग) ग्राम—बोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.259 हेक्टर

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
248	0.012
249	0.115
250	0.008
252	0.072
253	0.030
500/1	0.010
501/1	0.012
	योग : 0.259

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—बदनावर-सरदारपुर राजमार्ग क्रमांक 35 पर ग्राम बोदला में वर्तमान सड़क को चौड़ीकरण निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदारपुर, जिला धार तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 8061-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—सरदारपुर
(ग) ग्राम—पसावदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.306 हेक्टर

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
36	0.245
35	0.003
16/4	0.010
16/5	0.048
	योग : 0.306

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—बदनावर-सरदारपुर राजमार्ग क्रमांक 35 पर ग्राम पसावदा में वर्तमान सड़क को चौड़ीकरण निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदारपुर, जिला धार तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 15 मई 2012

पृ. क्र. 713-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस

बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन:—अशासकीय भूमि
(क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—नरवर
(ग) नगर/ग्राम—दावरअली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.06 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
33	0.02
34	0.39
44	0.29
47/1	0.01
47/2	0.08
47/3	0.16
47/4	0.01
49	0.10
योग :	1.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय नहर (लालपुर पिकअप वियर पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना, आर.बी.सी. संभाग, करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 714-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि
(क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—करैरा
(ग) नगर/ग्राम—लालपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.12 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2018	0.01
2019	0.03
2020	0.06
2021	0.02
योग :	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय नहर (लालपुर पिकअप वियर पश्चात्)के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा), जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंगसली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 15 मई 2012

प्र. क्र. 52-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—डबरा
(ग) ग्राम—मकोड़ा
(घ) (अ) लगभग क्षेत्रफल—1.060 हेक्टर.
(ब) मकान-शून्य, वृक्ष-शून्य, कुंआ-शून्य, अन्य संपत्ति-शून्य.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
98	0.009
103	0.181

(1)	(2)
104	0.110
105	0.086
107	0.017
108	0.108
108/361	0.091
116	0.059
118	0.143
120	0.024
121	0.124
123	0.108
योग :	1.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— हरसी उच्च स्तरीय नहर (सिंध परियोजना, द्वितीय चरण) के निर्माण कार्य हेतु.

(3) धारा 6 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी—कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग आंतरी, जिला ग्वालियर.

(4) भूमि के नक्शे, प्लान एवं सम्पत्ति के विवरण का निरीक्षण—जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा) जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 54-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—डबरा

(ग) ग्राम—कल्याणी

(घ) (अ) लगभग क्षेत्रफल—13.803 हेक्टर.

(ब) मकान-शून्य, वृक्ष-शून्य, कुंआ-1, अन्य संपत्ति-शून्य.

खसरा नम्बर	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
80/1	0.262
80/2	0.261
97	0.353
98	0.049
99/1	0.105
99/2	1.274
100	0.421
101	0.118
102	0.483
110	0.223
110	0.660
115	0.509
117	0.659
118	0.153
119	0.121
120	0.685
121	0.447
124	0.085
133/1, 133/1	1.017
134	0.569
206	0.380
209, 209, 209	2.152
210	0.015
211	0.334
212/1, 212/2, 212/3	0.066
241	0.077
242	0.285
243	0.954
243	0.397
243	0.157
244	0.274
244	0.394
248	0.245
योग :	13.803

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है— हरसी उच्च स्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 4 मई 2012

क्र. डी-2070-दो-2-19-ए-2009.—सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 2 से 4 अप्रैल 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 31 मार्च से 1 अप्रैल 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 5 से 6 अप्रैल 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. डी-2074-दो-2-3-2008.—श्री एच. सी. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 21 से 24 फरवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 फरवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. सी. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. सी. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-3791-दो-2-34-2010.—श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 6 से 7 मार्च 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 से 11 मार्च 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-3793-दो-3-36-2003.—श्री आर. पी. वर्मा, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 21 से 25 फरवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 फरवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-3796-दो-2-18-2008.—श्री आदर्श कुमार जैन, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-3-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 6 मार्च 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. सी-3802-दो-2-27-2011.—श्री जे. पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 24 से 30 मार्च 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. माहेश्वरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-3809-दो-2-33-2010.—श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 6 से 7 मार्च 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8, 9, 10 एवं 11 मार्च 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-3813-दो-2-37-2010.—श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 23 से 28 अप्रैल 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-3815-दो-2-53-2009.—श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 27 फरवरी 2012 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-3817-दो-2-50-2010.—श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 21 से 25 फरवरी 2012 तक, पांच दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 26 से 27 फरवरी 2012 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार सोनगरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-3819-दो-2-53-2007.—श्री आर. के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

(1) दिनांक 29 फरवरी से 9 मार्च 2012 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) दिनांक 10 से 17 मार्च 2012 तक, आठ दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

श्री आर. के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गोस्वामी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 5 मई 2012

क्र. डी-2147-दो-2-34-2010.—श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 27 फरवरी से 2 मार्च 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. डी-2150-दो-3-420-80-भाग दस.—श्री अनिल ठाकरे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 29 फरवरी 2012 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 172 दिवस (एक सौ बहत्तर दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 897-इक्कीस-ब(एक)07, दिनांक 21 जून 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1. श्री अनिल ठाकरे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी का नियुक्ति दिनांक. : 28-8-1971
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 28-2-2012
3. नियुक्ति दिनांक 28-8-1971 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 15 वर्ष 6 माह
4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 24 वर्ष 11 माह
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से). : 15×15=225 दिन
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से). : 24=12×15=180 दिन.

   टीप.—कालम (3) एवं (4) के खण्ड माहों की संख्या यदि एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए. : 1×7=7 दिन
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 412 दिन
8. घटाईये:—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 240 दिन
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 172 दिन

(सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2011 को शेष अर्जित अवकाश 226 दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897-इक्कीस-ब(एक)07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. सी-3824-दो-2-32-2011.—श्री ए. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 23 से 28 अप्रैल 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-3864-दो-2-11-2011.—श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 25 से 29 फरवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-3866-दो-2-36-2010.—श्री अनुराग श्रीवास्तव, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 21 से 23 फरवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 7 मई 2012

क्र. सी-3960-दो-2-46-2010.—श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 5 से 30 मार्च 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, छब्बीस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 मार्च 2012 से दिनांक 1 अप्रैल 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. सी-3963-दो-3-34-2006.—श्री सुशील कुमार पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 2 से 30 मार्च 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, उन्तीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-3965-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 28 अप्रैल 2012 से 1 मई 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 8 मई 2012

क्र. सी-3967-दो-2-16-2002.—श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 23 से 28 अप्रैल 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 अप्रैल 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 29 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-3969-दो-2-30-2007.—श्री भरत पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 9 से 20 अप्रैल 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री भरत पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भरत पी. माहेश्वरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-3971-दो-2-60-2009.—श्री अभिनन्दन कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 22 से 25 फरवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अभिनन्दन कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभिनन्दन कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-3973-दो-2-18-ए-2009.—श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 28 मार्च 2012 से 7 अप्रैल 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-3978-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद को दिनांक 2 से 4 अप्रैल 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 31 मार्च 2012 से 1 अप्रैल 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 5 से 6 अप्रैल 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 9 मई 2012

क्र. सी-3995-दो-2-49-2007.—श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 24 से 29 फरवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 2 मई 2012

क्र. 528-गोपनीय-2012-दो-3-70-60.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 11 (घ) के अन्तर्गत निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के प्रवर्ग में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करता है, कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सकता है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होता है, उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा:—

सारणी

क्रमांक	नाम	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)
1	श्री उत्तम कुमार डार्वी	नीमच
2	श्री आशीष परसाई	शुजालपुर
3	श्री पुष्पक पाठक	इंदौर
4	श्री सतीश वसुनिया	मऊगंज
5	श्री नितिन कुमार मुजाल्दा	महू
6	श्रीमती निधि सक्सेना	बीना
7	श्री अजय कुमार	गढ़ाकोटा
8	श्री राजेश जैन	अमरपाटन
9	श्री अभिलाष जैन	खुरई
10	श्री महेश कुमार वर्मा	सबलगढ़

जबलपुर, दिनांक 4 मई 2012

क्र. 545-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय में, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (जूनियर), अष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर की हैसियत से.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 4 मई 2012

क्र. डी-2036-तीन-10-42-75-(रतलाम-आलोट) **शुद्धिपत्र.**—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर अपनी जारी की गई अधिसूचना क्र. डी-1853-तीन-10-42-75 (रतलाम-आलोट), दिनांक 12 अप्रैल, 2012 में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करता है:—

श्री बी. एल. प्रजापति, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट), जावरा आलोट में भी प्रत्येक माह 7 दिवस बैठक करेंगे के स्थान पर प्रत्येक माह "एक सप्ताह" बैठक करेंगे पढ़ा जावे.

Shri B. L. Prajapati, IInd Additional District & Session Judge (FTC), Jaora to Alot will held its sitting for "one week" in each month instead of seven days.

जबलपुर, दिनांक 8 मई 2012

क्र. डी-2187-तीन-10-42-75-(होशंगाबाद-इटारसी) **शुद्धिपत्र.**—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर अपनी जारी की गई अधिसूचना क्र. डी-1851-तीन-10-42-75 (होशंगाबाद-इटारसी), दिनांक 12 अप्रैल, 2012 में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करता है:—

श्री लाल सिंह दुवासा, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद, इटारसी में भी प्रत्येक माह 7 दिवस बैठक करेंगे के स्थान पर प्रत्येक माह "एक सप्ताह" बैठक करेंगे पढ़ा जावे.

Shri Lal Singh Duwasha, IIIrd Additional District & Session Judge, Hoshangabad to Itarsi will held its sitting for "one week" in each month instead of seven days.

अभय कुमार, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 4 मई 2012

क्र. सी-3798-दो-2-28-2011.—श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 9 से 13 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 2 मई 2012

क्र. 531-Confdl.-2012-II-2-36-07.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित श्रम न्यायाधीश (एंट्री लेवल), श्रम न्यायालय को श्रम न्यायाधीश (सिलेक्शन ग्रेड) के पद पर उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित पद पर नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र.	नाम तथा पदनाम	श्रम न्यायाधीश (सिलेक्शन ग्रेड) में नियुक्त दिनांक	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री प्रवीण कुमार त्रिवेदी, श्रम न्यायाधीश, भोपाल.	21 मई 2011	श्रम न्यायाधीश (सिलेक्शन ग्रेड) के पद पर
2	श्रीमती किरण बाला पाठक, श्रम न्यायाधीश, सतना.	21 मई 2011	श्रम न्यायाधीश (सिलेक्शन ग्रेड) के पद पर

क्र. 533-गोपनीय-2012-दो-3-1-2012 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को पदोन्नति पर उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक (6) में अंकित पद पर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से वेतनमान रुपये 43,690—1080—49,090—1230—56,470 में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (1) तथा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री राजदीप सिंह ठाकुर	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
2	श्री विवेक सिंह रघुवंशी	बरेली	बरेली	रायसेन	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
3	श्रीमति दिव्यांगना जोशी पाण्डे	रायसेन	रायसेन	रायसेन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
4	श्री वैभव मण्डलोई	आगर	आगर	शाजापुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 आगर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
5	श्री धरमपाल सिंह सिवाच	खातेगांव	खातेगांव	देवास	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.

क्र. 534-गोपनीय-2012-दो-3-1-2012 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के पदधारक वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त, श्री कुलदीप जैन, उप सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को उनके वर्तमान पद पर रहते हुए, उच्च न्यायालय आदेश क्रमांक 533-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-ए), जबलपुर, दिनांक 23 मई, 2010 के अनुक्रम में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से वेतनमान रुपये 43,690—1080—49,090—1230—56,470 में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

जबलपुर, दिनांक 3 मई 2012

क्र. 538-गोपनीय-2012-दो-3-1-2012 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 को उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के पद पर होने के फलस्वरूप व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री रामप्रकाश कतरोलिया	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, ग्वालियर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
2	श्री प्रवेन्द्र कुमार सिंह	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3	श्री विवेक सक्सेना	बड़वाहा	बड़वाहा	मण्डलेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बड़वाहा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
4	श्री आशुतोष शुक्ला	इंदौर	इंदौर	इंदौर	अठारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
5	श्री कंचन सक्सेना	चाचौड़ा	चाचौड़ा	गुना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, चाचौड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 4 मई 2012

क्र. 549-गोपनीय-2012-दो-3-250-57 (भाग-31).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में अंकित है, और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 (बी) 6-2011-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक-. . . . .), क्रमशः 2 मार्च, 2012 एवं 26 अप्रैल, 2012 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है:—

सारणी

क्र.	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री देवदत्त	सागर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सागर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2	श्री सुधीर सिंह निगवाल	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, उज्जैन के न्यायालय के षष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल.